पंचम माला, खंड 59, अंक 17 बुधवार, 31 मार्च, 1976/11 चैत्र 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LIX, No. 17 Wednesday, March 31, 1976/Chaitra 11, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

(यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है)

(This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi)

विषय सूची

CONTENTS

अंक 17, बुधवार, 31 मार्च, 1976/11 चैत्र, 1898 (शक)

No. 17, Wednesday, March 31, 1976/Chaitra 11, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions :**	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 323, 325 से 327, 329 से 331 और 335	*Starred Questions Nos. 321 to 323, 325 to 327, 329 to 331 and 335	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 324, 328, 332 से 334 और 336 से 340	Starred Questions Nos. 324, 328, 332 to 334 and 336 to 340	18-26
अतारांकित प्रश्न संख्या 1654 से 1684 और 1686 से 1743	Unstarred Questions Nos. 1654 to 1684 and 1686 to 1743	26-77
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	78-80
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	81
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—61 वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Sixty-first Report	81
लोक लेखा समिति—197वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee— Hundred and Ninety-seventh Report	81
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—51वां प्रतिवेदन	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Fifty-first Report	81
मोज़म्बीक को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने के बारे में वक्तव्य—	Statement *re.* Economic and Technical Assistance to Mozambique—	82
श्री बिपिन पाल दास	Shri Bipinpal Dass	82
चाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Tea (Amendment) Bill—Introduced	83

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
जीवन बीमा निगम (समझौते में रूपभेद) विधेयक, 1976—पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव स्थगित हुआ	Life Insurance Corporation (Modification of Settlement) Bill, 1976—Motion to introduce held over—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	83, 85
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	83–84
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	84
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	86
अनुदानों की मांगें, 1976-77—	Demands for Grants, 1976-77—	87–116,
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs . .	215–299
श्री सरोज मुखर्जी	Shri Saroj Mukherjee . . .	87–90
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	96–97
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo	97
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha . .	97–98
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	98–99
श्री सुधाकर पाण्डेय	Shri Sudhakar Pandey . . .	100
श्री रामकंवर	Shri Ram Kanwar	100
श्री गिरधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango . . .	101–102
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	102
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda . . .	102–104
श्री शंकरराव सावंत	Shri Shankerrao Savant . . .	104–105
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	105–106
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	106–107
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma . .	107
श्रीमती प्रेमिला बाई चौहान	Shrimati Premalabai Chavan . .	107–108
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . . .	108–109
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	109–112
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy . . .	113–114
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	114–115
श्री वी० तुलसीराम	Shri V. Tulsiram	115–116
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	116
सभा का कार्य	Business of the House	113

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 31 मार्च, 1976/11 चैत्र, 1898 (शक)

Wednesday, March 31, 1976/*Chaitra* 11 1898 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हीलियम के लिए धन का नियतन

321. **डा० सरदीश राय** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बकरेश्वर के तापीय चश्मों वाले क्षेत्र तथा बिहार के पालामऊ, हजारीबाग और छोटा नागपुर जिलों के गर्म चश्मों वाले क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के प्रजनन हेतु "हीलियम स्टेटेजिक एलीमेंट" के लिये चार वर्षों से चल रहे खोज कार्य को सरकार द्वारा धन आवंटित न किये जाने के कारण छोड़ना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो धन आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर के गर्म चश्मों से हीलियम प्राप्त करने की विधि के बारे में अनुसंधान की योजना पर, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने 1972 में अपनी संस्वीकृति प्रदान की थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है । इसी बीच, इससे संबंधित विभिन्न एजन्सियों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है कि इस क्षेत्र के गर्म चश्मों से अनुमानतः हीलियम की कितनी मात्रा उपलब्ध हो सकेगी ।

डा० सरदीश राय : यह योजना राष्ट्रीय प्रोफेसर स्वर्गीय एस० एन० बोस द्वारा आरम्भ की गई थी और प्रो० शाभा दास चटर्जी द्वारा यह योजना चलाई गई थी । बकरेश्वर के गर्म चश्मों का गर्म जल जर्मनी में म्यूनिख भी भेजा गया था । यह दुःख की बात है कि परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी पहल नहीं कर रहा है । केवल शिक्षा मंत्रालय गत चार वर्षों से एक लाख रुपये की छोटी

धन राशि स्वीकृत कर रहा है और अब वह अवधि भी समाप्त हो गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार तत्काल कोई कदम उठा रही है जिससे बक्रेश्वर (पश्चिम बंगाल) और पालामऊ (बिहार) में अनुसंधान कार्य जारी रहे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है शिक्षा मंत्रालय इस अनुसंधान योजना के लिए 1974-75 और 1975-76 में धनराशि देती रही है । इस मंत्रालय ने एक लाख रुपये की धनराशि दी है ।

अब परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी इस योजना में रूचि ली है और यह इस क्षेत्र में गर्म चश्मों का सर्वेक्षण इस उद्देश्य से, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, कर रहा है कि क्या इस क्षेत्र से हीलियम निकालना व्यापारिक दृष्टि से व्यवहार्य होगा तथा यहां कितना हीलियम है और इसका प्रतिशत क्या है । ये प्रश्न हैं जिनकी परमाणु ऊर्जा विभाग जांच कर रहा है ।

डा० सरदीश राय : प्रो० चटर्जी ने जानकारी दी है और उनका विचार है कि अच्छे परिणाम रहे हैं । यह भी दावा किया गया है कि शुद्ध करने के जो नवीनतम तरीके हैं उनसे नमूनों में राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान शाला को शत प्रतिशत तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को 99.98 प्रतिशत हीलियम मिला है । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है पश्चिम जर्मनी के विश्वविद्यालय ने भी अच्छे परिणाम बताये हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात के विचार से कुछ विशिष्ट आणुविक भौतिक विज्ञानियों ने इस क्षेत्र में हीलियम के व्यापारिक रोहन के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा एक प्रारम्भिक संयंत्र लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि परमाणु ऊर्जा का यह विभाग न कि शिक्षा विभाग, न केवल वक्रेश्वर में किन्तु बिहार के हजारीबाग जिले के पालामऊ में भी हीलियम प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक संयम लगाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शिक्षा मंत्रालय 1972 के आरम्भ में इस योजना के लिए धन राशि दे रहा था बाद में 1974 में प्रो० बोस के निधन के बाद उन्होंने यह मामला विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग को इस योजना को अपने हाथ में लेने के लिए भेजा । विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने इस मामले पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति नियुक्त की ।

तब परमाणु ऊर्जा विभाग भी, जैसा कि मैंने कहा, इस काम में लग गया और यह सिफारिश की गई कि परमाणु ऊर्जा विभाग को हीलियम की उपलब्धता का मूल्यांकन करना चाहिए और यह मालूम करना चाहिए कि क्या हीलियम निकालना व्यापारिक दृष्टि से व्यवहार्य है । मेरे मित्र ने कुछ आंकड़े भी दिये हैं । मैं इस विषय की अभी जांच नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह मामला परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के विचाराधीन है । आंकड़ों को देखने के बाद वे निर्णय पर पहुंचेंगे । यह योजना न स्थगित की गयी है और न छोड़ दी गयी है ।

डा० सरदीश राय : यह कहा गया है कि 1975-76 के लिए एक लाख रुपये की धन राशि दी गई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 1975-76 अभी समाप्त नहीं हुआ है 1975-76 के लिए एक लाख रुपया दिया गया है । परसों ही आप कहेंगे कि यह जारी रहेगा या नहीं ।

डा० रानेन सेन : श्री पंत ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है । आज 31 मार्च है । कल मूर्ख दिवस है । क्या उनका अभिप्राय यह है कि एक लाख रुपये की छोटी सी धन राशि की इस प्रकार के महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए कल घोषणा की जाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह उन लोगों पर निर्भर करता है जिनके लिए इसकी घोषणा की जाती है ।

फालतू बिजली के राज्यों द्वारा बटवारे का प्रस्ताव

***322. श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने फालतू बिजली के बटवारे के लिए राज्य सरकारों को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). यद्यपि कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया है, किन्तु इस मामले से सम्बद्ध पहलुओं पर समय-समय पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया है । इस बात पर सहमति हो गई है कि विद्युत प्रणालियों के समेकित प्राचलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता की कमी को, आवश्यकतानुसार, पूरा किया जा सके ।

श्री एस० एम० बनर्जी : बिजली के बटवारे के बारे में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिये हैं ? मैं यह जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को जहां हमने देखा है कि सबसे अधिक बिजली की कमी रही है, क्या वित्तीय सहायता दी है । पांचवीं योजना में उन राज्यों को कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : राज्यों को केन्द्र द्वारा वार्षिक योजना के अंग के रूप में सहायता दी जाती है और यह कुल राशि वह होती है जो "गाडगिल सूत्र" के आधार पर दी जाती है । इसमें बिजली का हिस्सा पृथक रूप से शामिल नहीं किया जाता है और मेरा सुझाव है कि राज्यों को बिजली में निवेश करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि उनकी परियोजनाएं शीघ्र क्रियान्वित हों। केन्द्र बिजली के उत्पादन में सीधे बहुत ज्यादा निवेश नहीं करता है । हम अब केन्द्रीय सुपर-तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। हमारे कुछ पन-विद्युत केन्द्र हैं किन्तु राज्यों को बिजली उत्पादन में काफी निवेश करना चाहिए । हम केवल अन्तर्राज्यीय प्रेषण लाइनों में सहायता कर सकते हैं जिससे जहां बिजली अधिक है वहां से कमी वाले राज्यों को बिजली दी जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, जब सभा में बिजली की कमी के बारे में चर्चा हो रही थी तो हमें मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि विभिन्न राज्यों की सहायता के लिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाया जायेगा । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है । यदि नहीं लिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड एक प्रक्रिया है और यह कोई ऐसी बात नहीं है जो एक ही रात में हो जाये । यह एक क्षेत्र के अन्तर्गत की बजाय एक राज्य के अन्तर्गत तथा फिर

क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्कों को बढ़ाने की प्रक्रिया है। मैं तो यह कहूंगा कि हम ऐसे स्तर पर हैं जहां हम क्षेत्रीय ग्रिडों को दृढ़ कर रहे हैं और क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड बना रहे हैं। यह गत कुछ वर्षों से हो रहा है और क्षेत्रीय सम्पर्क आज काफी मजबूत है। कुछ अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्कों को दृढ़ बनाया जा रहा है। अन्तर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय सम्पर्कों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा समर्थित कार्यक्रम है। चौथी योजना में तीस ऐसी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं।

श्री दिनेश जोरदर : क्या ऊर्जा मंत्रालय देश में अधिशेष ऊर्जा के उपयोग के लिए एक समेकित योजना बनाने जा रहा है। कुछ समय पहले अधिशेष ऊर्जा के उपयोग के लिए विशेष-रूप से रात के समय और खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र में कुछ राज्यों से कतिपय सुझाव दिये गये थे ताकि अधिशेष ऊर्जा का रात्रि पारी में उपयोग किया जाये और इससे ऊर्जा को उन कमी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध किया जाये जहां अब उठाऊ सिंचाई आदि कृषि कार्य चल रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कई राज्यों में बिजली का अन्तर्राज्यीय अन्तरण हुआ है और कई कमी वाले राज्यों को मदद की गई है। जहां तक अधिशेष रात्रि बिजली के उपयोग का सम्बन्ध है, जो कलकत्ता में एक समस्या है, मेरे विचार से रात को बिजली का उपयोग कृषि की बजाय उद्योगों में अधिक आसानी से हो सकता है। अतः यदि कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए रात को बिजली का उपयोग करना सम्भव है तो इससे कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में स्थिति के सुधार में सहायता मिलेगी।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से दो बातें प्रकट होती हैं। जहां तक गाडगिल सूत्र का सम्बन्ध है बिजली की वृद्धि के आधार पर वित्त के विभाजन और नियतन की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या परस्पर राज्यों में अधिक बिजली उत्पादन के लिए कदम उठाये जाने चाहिए और क्या इसके लिए पर्याप्त धन राशि दी जायेगी। दूसरे में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि क्या उत्तरी बंगाल में काफी मात्रा में पानी उपलब्ध है और इससे 1000 से 1800 मेगा वाट तक बिजली पैदा की जा सकती है।

कुछ दिन पहले जापानियों के एक दल ने जो उस क्षेत्र में गया था कहा कि डालर समुद्र में बह रहे हैं और कोई भी इसकी परवाह नहीं कर रहा है। जापानी दल की इस टिप्पणी पर आधारित कि 'डालर बंगाल की खाड़ी में बह रहे हैं' अर्थात् उत्तरी बंगाल का पानी व्यर्थ जा रहा है, क्या भारत सरकार उत्तरी बंगाल क्षेत्र में इस जल शक्ति का उपयोग करने के लिए एक समेकित योजना बनाने के लिए स्वयं एक आयोग अथवा जल तथा विद्युत आयोग के कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त करेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उत्तरी बंगाल क्षेत्र में इन सम्भावनाओं की हमें जानकारी है। वास्तव में पिछले सप्ताह उत्तरी बंगाल क्षेत्र के बारे में दो प्रश्न किये गये थे जिनका मैंने सभा में उत्तर दिया था जिसमें मैंने सम्बद्ध योजनाओं के नियत की गई धन राशि का तथा इन योजनाओं के पूरा होने में जो समय लगेगा उसका पूरा विवरण दिया था।

श्री बी० के० दासचौधरी : जापानी दल के क्या निष्कर्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा : कर्नाटक और केरल के बीच फालतू पानी की भागीदारी के बारे में द्विपक्षीय वार्ता शरू हुई थी। इस बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विचार-विमर्श द्विपक्षीय था वह त्रिपक्षीय नहीं थी। वे दोनों राज्य ही जानते हैं कि उनकी आपस में क्या बात-चीत हुई है। उन्होंने हमें कोई सरकारी पत्र नहीं भेजा है किन्तु मेरा विश्वास है कि केरल से कर्नाटक को कुछ मात्रा में बिजली दी जा रही है और वे कुछ कीमत पर देने में सहमत हो गये हैं।

नमक उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान

***323. श्री के० लकप्पा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति का इस विषय पर अनुसंधान करने का विचार है कि देश में नमक का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुसंधान पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा तैयार किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना (1974-79) का मसौदा जो 26 मार्च, 1974 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था, इस में अन्य बातों के साथ-साथ देश में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया गया था तथा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, 14.60 लाख रुपये के व्यय का सुझाव दिया गया था।

श्री के० लकप्पा : देश की नमक सम्बन्धी आवश्यकताएं क्या हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरा विषय केवल अनुसंधान और विकास है। नमक की खपत का विषय मेरे मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री के० लकप्पा : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना में यह परिकल्पना की गई है कि नमक सम्बन्धी अनुसंधान देश की नमक की आवश्यकताओं पर निभर करता है। आयोजना में देश की नमक आवश्यकताएं भी सम्मिलित हैं। यह बात स्पष्ट समझी जानी चाहिए। जब तक आप आवश्यकताओं के बारे में नहीं जानेंगे आप योजना को कैसे जान सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया तर्क मत कीजिये। अपना प्रश्न पूछिये।

श्री के० लकप्पा : उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। मेरा प्रश्न बड़ा तर्कसंगत है। इसलिये मैं पूछ रहा हूं। वह यह नहीं कह सकते कि मैं यह प्रश्न पूछ नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आप मन्त्रीजी के साथ रियायत कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत कर्नाटक के लिये कौन सी

विकास परियोजनाओं को परिकल्पना की गई है? कर्नाटक में अत्यधिक मात्रा में नमक उपलब्ध है। योजना में किन स्थानों की परिकल्पना की गई है ?

श्री आई० के० गुजराल: इस सम्बन्ध में दो बाते हैं। एक यह हैं कि अनुसन्धान और विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत हम उन अनुसन्धान विकास परियोजनाओं की व्यवस्था कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रति हेकटर नमक उत्पादन बढ़ सकता है। इसके लिये कुछ विचार कर भी लिया गया है। किन्तु जहां तक इन क्षेत्रों में कुल उत्पादन और खपत का सम्बन्ध है' जब मैंने यह कहा था कि यह वर्तमान प्रश्न का और मेरे मन्त्रालय से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है तो मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था यह आयोजना मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है। यह अनुसन्धान और विकास से सम्बन्धित नहीं है बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित है अतः यह उस विभाग को जाना चाहिए। यह आयोजना पक्ष के अन्तर्गत नहीं आता है यदि मेरे माननीय मित्र इस प्रश्न के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे इस सम्बन्ध में सूचना देते हुए प्रसन्नता होगी।

श्री के० लकप्पा : तब विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग को इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : सांभर झील से नमक उत्पादन में कमी आने के क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में पूरे प्रश्न पर गौर कर रही समिति के क्षेत्राधिकार में इस प्रश्न पर विचार करना भी शामिल है कि सांभर झील से ही पुनः नमक उत्पादन बढ़ाया जाये ?

श्री आई० के० गुजराल : सांभर की स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली वर्षा के मौसम मे झील में भयंकर बाढ़ आई थी और उसमें काफी मात्रा में मीठा जल भर गया है। इसलिये इसे पुनः सामान्य स्थिति में लाना होगा ताकि नमक का उत्पादन हो सके। सांभर के बारे में विज्ञान और प्रौद्योकी के अन्तर्गत यह विचार किया जा रहा है कि इसमें कौन से भाग को नमक उत्पादन के लिये यन्त्रीकृत किया जा सकता है ताकि प्रति ऐकड़ नमक उत्पादन में वृद्धि हो सके। साथ ही मुझे यह बताया गया है कि रेल मन्त्रालय जैसे सम्बन्धित मन्त्रालय तथा राज्य सरकार इस झील पर बांध बनाने की बात सोच रही है ताकि भविष्य में इसे बाढ़ से बचाया जा सके और पानी को शीघ्र ही निकाल दिया जाये ताकि रेलों का आना जाना भी पुनःशीघ्र ही चालू किया जा सके।

आणविक क्षमता को पाँच वर्षों में दो गुना करने की योजना

*325. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसमें निकट भविष्य में आणविक क्षमता हर पांच वर्षों में दुगना हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा गठित किए गए एक कार्यकारी दल ने जो योजनाएं तैयार की हैं उनके अनुसार सन् 1990 तक 4720 मैगावाट क्षमता के भारी पानी से मंदित एवं शीतित काण्ड किस्म के रिएक्टर और

1000 मैगावाट क्षमता के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किए जाने चाहिए। कार्यकारी दल की सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : तारापुर परियोजना के लिये अमरीका से यूरेनियम प्राप्त करने में क्या कोई कठिनाई है। यदि यह यूरेनियम उपबन्ध न हुआ तो क्या कार्य रुक जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह तारापुर परियोजना के लिये अमरीका से एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अमरीका में इस सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। मेरे माननीय मित्र ने समाचार पत्रों में उसे पढ़ा होगा।

श्री एच० पी० शर्मा : सभी जानकार क्षेत्रों में यह विश्वास किया जाता है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में वास्तविक उपलब्धि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से ही हो सकती है। किन्तु इसमें एक बाधा यह है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिये इंधन कान्डू टाइप रिएक्टरों से प्राप्त करना होगा। एक 500 मैगावाट एफ० बी० आर० के लिये प्रत्येक वर्ष 1,000 किलोग्राम से अधिक प्लूटोनियम की आवश्यकता होगी और आर० ए० पी i और ii प्रत्येक वर्ष में 90 किलो से अधिक ईंधन उत्पादित नहीं कर सकता। मेरा प्रश्न तीनों भागों में है। अमरीका के साथ हमारे समझौते में यह व्यवस्था है कि प्लूटोनियम वापस अमरीका के पास ही बेचना पड़ेगा। पहला प्रश्न यह है कि क्या तारापुर में बन रहे प्लूटोनियम को अमरीका के पास बेचा जा रहा है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कान्डू टाइप रिएक्टरों के सम्बन्ध में पिछड़ जाने से हम समूचे एफ० बी० आर० कार्यक्रम को तो खतरे में नहीं डाल रहे हैं। तीसरा, अगर धन की कमी है तो आप सदन को बताईये और हमें विश्वास में लीजिए। हम इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने जो उदार प्रस्ताव रखा है मैं उसका उपयोग करने का प्रयास करूंगा। किन्तु जहां तक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सम्बन्ध है मैं इस बात से सहमत हूं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास अत्यधिक मात्रा में थोरियम उपलब्ध है जिसे इन रिएक्टरों में उपयोग किया जा सकता है। अतः हमारे पास दो विकल्प हैं। एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रुप में प्लूटोनियम है और दूसरा थोरियम है। हमें थोरियम से अधिक लाभ उठाना है और उसी सन्दर्भ में हमें अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम बनाने चाहिये।

Import of X-Ray Films

*326. **SHRI ONKAR LAL BERWA :** Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to State :

(a) the countries from which X-Ray films are being imported to India ; and

(b) the main features of the scheme for meeting the demand thereof ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) इस समय मेडीकल एक्सरे फ़िल्मों का आयात जम्बो फ़ार्म में प्रमुख रूप से जर्मनी जनवादी गणराज्य से किया जा रहा है। औद्योगिक (इण्डस्ट्रियल) एक्सरे फ़िल्मों तथा कुछ विशेष प्रकार की मेडीकल फ़िल्मों का आयात भी पश्चिम जर्मनी, जी० डी० आर० बेलजियम, ग्रेट ब्रिटेन, यू० एस० ए०, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस और जापान से किया जा रहा है।

(ख) कुछ विशेष प्रकार की मेडीकल एक्सरे फिल्मों को छोड़कर एकमात्र एक्सरे फ़िल्म उत्पादक मेसर्स क० लिमिटेड, उटकमंड देश की सम्पूर्ण मांग को अंशतः स्वयं अपने उत्पादन से और अंशतः जी० डी० आर० से आयातित किये गये एक्सरे जम्बो राज्य को परिवर्तित (कनवर्जन) करके पूरा करने में समर्थ है। देश में इण्डस्ट्रियल (औद्योगिक) एक्सरे फ़िल्मों और विशेष प्रकार की मेडीकल फ़िल्मों की सीमित मांग के कारण उन्हें देश में बनने की कोई योजना नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : This statement shows that we are not doing anything in the country in this regard. May I know the expenditure being incurred on the import of X-Ray reals from abroad; and whether we make payment for it in foreign exchange or payment is made through our trade with those countries.

Shri B. P. Maurya : As far as X-ray films are concerned, these are of two types—medical X-ray films and industrial X-ray films of special quality. The medical X-ray films are being manufactured indigenously and raw material is imported from GDR in Jumbo farm and X-ray films are manufactured from that material.............*Interruptions*.so far as medical X-ray films of special quality as also industrial X-ray films are concerned, their consumption is very low in the Country. It willnot be economically viable to set up a plant for the manufacture of these films. But it can definitely be said that we are endeavouring to meet our requirements of ordinary X-ray films indigenously. We have a plan this year to produce about 12lakhs sq. metres of X-ray films.

Shri Onkar Lal Berwa : My question was as to the foreign exchange being incurred by us. Whether we are making payment in foreign exchange or exports are made in lieu Thereof?

Shri B.P. Maurya : I do not have with me separate figures in regard to the special quality films being imported by us. But the industrial and medical X-ray films for which SFC has placed import orders are : M/S Agfa Gevart Private Limited - 1 lakh, M/S. ORVO Films Pvt. Limited Bombay, 5 lakhs M/S. ORVO Films Eastern Units, Madras, 5 lakhs and 40 lakhs for industrial X-ray films.

Mr. Speaker : Next question please.

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, permit me to put second supplementary question I have asked only one supplementary as in the second, I had sought only the clarification.

Mr. Speaker : You have asked both the supplementaries. Now next question.

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा साम्यपूंजी में भारतीय साझेदारी

*327. **श्री रानेन सेन** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकाकोला निर्यात निगम ने साम्यपूंजी में भारतीय साझेदारी स्वीकार करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुद्ध प्रिय मौर्य): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अधीन अपना कार्य जारी रखने की अनुमति सम्बन्धी आवेदन रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया के विचाराधीन है । मै० कोका कोला निर्यात निगम ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें इसने नियम की 40 प्रतिशत की सहभागिता से एक भारतीय कम्पनी स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है जिसके द्वारा निगम भारतीय शाखा के विद्यमान कार्यों जैसे पेयों का उत्पादन (कोका कोला कन्सेन्ट्रेट को छोड़कर) उनकी अधिकृत भारतीय बोटलरों को बिक्री तथा उक्त बोटलरों को वितरण, फ़िल्म नियन्त्रण और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करने का संचालन करता रहेगा । निगम ने यह भी प्रस्ताव किया है कि कोका कोला सान्द्रण (कन्सेन्ट्रेट) का उत्पादन कोका कोला निर्यात निगम की पूर्व भारतीय स्वामित्व वाली शाखा द्वारा किया जायेगा । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

डा० रानेन सेन : कोका कोला निर्यात निगम कोई ऐसा पेय पदार्थ नहीं बना रहा है जिसके बिना न रहा जा सकता हो और न ही इसमें कोई जटिल तकनीक है । भारत में अनेक प्रकार के पेय शत प्रतिशत भारतीय कम्पनियां तैयार कर रही हैं तथा इस निगम द्वारा निर्यात लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका । और पिछली बार भी इसने न केवल 7 लाख रुपये के मूल्य का पेय निर्यात किया इन बातों के होते हुए भी इसे हर वर्ष लाइसेंस दे दिया जाता है और उस लाइसेंस का मूल्य भी 6 लाख रुपये से बढ़ा कर 9 लाख रुपये तथा पिछले वर्ष इसे 15 लाख कर दिया गया है । मैं इन सब बातों के पीछे छिपे रहस्य को क्या जान सकता हूं ? इस तथ्य के पीछे भी क्या रहस्य है कि इस निगम को विदेशी मुद्रा विनियमन व अधिनियम का उल्लंघन क्यों करने दिया जाता है ? अन्य विदेशी कम्पनियां भी निर्यात कर रही हैं किन्तु वह इस प्रकार इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर रही हैं । किन्तु कोका कोला निर्यात निगम इस प्रकार का उल्लंघन कर रहा है । इसके पीछे क्या रहस्य है तथा इसके पीछे क्या कारण है ?

श्री बी० पी० मौर्य : माननीय मंत्री ने रहस्य के सम्बन्ध में अपना संशय व्यक्त किया है किन्तु इस सम्बन्ध में ऐसा कोई रहस्य नहीं है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत हर फ़र्म पर निगरानी रखी जाती है । और प्रतिवेदन के आधार पर आरम्भ में 16 लाख निर्यात की अनुमति दी गई थी । इसके बाद इसे घटा कर 15 लाख कर दिया गया और अब शायद इसे 15 लाख से भी कम कर दिया जायेगा । जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का सम्बन्ध है मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोका कोला सहित सभी विदेशी कम्पनियों का ध्यान रखेगा । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह 40—60 साम्यपूंजी साझेदारी सूत्र के आधार पर है । इसका जहां तक सम्बन्ध है इसे फ़र्म के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है । किन्तु इसके सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं और उनमें से एक है कोका कोला कन्सन्ट्रेट के सम्बन्ध में ।

डा० रानेन सेन : इस विवरण मे यह कहा गया है कि कम्पनी ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमे इसने कहा है कि 40 प्रतिशत की साझेदारी आदि से भारतीय कम्पनी स्थापित करना चाहती है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में पुरःस्थापित किया गया था और जनवरी 1974 में इसे

पारित किया गया था । उसको दो वर्ष हो गये हैं । जहां अन्य कम्पनियों को पूंजी लगाने को कहा गया है जब कि इस फ़र्म ने इसे स्वीकार नहीं किया है । इस विवरण में भी यह कहा गया है कि इस निगम ने यह प्रस्ताव रखा है कि कोका कोला निर्यात निगम की एक भारतीय शाखा, कोका कोला कन्सन्ट्रेट का उत्पादन करेगी । इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । इसका अर्थ यह हुआ कि कोका कोला निर्यात निगम भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत करेगी और उसमें 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी लगायेगी । और उसे भारतीय कम्पनी की तरह समझा जायेगा । सभा पटल पर रखे गये विवरण के पीछे क्या यही बात है ?

श्री बी० पी० मौर्य : मेसर्स कोका कोला निर्यात निगम ने अपना प्रस्ताव भेजा है । जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत 40–60 की साम्य पूंजी के सूत्र का सम्बन्ध है, वे इस पर सहमत हो गये हैं । परन्तु एक बात पर उन्होंने यह समस्या खड़ी कर दी है कि उनकी एक विश्वव्यापी संस्था है जो लगभग 80 से अधिक देशों में कार्य कर रही है और उनका अपना व्यापारिक सूत्र है । वे सान्द्रण (कान्सेन्ट्रेट) बनाना चाहते हैं और इस व्यवसाय का स्वामित्व शत-प्रतिशत विदेशी होगा । जहां तक इसका सम्बन्ध है, यह प्रस्ताव पूरी तरह से सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह पूर्णरूप से एक भारतीय शाखा होगी ।

डा० रानेन सेन : यहां यह कहा गया है कि कोका कोला सान्द्रण (कान्सेन्ट्रेट) कोका कोला निर्यात निगम की पूर्णतः भारतीय स्वामित्व की शाखा द्वारा तैयार किया जायेगा । क्या इसका मतलब यह है कि यह एक भारतीय कम्पनी के रूप में भारत में पंजीकृत की जायेगी ?

श्री बी० पी० मौर्य : माननीय सदस्य मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें । मेरा कहना यह है कि अन्य बातों के बारे में वे सहमत हो गये हैं । सान्द्रण के बारे में उन्होंने यह कठिनाई व्यक्त की है कि उनका व्यवसाय विश्वव्यापी है ।

(**व्यवधान**)

अब मैं बात को स्पष्ट करता हूं । जहां तक कोका कोला के सान्द्रण के तैयार किये जाने का सम्बन्ध है, यह भारत में शत-प्रतिशत विदेशी कम्पनी होगी । परन्तु मैंने यह कहा है कि कोका कोला निर्यात निगम का यह प्रस्ताव सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के पूर्णतः अनुरूप नहीं है ।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अपने प्रार्थना-पत्र में कोका कोला निर्यात निगम ने इस बात का उल्लेख किया है कि उनकी फ़र्म में लगभग 126 कर्मचारी काम कर रहे है । कच्चे माल की खरीद पर 22.0 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गयी । 81.0 लाख रुपये का लाभ हुआ । गत वर्ष लगभग 7.0 लाख रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया । 143.0 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गयी । वे लगभग 37 अमरीकी गुप्तचर एजेन्टों पर धन खर्च कर रहे हैं । यदि यह सही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोका कोला निर्यात निगम के माध्यम से इन अमरीकी गुप्तचर गतिविधियों को रोकेगी और हमारे देश में 126 लोगों के रोजगार में लगाने पर खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा

को बचायेगी ?

श्री बी० पी० मौर्य : हमारा सम्बन्ध तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से है। अमरीकी गुप्तचर गतिविधियों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास इस सम्बन्ध में कोई ठोस जानकारी है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इसे सरकार को बतायें जिससे गलत काम करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

श्री के० एस० चावड़ा : 126 लोगों के काम में लगाने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ?

श्री बी० पी० मौर्य : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं इसे बाद में दे सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं तो यही समझता था कि इस तरह की विदेशी फ़र्मों को आयात हकदारी कोटा की मंजूरी देने का आशय भारत में विदेशी मुद्रा की आमद है। अन्यथा उन्हें आयात हकदार कोटा देने में कोई औचित्य नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जबकि 1973 1974 और 1975 में उन्हें 16, 15 और 9 लाख रुपये के आयात लाइसेंस दिये गये थे, तब कोका कोला निर्यात निगम का भारत से निर्यात वास्तव में केवल 7 लाख रुपये के मूल्य का ही हुआ इसका मतलब वास्तव में विदेशी मुद्रा आने के बजाय विदेशी मुद्रा का निकास हुआ। डा० सेन ने पूछा कि इसके पीछे रहस्य क्या है ? और मंत्री महोदय ने कहा कि कोई रहस्य नहीं है। परन्तु रहस्य है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश के लिये यह सोचना उचित नहीं होगा कि उसी तरह से जैसा कि लाकहीड और ऐसे ही अन्य निगमों के मामले में अमरीका में भंडाफोड़ किया जा रहा है, कोका कोला की यह विश्वव्यापी कम्पनी अधिकारियों और अन्य लोगों को इस विचार से रिश्वत देने के लिये इस देश में करोड़ों रुपये शायद इसलिये खर्च कर रही है कि उन्हें अनुचित आयात कोटा दिया जाता रहे। दूसरे, उन्होंने यह कहा कि अब वे 40 : 60 के अनुपात में पूंजी लगाने के लिये सहमत हो गये हैं। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। विवरण से पता लगता है कि वे यह कह करके जाल फैला रहे हैं कि वे एक ऐसी नयी कम्पनी में 40 प्रतिशत की सहभागिता के लिये सहमत हैं जो पेयों के उत्पादन, बिक्री, विपणन, किस्म नियन्त्रण आदि जैसे सभी महत्वहीन कार्य करेगी, परन्तु मुख्य चीज तो सान्द्रण है, जिसके लिये कम्पनी कह रही है कि पूर्णत: विदेशी स्वामित्व में एक नयी कम्पनी बनायी जायेगी। यद्यपि उनका कहना है कि यह प्रस्ताव विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुरूप नहीं है, तो विवरण में यह क्यों उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या ऐसे प्रस्ताव उनके विचाराधीन हैं जो उनके अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विरुद्ध हैं ? यदि कोका कोला सान्द्रण भारत में नहीं बनेगा तो कौन सी मुसीबत आ जायेगी ? क्या यह हमारे लिये इतना आवश्यक है ? उद्देश्य क्या है ? श्री पाई ने कहा है कि खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान में एक पदार्थ तैयार किया गया है।

श्री बी० पी० मौर्य : सरकार के सामने मुख्य कठिनाई यह है कि इस समय बोतल भरने के इन संयंत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक लोग लगे हैं। बोतल भरने के 22 संयंत्र हैं और कोका कोला बोतलों की वितरण डिपुओं में 6 करोड़ से अधिक धन लगा है। हमारे सामने यही कठिनाइयां हैं। निस्सन्देह सरकार कोका कोला के स्थान पर बेहतर चीज बनाने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में भी हम कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं। सरकार के उद्देश्य के बारे में मैंने पहले ही इस सम्मानित सभा में बता दिया है कि कोका कोला निर्यात निगम के कुछ प्रस्ताव विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार हैं। परन्तु उनका एक प्रस्ताव, अर्थात् कोका कोला सान्द्रण तैयार करने के लिये कोका कोला कम्पनी के स्वामित्व में वे जो पूर्णतः एक भारतीय कम्पनी स्थापित करेंगे, वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं। चूंकि यह उनके प्रस्तावों का एक अंग है, मैंने अपने मुख्य उत्तर में यह बताया है कि सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रथम प्रश्न, अर्थात् विदेशी मुद्रा के बारे में मुझे उत्तर अवश्य मिलना चाहिये। उन्होंने इसकी अनुमति क्यों दी है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह मान लिया है।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं आंकड़े दे सकता हूं। परन्तु माननीय सदस्य यह जानने को बहुत उत्सुक हैं कि सरकार क्या विचार कर रही है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मेरा अनुपूरक प्रश्न इस संदर्भ में है कि निर्यात बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिये अपनी विदेशी मुद्रा बचाने की बड़ी आवश्यकता है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रथम प्रस्ताव में, जिसमें उनका विचार एक ऐसी भारतीय कम्पनी स्थापित करने का है जिसमें कोका कोला निर्यात निगम की 40 प्रतिशत साम्य पूंजी होगी, पूंजी और लाभांश के विदेशी मुद्रा के रूप में भेजने की व्यवस्था होगी ? क्या इस तरह के सान्द्रण के उत्पादन में विदेशी मुद्रा भेजने की बात भी निहित होगी ? और यदि भारत सरकार से कोई विदेशी मुद्रा ली जायेगी, तो क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की अभिधारणा के भीतर उनके लिये यह संभव नहीं है कि वे इस तरह की शर्तें लगायें कि उन्हें विदेशी मुद्रा अर्जित करनी चाहिये और उसमें से इसके भेजने की अनुमति दी जायेगी ?

ी० पी० मौर्य : जहां तक कोका कोला के पूर्ण स्वामित्व में इस भारतीय कम्पनी के स्थापित करने का सम्बन्ध है, यह न-लाभ न-हानि के आधार पर होगा और यह प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं उनके प्रस्ताव के ब्यौरा दे रहा हूं। उनका प्रस्ताव यह है कि सान्द्रण भारत में उनके बोतल भरने के 22 संयंत्रों में भेजा जायेगा। अतः विदेशी मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

श्री एन० के० पी० साल्वे : विदेशी मुद्रा के भेजने के बारे मे स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात को वह ध्यान में रखेंगे।

हीरा औज़ार उद्योग

***329. श्री पी० गंगादेव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा किये जाने वाले औद्योगिक हीरा औजारों के निर्यात में गत वर्ष कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं , और

(ग) क्या हीरा औजार-उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1974–75 की अवधि में 70.36 लाख रुपये मूल्य के हीरा गढ़ने के औजारों का निर्यात किया गया था जबकि वर्ष 1973–74 में 55.25 लाख रुपये का निर्यात किया गया था । निर्यात समस्त विश्व में भिन्न-भिन्न देशों को किया जाता है । विगत वर्ष में सबसे अधिक निर्यात रूमानिया (18.88 लाख रुपये) और हांगकांग (10 लाख रुपये) को किया गया ।

(ग) देश को हीरा गढ़ने के औजारों की आवश्यकता वर्तमान एककों द्वारा पूरी की जाती है । निर्यातोन्मुख योजनाओं और नये विशेष प्रकार के औजार बनाने को गुणावगुणों के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है ।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के हीरे गढ़ने के औजारों की, विशेषकर मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक देशों में बड़ी मांग है, क्या सरकार का विचार देश में हीरे गढ़ने के औजार-उद्योगों की संख्या बढ़ाने का है और उनके स्वामित्व, स्थान और क्षमता के बारे में लक्ष्य और नीति क्या होगी ?

श्री बी० पी० मौर्य : इस समय 7 कारखाने हैं जो हीरे गढ़ने के औजारों और बरमों के बनाने के कार्य में लगे हैं । हीरे गढ़ने के बरमों और औजारों की लाइसेंस क्षमता क्रमश : 65,000 और 1,75,000 है । लघु पैमाने के क्षेत्र में ऐसे अनेक कारखाने हैं जो कुछ उत्पादों के बनाने में विशेषज्ञ हैं । आशय-पत्र के अन्तर्गत कोई क्षमता नहीं है । कोई भी प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है । गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन इस प्रकार रहा :

वर्ष	संख्या
1973	28,704
1974	32,000
और	
1975	31,000

यह संख्या हीरे गढ़ने के बरमों की है । हीरे गढ़ने के औजारों की संख्या क्रमश: 46,600, 62,189 और 64,000 है । यदि आवेदक हों, तो माननीय सदस्य उन्हें यह विश्वास दिला सकते

हैं कि सरकार उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये तैयार है। परन्तु इस समय कोई भी प्रार्थनापत्र लम्बित नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरल एवं संक्षिप्त समाचार-पत्र

*330. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे समाचार-पत्रों को ग्रामोन्मुखी बनाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान सुझाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरल और संक्षिप्त समाचारपत्रों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा): (क) ग्रामीण क्षेत्रों संबंधी समाचारों को अधिक मात्रा में देने की आवश्यकता पर सरकार द्वारा बार-बार जोर दिया गया है। तथापि, चूंकि समाचारपत्र सरकार द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, इसलिए इस दिशा में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस प्रकार के तरल और संक्षिप्त समाचारपत्रों के प्रकाशन का स्वागत होगा।

श्री आर० एन० बर्मन : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार का समाचार पत्रों पर कोई अधिकार नहीं है और इसलिये इस सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं की जा सकी है। अभी हाल में अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादकों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को सम्बोधित करते समय क्या मन्त्री महोदय ने समाचार पत्रों को ग्रामोन्मुखी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था ?

श्री धर्म वीर सिन्हा : जैसा कि मैंने कहा है, इस देश में समाचार पत्रों को सरकार नहीं चलाती है। मन्त्री महोदय और मैंने, दोनों ने ही पटना में हुए इस सम्मेलन को सम्बोधित करते समय इस बात पर बल दिया था कि सम्पादकों को कहा था कि हमारे समाचारपत्रों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में और अधिक समाचार छापे जाने चाहिये ताकि हमारी जनता जान सके कि गांवों में क्या हो रहा है और वहां क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं। और हमें आशा है कि वह इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अथवा हमारे सूचना पद्धति में ग्रामीण समाचारों को अधिक स्थान दिया जाना चाहिये।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी और उन समाचार पत्रों की सहायता करेगी जो ग्रामीण समाचारों को अधिक स्थान देंगे ?

श्री धर्म वीर सिन्हा : यह बड़ा अच्छा सुझाव है और हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे। यदि कोई समाचार पत्र महत्वपूर्ण समाचार देंगे अथवा ग्रामो-मुखी समाचार देंगे तो यह स्वाभाविक है कि हम उन्हें सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

Shri B.S. Bhaura : The hon'ble minister has stated just now that he had stated in the conference the fact that newspapers giving more coverage to rural news will be given incentives. In view of the fact that the news agencies are under your control now will you appoint such persons with rural outlook on them. It is generally seen that the urbanites have urbans outlock and they do not want to go to the villages and so they fail to depict the real rural life in their newspapers. It is imperative that persons, who have received their education in the villages and have been in close touch with the rural life should be appointed.

Shri Dharam Bir Sinha : Mr. Speaker Sir, first of all I want to clear the misunderstanding that the news agency formed has any connection with the Government or Government runs it. I want to clear this misunderstanding also that the editors of it would be nominated or appointed by Government .

But it is my hope that "Samachar" will provide coverage to those areas which were never covered before.

श्री बी० बी० नायक: ग्रामो-मुखी समाचार पत्रों की मुख्य समस्या वित्त की है।यद्यपि मन्त्री महोदय ने कहा है कि वास्तव में सरकार देश के इन समाचार पत्रों को नहीं चलाती किन्तु फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इन पर काफी प्रभाव रखती है। अतः क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसके अन्तर्गत इन समाचार पत्रों अथवा समाचार बुलेटिनों की, विशेष कर आरम्भ में इनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर किया जा सके ? उदाहरण के तौर पर ध्वनि-दृश्य प्रचार निदेशालय समाचार पत्रों की अधिकतम बिक्री पर बल देता है, इस कर्त को पूरा करना अनेक समाचार पत्रों की पहुंच के बाहर की बात है। क्या इस शर्त को थोड़ी सी अवधि के लिये सरल नहीं बनाया जा सकता ताकि समाचार पत्र स्वयं को स्थापित कर सकें और उसके पश्चात विज्ञान के सम्बन्ध में निर्धारित 2000 प्रतियों सम्बन्धी नियम का पालन करवा सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सरकार की यह नीति है कि वह उन समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देती है जो ग्रामो-मुखी होते हैं और जिनका परिचालन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि प्रश्न वित्तीय कठिनाई है। यहां हम समाचार पत्रों की सीमित रूप से ही सहायता कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हमारी नीति यह है कि हम उन पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले बिना उसकी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। हमें आशा है कि जो नया वातावरण उत्पन्न हुआ है जैसा कि हमें पटना में हुए अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन में देखने को मिला जहां एक के बाद एक सम्पादक ने कहा था कि इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया जायेगा सरकार जो वैध सहायता दे सकती हो अपने साधनों के अनुसार देगी।

केरल में सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना

*331. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का सहकारी क्षेत्र में क्विलोन तथा मालापुरम जिलों में दो कताई मिलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस परियोजना को मंजूरी देने तथा इसके लिये आवश्यक धन मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) व (ग). सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उनको अपनी-अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से दी जा रही है। इस निगम को केरल सरकार से अभी तक क्विलोन तथा माल.पुरम जिलों में सहकारी कताई मिलों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। प्रस्ताव मिलने पर निगम वित्तीय सहायता मंजूर करने के बारे में विचार करेगा।

श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन: क्या मैं इस परियोजना पर होने वाली कुल लागत के बारे में जान सकती हूं तथा इन कताई मिलों में कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनपत्रों को राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जायेगा। जब तक हमें आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो जाते हम मिलों के सही आकार के बारे में तथा कार्य आरम्भ करने के समय के बारे में नहीं बता सकते।

"स्टेट्समैन" के कार्यों की जाँच

*335 **श्री मुहम्मद इस्माईल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्र अर्थ-व्यवस्था संबंधी तथ्य अन्वेषक समिति ने स्टेट्समैन कर्मचारी संघ के महासचिव द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर यह पाया है कि स्टेट्समैन लिमिटेड के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और क्या उसने इसमें कम्पनी के कार्यों की विशेष जांच के लिये सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो स्टेट्समैन लिमिटेड के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) 1973 के दौरान स्टेट्समैन के प्रिंट आर्डर में सत्यापित और व्यापक घट-बढ़ को देखते हुए, समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार ने समाचार-पत्र से इस प्रकार की भिन्नताओं के कारण स्पष्ट करने के लिए कहा था। स्टेट्समैन से उत्तर जनवरी, 1975 में ही प्राप्त हुआ।

स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने और भ्रष्टाचार सार्वजनिक महत्व का मामला होने के कारण इसको कम्पनी कानून बोर्ड के पास भेज दिया गया था। कम्पनी कानून बोर्ड ने दिसम्बर, 1975 में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत कम्पनी को एक नोटिस जारी किया कि वह इस बात का कारण बताए कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस पर, कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध याचिका दायर की और उससे नोटिस पर अन्तरिम स्थगन देने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन दे दिया गया और रिट याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है।

Shri Mohammad Ismail : The enquiry conducted by the Fact Finding Committee against the Statesman found proof that the circulation was shown as 70,000 whereas the number of copies being printed where only 30,000 and these the company was creating the advertisers. Secondly, the employees who gave evidence before the committee have been suspended and 18 persons are still under suspension. I want to know whether these are facts or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : The points raised by the honourable members are true to a great extent. The first thing is that the Fact Finding Committee had levelled serious Charges against the Statesman ! and we took action accordingly. I want to tell the House what was Stated by them.

मैं तथ्य अन्वेषण समिति के प्रतिवेदन से उदधृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा है :

"यहां यह उल्लेख किया जाना होगा कि स्टेट्समैन कर्मचारी संघ ने दैनिक पत्र के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये थे। यह कहा गया था कि इस पत्र की बड़ी संख्या में प्रतियां प्रकाशित की जाती थीं और उन्हें पाठकों में वितरित करने के स्थान पर एक दम रद्दी में बेच दिया जाता था। यह भी कहा गया था कि प्रत्येक दिन अलग-अलग संख्या में प्रतियां प्रकाशित की जाती थीं जिन दिनों समाचार पत्र की पृष्ठ संख्या अधिक होती थी अर्थात् जिन दिनों में मंजूरी के अर्थ में फुटकर मूल्य अधिक होता था उन दिनों काफी अधिक संख्या में प्रतियां प्रकाशित की जाती थीं।

"द स्टैट्समैन" ने तब तक समिति द्वारा मांगी गई दैनिक प्रकाशन आदेश सम्बन्धी सूचना नहीं दी जब तक उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की धमकी नहीं दी गई। प्रकाशन आदेश सम्बन्धी दिये गये आंकड़ों में असाधारण विभिन्नता पाई गई है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें विशेष जांच की आवश्यकता है।"

It is a fact that the persons who informed the fact finding inquiry Committee were suspended by the Statesman Management and we have told the Labour Ministry that they should ensure that no action is taken against them which may harm their service conditions and we are also vigilant that their service is not endangered.

Shri Mohammad Ismail : The employees have appealed you for protection. In the "Times of India' case, its employees made a representation on their being removed from their services. They were given protection in accordence with the Company law. The appeal sent by them has been received by you or not. Whether you are prepared to give them protection or not ? These 18 persons have been in troubles for the last three years because they have been suspended. They have submitted their appeal to you and the Prime Minister and I have also got a copy of it.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने स्टेट्समैन से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके कलकत्ता संस्करण तथा दिल्ली संस्करण के विक्रय मूल्य में इतना भारी अन्तर क्यों है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन सब बातों की जांच हो रही है।

श्री बसन्त साठे : क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम स्थगन को रद्द करने का कोई प्रयास किया गया है और क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या वह इस अन्तरिम स्थगन के कारण इस समाचार पत्र के विरुद्ध वास्तव में किसी प्रकार की भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : निश्चय ही हमने अन्तर-मंत्रालय अभिलेख शीघ्रा-शीघ्र प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की है। इस समय स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय अब निर्धारित समय से अधिक समय ले रहा है। उच्च न्यायालय में इस मामले के सम्बन्ध में हम सभी सम्भव कानून सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं।

———

996 LS—2.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में एकाधिकार

*324. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 1976 को नई दिल्ली में नागरिक पूर्ति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति के समक्ष भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि आवश्यक वस्तुओं और आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में विद्यमान एकाधिकारों को समाप्त किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ख). 2 मार्च, 1976 को नागरिक पूर्ति सलाहकार समिति को सम्बोधित करते हुये उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री ने कहा था कि बड़े पैमाने के एककों द्वारा किये गये उत्पादन कार्य की जांच की जा रही है, ताकि उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता तक उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक वस्तुओं और आम खपत की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण करने वाले एकाधिकार संस्थानों की जांच इस उद्देश्य से की जा रही है कि उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन में विविधता लाई जाये और उसे बढ़ाया जाये, ताकि उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार प्रतियोगी दरों पर कई किस्मो की आवश्यक वस्तुओं का चयन कर सकें।

सरकार ने संगठित क्षेत्र में आवश्यक विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं। उत्पादन को नियमित रूप से मोनीटर किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठित क्षेत्र, जिसमें बड़े उद्योग भी शामिल हैं, इस सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व पूरा करे। आम खपत की कई विनिर्मित वस्तुओं, जैसे लांड्री साबुन, जूते, दिया सलाइयां, बर्तन तथा साइकिल टायर और ट्यूबों को लघु औद्योगिक क्षेत्र में तैयार करने के लिये आरक्षित किया गया है। वितरण के क्षेत्र में एक मात्र बिक्री एजेन्टों को समाप्त करने के लिये क्रमिक रूप से कदम उठाये गये हैं। सितम्बर, 1975 से चीनी, वनस्पति, सीमेंट और कागज के उद्योगों में एक मात्र बिक्री एजेन्टों की भावी नियुक्तियों पर पाबन्दी लगा दी गई है। 1975 वर्ष के दौरान एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति आयोग ने 25 ऐसे फैसले दिए जिनमें प्रतिस्पर्द्धा को रोकने या बिगाड़ने वाली कई एकाधिकारी व्यापार पद्धतियों को समाप्त किया गया अथवा रद्द घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त आयोग के कई अन्तरिम आदेश भी निकले हैं जिनमें विभिन्न निदेश दिये गये हैं। इन आदेशो के अन्तर्गत लाये गये उपभोज्य उत्पादों में ये शामिल हैं बिजली के पंखे, जूतें, सिलाई मशीनें, साबुन तथा धुलाई समाग्री, डिब्बों व बोतलों में बंद खाद्य सामग्री वनस्पति व परिष्कृत तेल, जी एल० एस० लैम्प और प्रैशर कुकर। इसके साथ-साथ औद्योगिक नीति में जिस बात पर बल देना जारी है उसका उद्देश्य यह है कि निजी

एकाधिकार के आविर्भाव और कुछ व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्ति को केन्द्रित होने से रोका जाये।

त्रिपुरा में पाई गई गैस से तापीय संयंत्र आरम्भ किया जाना

***328. श्री बीरेन दत्त** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पाई गई गैस से तापीय संयंत्र आरंभ करने के लिए कोई धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). त्रिपुरा की वार्षिक योजना में 1976—77 के लिए 100 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है किन्तु शर्त यह है कि प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित रूप से सिद्ध हो जाने तथा परियोजना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के बाद ही जैनरेटिंग सैट के लिए आर्डर दिया जाना चाहिए ।

गैर-सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

***332. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश की सभी गैर-सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इस्पात कारखानों की ग्रहीत खानों को छोड़कर सभी ज्ञात निजी कोककर कोयला खानों का 1972 में तथा अकोककर कोयला खानो का 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद निजी पट्टों के मामले प्रकाश में आए तथा केन्द्र सरकार के निर्देश पर ऐसे 54 खनन पट्टों को रद्द कर दिया गया और उन्हें सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को मंजूर कर दिया गया।

आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आदिवासी विकास निगमों की स्थापना

***333. श्री दशरथ देव**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने विभिन्न सघन आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य आरम्भ करने के लिये आदिवासी विकास निगम अथवा एजेंसियां स्थापित की हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों के उक्त निगमों अथवा एजेंसियों द्वारा जो कार्य आरम्भ किये जायेंगे उनकी मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख). विवरण i तथा ii सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण - I

विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये आदिवासी विकास नियमों तथा आदिवासी विकास एजेंसियों की सूची

	राज्य	आदिवासी विकास निगम का नाम	आदिवासी विकास एजेन्सी परियोजना क्षेत्र
1	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश गिरिजन सहकारी निगम विशाखापटनम।	आदिवासी विकास ऐजेंसी, श्रीकाकुलन।
2	बिहार	बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम।	आदिवासी विकास एजेंसी, सिंहभूम।
3	गुजरात	गुजरात आदिवासी विकास निगम, अहमदाबाद।	--
4	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य आदिवासी सहकारी विकास संघ।	आदिवासी विकास एजेंसी दन्तवाड़ा (बस्तर)। आदिवासी विकास एजेंसी कोटा (बस्तर)।
5	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास निगम।	--
6	उड़ीसा	आदिवासी विकास सहकारी निगम लि०, उड़ीसा।	आदिवासी विकास एजेंसी, गंजम, आदिवासी विकास एजेंसी कोरापट। आदिवासी विकास एजेन्सी, कोयनझाड़। आदिवासी विकास एजेंसी फूलबनी।
7	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल आदिवासी विकास निगम।	--

विवरण II

गुजरात को छोड़कर आदिवासी विकास निगम प्राथमिकरूप से या तो मुख्य समितियों अथवा उनकी अपनी शाखाओं के माध्यम से कृषि तथा लघु वन उपज का विपणन तथा अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा निवेश की बिक्री के कार्य हाथ में लेते हैं। कुछ मामलों में वे उपयोग ऋण भी देते हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने आन्ध्र प्रदेश गिरिजन सहकारी निगम को केन्द्रीय वित्तदाता एजेंसी के रूप में मान्यता दी है और उत्पादन ऋण भी प्रदान करता है। गुजरात निगम गैर-व्यापारी संगठन है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि मंत्रालय की योजना के अधीन चौथी योजना अवधि के दौरान छः आदिवासी विकास एजेंसियां गठित की गई थी। अब तक पांचवीं योजना अवधि के दौरान दो एजेंसियां और बढ़ाई गई हैं। इन एजेंसियों के अधीन गहन कार्यक्रम कृषि विकास को बढ़ावा देने के संबंध में हैं इन में भूमि विकास, बागवानी, भूसंरक्षण, लघु सिंचाई, भूमिहीन आदिवासियों का पुनर्वास तथा पशु-पालन का विकास सम्मिलित हैं। चौथी योजना में आरम्भ की गई छः परियोजनाओं में प्रत्येक के लिए परिव्यय 2 करोड़ रुपये हैं तथा पांचवीं योजना में आरम्भ की गई परियोजनाओं में प्रत्येक के लिए परि-व्यय 1.50 करोड़ रुपये हैं।

बम्बई में पारपत्रों का घोटाला करने वाला गिरोह

*334. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में हाल ही में पारपत्रों का घोटाला करने वाला एक अन्तर्राज्यीय गिरोह पकड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन लोग पकड़े गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) : सितम्बर, 1975 में बम्बई पुलिस ने एक मामले का पता लगाया था जिस में अपराधी व्यक्तियों पर जाने वाले प्रवासियो को भारतीय जाली पारपत्र देने का आरोप था। निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था :—

1. सरबन मंगाराम
2. देवीचन्द बतनाराम
3. ओम प्रकाश आत्माराम दत्ता
4. ठाकुरदास मल्होत्रा

अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

प्रतिभा पलायन

*336. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**

श्री सरोज मुकर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में खड़गपुर में दिये गये इस वक्तव्य के संदर्भ में कि भारत से प्रतिभा-पलायन बन्द होना चाहिए, सरकार का ऐसी क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है कि हमारे वैज्ञानिक भारत में ही रहें ; और

(ख) विदेशों में रह रहे हमारे वैज्ञानिकों को वापस बुलाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) भारत सरकार अपने वैज्ञानिकों के लिए देश में ही रोजगार के सुअवसर उत्पन्न करते हुए निरंतर वैज्ञानिकों का भारत से पलायन रोकने पर विचार कर रही है। इस दिशा में किये गये उपायों की एक सूची सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट I)।

(ख) अपने वैज्ञानिकों की विदेशो से भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाये है। इस सम्बन्ध में किये गये उपायों की एक सूची सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट II)।

कुछ अन्य उपाय विचाराधीन हैं, जो इस प्रकार हैं :-

(अ) अत्यन्त आवश्यक, जिन श्रेणीयों के व्यक्तियों की कमी है, को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध।

(ब) विदेशो में कमाये गये धन का एक हिस्सा देश को वापस करना

इन उपायों के प्रशासनिक और कानूनी तथ्यो की जांच की जा रही है।

विवरण -I

वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चिकित्सा कार्मिकों आदि को रोजगार के अवसर उन्नत करने के लिए किये गये उपाय :—

(1) रोजगार के लिए उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण देते हुए जनशक्ति मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन की लगभग तीन तीन हजार प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनो को निशुल्क वितरित की जाती हैं ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा हो सके।

(2) भरती करने वाले निकायो तथा रोजगार देने वालों की परिषद् को प्रेषित अधिसूचनाओ के प्रत्युत्तरों में योग्य प्रत्याशियों के नामों को सिफारिश की जाती है।

(3) सी० एस० आई० आर० प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करता है और उन विज्ञापनों के मुताबिक उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृत व्यक्तियों को विचारार्थ सिफारिश भी करता है।

(4) सी० एस० आई० आर०, यू० जी० सी०, आई० सी० एम० आर० आदि द्वारा अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(5) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अनुसंधान योजनाओं के लिए विभिन्न अधिकरणों द्वारा धन लगाया जाता है। इस प्रकार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

(6) सी० एस० आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के पूल की योजना में उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों आदि को अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है।

(7) विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को जल्दी रोजगार में नियमित करने के लिए अधिसंख्यक पदों की योजना चल रही है।

(8) बेरोजगार उद्यमी व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(9) वैज्ञानिकों, इंजीननियरों और प्रौद्योगिकी विदों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे नये कार्यों के लिए राष्ट्रीकृत बैंक भी आवश्यकतानुसार कुल पूंजी प्रदान करते हैं।

(10) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी विदों द्वारा गठित औद्योगिक सहकारी [illegible] योजना को सरकारी अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। इस अनुदान की राशि [illegible] लगाई गई पूंजी से तीन गुणी अधिक होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा जो [illegible] प्रदान की जायेंगी वे इस प्रकार हैं:—किराया उपयुक्त मामलों, कुछ [illegible] की छूट देना, चुंगी बिजली आदि विविध व्यवस्थायें प्रदान करना।

(11) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी [illegible] क्षेत्र में अपने उच्च योग्यता प्राप्त विद्वानों को आकर्षित करने के लिये कई [illegible]

(12) विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम द्वारा पंचम [illegible] योजना का लक्ष्य वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चिकित्सकों सहित अन्य श्रेणी के रोजगार [illegible] वालों को रोजगार प्रदान करना है। यह आशा की जाती है कि कृषि, वृहद और मध्यम सिंचाई, [illegible] संरक्षण, उद्योग, जन-स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में और साथ ही साथ संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, [illegible] श्रेणी के क्षेत्रों और समन्वित सेवाओं और व्यापार तथा वाणिज्य आदि के क्षेत्रों में क्षत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा पंचम पंचवर्षीय योजना में काफी संख्या में रोजगार के सुअवसर पैदा होंगे।

विवरण II

भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय :—

(1) राष्ट्रीय रजिस्टर का एक विशेष अनुभाग "प्रवासी भारतीय" अनुभाग विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का पंजीकरण करने के लिये चलाया जाता है। निर्धारित निर्देशिकाओं के रूप में भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी उद्योगों, और विशाल निजी प्रतिष्ठानों में उनके विवरण प्रसारित किये जाते हैं। ऐसे कार्मिकों के विवरण वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

(सी० एस० आई० आर०) की मासिक पत्रिका "टैक्नीकल मैन पॉवर" (तकनीकी जनशक्ति) में भी प्रकाशित किये जाते हैं। इस पत्रिका की प्रतियां 3000 संगठनों को निशुल्क वितरित की जाती हैं।

(2) संघीय लोक सेवा आयोग और बहुत से राज्यलोक सेवा आयोग इस बात पर सहमत हो गये है कि राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवारी भारतीय अनुभाग में जिन प्रत्याशियों के विवरण है, को उनके द्वारा विज्ञापित पदों के लिये "व्यक्तिगत संपर्क" के प्रत्याशियों के रूप में माना जायेगा।

(3) विदेशों के उत्पादन एककों (कारखानों) में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों, प्रोद्योगिकी-विदों और इंजीनियरों को भारत वापिस आने और यहां अपने देश में अपने उद्योग विशेषकर जिस क्षेत्र की उत्पादन प्रोद्योगिकी में उन्होंने कौशल प्राप्त किया है उस क्षेत्र में उद्योग प्रारंभ करने की दिशा में उनको आकर्षित करने के लिये "एक पूश्त योजना" स्वीकृत की गई हैं।

(4) किसी कार्य के लिये बगैर किसी आश्वासन के विदेशों से लौटने वाले उच्च योग्यता भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों को सी०एस०आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिक पूल में अस्थाई रोजगार दिया जाता है।

(5) मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों में अधिसंख्यक पदों का निर्माण किया जा सकता है जिन पर विदेशों में अध्ययनरत या कार्यरत वैज्ञानिकों में से कुछ को अविलम्ब अस्थाई नियुक्तियां प्रदान की जा सकती है।

Target and Achievement of Coal Production

*337. **Shri Shankar Dayal Singh :** will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) the target fixed for coal production for the last six months and the production made during the period;

(b) the collieries in which the production was the highest; and

(c) the production target fixed for the current year?

The Minister of Energy (Shri K.C. Pant) : (a) Against the target of 50·66 million tonnes for the last six months (Sept. 75—Feb. 76) the actual production of coal was 51·27 million tonnes.

(b) The Collieries, where the production was the highest, are Kathara (in Bihar) and Jhirgurdah (in M.P.)

(c) The Coal production target for the year 1975-76 is 98·00 million tonnes.

जालन्धर में टेलीविजन केन्द्र चालू करना

*338. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालन्धर टेलीविजन केन्द्र का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) जालन्धर से कार्यक्रम कब तक प्रस्तुत होने आरम्भ हो जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) : जलन्धर दूरदर्शन केन्द्र के 1978–79 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1976–77 के लिए राज्यों को नियत राशि

*339. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के कुल 500 करोड़ के नियतन में से पहाड़ी क्षेत्रों/प्रदेशों के विकास हेतु राज्यों को कोई नियतन किया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) और (ख). पांचवीं योजना को अंतिमरूप देने के साथ पांचवीं योजना की अवधि में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के राज्यवार आवंटन को भी अंतिमरूप दिया जाएगा। वर्ष 1976–77 में प्रत्येक राज्य और पश्चिमी घाट के कार्यक्रम के लिए आवंटन का एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) और (घ). विभिन्न राज्यों में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाई जानेवाली कार्यनीति अलग-अलग होगी, इसलिए समान मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट भौतिक-भौगोलिक दशाओं और स्थाई निधि स्रोतों को ध्यान में रखते हुए अपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समेकित योजनाएं तैयार करें।

विवरण

निम्नलिखित के पहाड़ी क्षेत्र	(करोड़ रुपये)
1. उत्तर प्रदेश	22.00
2. असम	5.00
3. पश्चिम बंगाल	3.00
4. तमिलनाडु	1.50
पश्चिमी घाट क्षेत्र	
1. महाराष्ट्र	1.40
2. केरल	1.18
3. कर्नाटक	0.90
4. तमिलनाडु	0.80
5. गोवा, दमन और दीव	0.22

सिक्किम का आर्थिक विकास

*340. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम के आर्थिक विकास के लिए सभी सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) भारत सरकार सिक्किम के आर्थिक विकास में हमेशा ही विशेष दिलचस्पी लेती रही है और इस संबंध में सिक्किम को हर सम्भव सहायता देने का भी प्रयत्न करती रही है। इस राज्य के आर्थिक विकास के लिए कार्य-नीति तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष दल का गठन किया। इस दल का नेतृत्व योजना आयोग के सदस्य ने किया। इस दल की सिफारिश के अनुसार और सिक्किम सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, सिक्किम की 1975-76 की वार्षिक योजना के लिए 6.31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। सिक्किम सरकार के अधिकारियों, योजना आयोग और सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के मध्य विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद सिक्किम राज्य की वर्ष 1976-77 की योजना के लिए 12.20 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इस योजना में शामिल जिन मुख्य कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा वे हैं। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर पर्याप्त बल देते हुए ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग व लघु उद्योग और राज्य की खनिज और वन सम्पदा का पता लगाना और उपयोग करना है।

'अंडमानी' और 'औंज' लोगों का पुनर्वास

1654. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान द्वीप समूह में अंडमानी और औंज जनजातियों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्य सुस्थापित जातियों और समुदायों के समकक्ष लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) :(क) तथा (ख). अंडमान द्वीप समूह में अंडमानी तथा औंज संघ शासित क्षेत्र की आदिम जनजाति समुदायों में से दो हैं। अंडमानियों का स्टेट द्वीप समूह में पुनर्वास कर दिया गया है। औंजी लिटिल अंडमान में रहते हैं जिनके लिये द्वीप का एक भाग आरक्षित किया गया है।

इन समुदायों के विकास के लिये कार्यक्रम संघ शासित क्षेत्र की योजना के पिछड़े वर्ग क्षेत्र तथा आदिम जनजाति समुदायों के लिये केन्द्रीय सरकार के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए इन समुदायों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध हैं। फिर भी इन समुदायों को विशेष समस्या का सामना करना पड़ रहा है—उनकी संख्या कम हो रही है। अंडमानी आर्थिक रूप से समृद्ध समुदायों के संपर्क में रहे हैं लेकिन औंज अभी तक बिल्कुल अलग रहे हैं। केवल कुछ वर्षों से डुगोंगक्रीक के निकट एक समुदाय के साथ नियमित रूप से सम्पर्क किये जा रहे हैं। औंज अर्थ व्यवस्था के स्तर की

तुलना पाषाण युग से की जा सकती है। इसलिये उनके विकास के संबंध में बहुत सावधानीपूर्वक नीति अपनाई जा रही है। भारत सरकार ने हाल में इन समुदायों के विकास के लिये मुख्य आयुक्त को नीति संबंधी सलाह देने तथा कार्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए एक परामर्शदायी समिति का गठन किया है जिस में मुख्य आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग में संयुक्त सचिव, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक, आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के एक प्रतिनिधि तथा एक विख्यात मानव विज्ञानवेता हैं। इस समिति ने फरवरी, 1976 के महीने में इन समुदायों से भेंट की है और उनके कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया है। उनकी विस्तृत सिफारिशों की प्रतीक्षा है। इस बीच स्टेट द्वीप समूह और लिटिल निकोबार द्वीप समूह में प्रशासन अपनी सामान्य विकासशील गतिविधि चला रहा है।

अब अपनाई गई नीति में इन समुदायों के स्वास्थ्य की समस्या को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के प्रतिनिधि ने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है। इसके बाद और विस्तृत जांच की जायगी तथा उपचारी उपाय किये जायेंगे।

कार्यक्रम बनाने में पर्याप्त रूप से लचीलापन लाने तथा कार्यान्वयन को तेज करने के प्रयोजन से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने मार्च, 1976 में एक समिति पंजीकृत कराई है जिसका नाम अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति है।

कलपक्कम में मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का निर्माण

1655. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलपक्कम में मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना पर कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है और उसके निर्माण का क्या समय निर्धारित किया गया है ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) अब तक किये गए कार्य की रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के दो यूनिटों, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी, के लिए 147.72 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय संस्वीकृत किया जा चुका है तथा वर्तमान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, परियोजना का पहला यूनिट सन् 1978 के आरम्भ में और दूसरा यूनिट सन् 1979 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा।

(ख) परियोजना के दोनों यूनिटों पर फरवरी, 1976 तक 90.51 करोड़ रुपये लग चुके हैं।

(ग) दोनों यूनिटों के निर्माण की दिशा में अब तक हुए काम का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

यूनिट–I

सारा सिविल निर्माण-कार्य पूरा हो गया है। प्रमुख न्यूक्लीय उपकरणों को लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। टर्बो-जैनरेटर लगाया जा रहा है। तट से दूर समुद्र में कंडेंसर कूलिंग वाटर सिस्टम बनाने से संबंधित सिविल-कार्य पूरा कर लिया गया है।

यूनिट–II

टरबाइन भवन से संबंधित सिविल निर्माण-कार्य पूरा हो गया है और रिएक्टर भवन से संबंधित काम पूरा होने वाला है। प्रमुख न्यूक्लीय एवं परम्परागत किस्म के उपकरण बनाए जा रहे हैं।

Scheme For Agricultural School for Adivasis in Madhya Pradesh

1656. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the former ruler of Alirajpur, District Jhabua, Madhya Pradesh had donated his private land many years ago for an agricultural school for imparting training in agriculture to Adivasis and a scheme was also formulated by Madhya Pradesh Government in this regard.

(b) if so, progress made so far in the execution of the scheme :

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERY OF HOME AFFAIRS

(c) Whether Central Government have provided some funds to the Madhya Pradesh Adivasi Welfare Department for the Scheme ; and

(d) Whether it has been decided to name the above school as Nehru Memorial Agricultural Education School ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri H.F. Mohsin): (a) Yes Sir.

(b) Gift deed has been signed and collector has been requested to take possession.

(c) An amount of Rs. 10 lakhs was allowed for being utilised for the establishment of the Institution during 1974-75 out of the T.D. Grant of the State for that year.

(d) Decision regarding naming of school not yet taken.

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

1657. **श्री समर सिंह गुह :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान कपड़ा, साबुन, चाय, चीनी, जूते, माचिसें आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का कुल कितना उत्पादन हुआ और उनकी प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही; और

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान कितने उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति खपत की आशा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में कुल उपभोक्ता वस्तुओं का कुल उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धि बताने वाला एक विवरण संलग्न है। 1975–76 के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

1973–74 और 1974–75 में चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन।

			उत्पादन		प्रति व्यक्ति उपलब्धि		
क्रमांक	वस्तु	गणना की	1973-74	74-75	एकक	1973-74	74-75
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खाद्य तेल .	मिलि मीट्रिक	8.85	8.36	किलो	3.4	3.2
2.	वनस्पति	हजार मी०टन	449.3	351.7	"	0.8	0.6
3.	चीनी .	हजार मी०टन	3744.0	465.0	"	6.0	5.8
4.	सूती कपड़ा .	मिलिमीटर	7946.6	8267.6	"	12.0	12.9
	(क) मिल क्षेत्र	"	4083.8	4450.4	मीटर		
	(ख) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र .	"	3863.0	3817.2	"		
5.	हाथ से बनाया गया रेशा .	"	845.9	862.9	"	1.5	1.4
6.	चाय	"	468.0	493.6	ग्राम	421	435
7.	काफी	"	87.0	86.1	"	64	63
8.	साबुन (केवल संगठित क्षेत्र)	"	240.0	228.6	उपलब्ध नहीं है।		
9.	माचिस (केवल संगठित क्षेत्र)	50 के मिलि बाक्सेज	4470.0	4246.0			
10.	जूते (केवल संगठित क्षेत्र)	मिलि जोड़े	56.9	56.7			

एफ० प्रमुख तिलहन का उत्पादन

साबुन, माचिस और जूतों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि के आंकड़ों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र में इन वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन होता है अतः इसके वास्तविक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इसमें चमड़ा (पश्चिम देशों के तथा भारतीय) रबड़ और प्लास्टिक के जूते भी शामिल हैं।

Production and Consumption of Salt

1658. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) Whether export of salt has gone down because of its poor quality and absence of loading facilities at Ports ;

(b) total Production of satl in India and its domestic consumption (including consumption in industries) ; and

(c) the steps taken by Government to remove the difficulties faced in matters of its exports, increase its consumption by industries and prepare various by-products therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P Maurya) (a) No. Sir, Export of salt during 1975 was considerably higher than that achieved during each of the four years preceding that year. While the quality of our salt is good enough for export purposes, if mechanical handling facilities to increase loading rate are provided at the ports, the export of salt can be augmented further.

(b) In the year 1975, while the total production of salt in India was 59 lakh tonnes, its domestic consumption for edible and industrial purposes was 32 lakh tonnes and 20 lakh tonnes respectively.

(c) Government are considering a scheme to provide mechanical handling facilities at Kandla Port, with a view to increasing the loading rate from 1500 tonnes per day to 10,000 tonnes per day. During the period of the Fifth Five Year Plan, industrial consumption of salt is expected to increase because of the expansion of Caustic Soda and Soda Ash industries in whcich s alt is required for captive use. Several by-products like sodium Sulphate, Sodium Sulphide, Burkette, Gypsum etc, are already being recovered in the course of manufacture of salt. It is one of the terms of licence for manufacture of salt that large scale manufacturers should recover by-produc s

बिहार के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को शिक्षा-वित्तीय-सहायता

1659. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 के पश्चात् बिहार के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को शिक्षा-वित्तीय सहायता नहीं दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामवासियों में अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति

1660. श्री नुरुल हुडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के कितने प्रतिशत ग्रामवासी दैनिक या साप्ताहिक समाचार-पत्र पढने और समझने में समर्थ हैं; और

(ख) देश के ग्रामवासियों में अखवार पढ़ने की प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता की प्रतिशतता 23.7 प्रतिशत है, किन्तु यदि समाचार-पत्र पढ कर

सुनाया जाय तो उसके समझने वालों की प्रतिशतता कहीं अधिक होगी। इस प्रकार के ग्रामवासियों की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है।

(ख) देश में साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए किये गये विभिन्न उपायों और छोटे/मझोले दर्जे के समाचारपत्रों को समर्थन देने की सरकार की नीति से ग्रामवासियों में समाचार-पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़नी चाहिये।

भारत की जल-सीमाओं का अतिक्रमण

1661. **श्री शशि भूषण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में और वर्ष 1976 में अब तक मछली पकड़ने वाली कितनी विदेशी नौकाओं ने भारत की जल-सीमाओं का अतिक्रमण किया ;

(ख) वे नौकायें किन-किन देशों की थीं ;

(ग) उनमें से कितनी नौकायें पकड़ी गई और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(घ) भारत की जल-सीमाओं को अतिक्रमण से बचाने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) विचाराधीन अवधि में, मछली पकड़ने वाले 46 विदेशी जहाजों को भारतीय जल-सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए पाया गया।

(ख) जिन जहाजों की पहचान की गई वे थाईलैण्ड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेशिया, दूबाई, सिंगापुर और पाकिस्तान के थे।

(ग) बीस जहाजों को पकड़ा गया था और इन जहाजों से 334 विदेशी व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया था।

(घ) नौसैनिक और पुलिस जहाजों द्वारा जल-सीमाओं का गहन गश्त किया जा रहा है।

सेवा से हटाये गये सरकारी कर्मचारियों की अपीलों पर पुनर्विचार करने के लिए पुनर्विचार समिति गठित करने के लिए राज्यों को अनुदेश

1662. **श्री वसन्त साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे अनुदेश जारी किए हैं कि वे आपात स्थिति के लागू होने पर सेवा से हटाये गए सरकारी कर्मचारियों की अपीलों पर विचार करने के लिए पुनर्विचार समितियां गठित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों के गठन और कार्यकरण के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य सरकारों को भेजे गए हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कितनी राज्य सरकारें ऐसी समितियां गठित कर चुकी हैं और उन राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, जिन्होंने ऐसी समितियां अभी तक गठित नहीं की हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य-मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) राज्य सरकारों को एक सुझाव दिया गया है कि वे राज्य सरकार के उन कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए, जिन्हें समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया गया था, राज्यों में उपयुक्त मशीनरी स्थापित करने के लिए विचार करें।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं दिए गए हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इसी प्रकार के अभ्यावेदनों को निपटाए जाने के लिए जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति सूचना के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

(ग) अब तक चार राज्य सरकारों ने पुनरीक्षा समितियां गठित की हैं। शेष राज्यों में मामला अभी तक विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1976-77 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

1663. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के लिए कुल कितना योजना परिव्यय नियत किया गया था; और

(ख) वर्ष 1976-77 के लिए कुल कितना योजना परिव्यय नियत किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश को 1973-74 से 1976-77 तक की वार्षिक योजनाओं के आकार इस प्रकार से हैं :

वर्ष	(करोड़ रुपए) कुल अनुमोदित परिव्यय
1973-74	144.36
1974-75	152.25
1975-76	213.38
1976-77	272.00

झरिया नगरी की सुरक्षा

1664. **श्री एस० आर० दामाणी** :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार एजेन्सी की उस खबर के बारे में तथ्य क्या है जिसके अनुसार सम्पूर्ण झरिया नगरी ऐसे स्थान पर बसी हुई बताई गई है जो कोयला खनन-कार्य के कारण नीचे से खोखला हो गया है ;

(ख) क्या इस नगरी की सुरक्षा के बारे में पता लगाने हेतु कोई तकनीकी सर्वेक्षण किया गया है और उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) भविष्य में दुर्घटना से बचने के लिए क्या अग्रिम सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) झरिया बस्ती का केवल एक भाग ऐसे स्थान पर स्थित है, जो भूमिगत खनन कार्यों द्वारा विकसित हुआ था।

(ख) और (ग). कुछ साल पहले सरकारी एजेंसियों द्वारा एक तकनीकी सर्वेक्षण किया गया था जिसके आधार पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा झरिया बस्ती के नीचे कोयला परतों के विकास के लिए कुछ विशेष प्रतिबन्ध लगाए गए थे। इन प्रतिबन्धों को ध्यान में रखकर भारत कोकिंग कोल लि० भूमिगत खानों में खुदाई कार्य कर रहा है।

बहराइच में थारू व्यक्तियों के लिए उद्योग स्थापित किया जाना

1665. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में थारु अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जिन क्षेत्रों में रहते हैं, वहां (सरकारी या गैर-सरकारी) किसी भी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित किया गया है, और

(ख) क्या उक्त जनजाति की दशा में सुधार करने के लिए कोई उद्योग स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० मौर्य) : (क) औद्योगिक लाइसेंस आदि से सम्बन्धित आंकड़े जिलेवार और राज्यवार रखे जाते हैं न कि क्षेत्रवार 1974–75 के दौरान बहराइच जिला (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किये जाने के लिये दो औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे जिनका कार्यन्वयन हो रहा है। इसके अलावा बहराइच जिले में लघु उद्योग क्षेत्र में वर्ष 1973 के अन्त तक 187 एककों का पंजीयन किया गया था।

(ख) बहराइच जिले के लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा एक औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण किया गया था जिसमें इस जिले में कुछ उद्योगों के विकास करने का सुझाव दिया गया है।

मध्यप्रदेश के गाँवों में विद्युतीकरण

1666. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मध्य प्रदेश राज्य में विशेषकर रीवा क्षेत्र के गांवों में बिजली लगाने संबंधी कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसमें तीव्रता लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश में 70,883 गांव हैं। 15 मार्च, 1976 तक 11,672 गांवों (16.5 प्रतिशत) को बिजली दी जा चुकी है। राज्य के रीवा

क्षेत्र में रीवा सीधी, शहडोल तथा सतना जिले हैं और इनके गांवों की कुल संख्या 7,826 हैं। इनमें से, 15 मार्च, 1976 तक 809 गांवों (10.3 प्रतिशत) को बिजली दी जा चुकी है।

(ख) मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण की गति को तेज करने की दृष्टि से, पांचवीं योजना की रूप-रेखा में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था नीचे लिखे अनुसार की गई है :—

1. राज्य का सामान्य विकास कार्यक्रम . . .	20 करोड़ रुपये
2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	55 "
3. ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का सामान्य कार्यक्रम .	26 "

आशा है कि इस परिव्यय के फलस्वरूप राज्य की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

महाराष्ट्र में जन जातीय विकास के लिए उप-योजना

1667. **श्री जैड० एम० काहनडोल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन जातीय विकास के लिये उप-योजना में महाराष्ट्र के किन-किन जिलों को सम्मिलित किया गया है और उपयोजना में सम्मिलित योजनाएं क्या हैं ;

(ख) कुल परिव्यय में केन्द्र का क्या अंश है ; और

(ग) इसमें से नासिक जिले में कितना व्यय किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) थाना, नासिक, धुलिया, अहमदनगर, पूना, नांदेड, अमरावती, यवतमाल तथा चन्द्रपुर जिले के जन जातियों के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को महाराष्ट्र में जन जातीय विकास के लिये उपयोजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

उपयोजना में विकास के सभी पहलू आ जाते हैं तथा इसमें कृषि, सहकारिता एवं सामुदायिक विकास, सिंचाई एवं बिजली, उद्योग एवं खान, परिवहन एवं संचार तथा सामाजिक सेवाओं के कार्यक्रम सम्मिलित है।

(ख) तथा (ग). महाराष्ट्र की उपयोजना के आकार को विशष केन्द्रीय सहायता और जिलेवार आवंटन समेत अन्तिम रुप नहीं दिया गया है।

गैर-सरकारी नियोजकों द्वारा बन्द की गई और अब पुनः चालू की गई कोयला खानों का मासिक उत्पादन

1668. **श्री एन० ई० होरी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कोकिंग और गैरकोकिंग कोयला खानों की संख्या क्या है जो गैर-सरकारी नियोजकों द्वारा बन्द कर दी गई थी और जिन्हें इस बीच पुनः चालू किया गया है ; और

(ख) उनके नाम क्या हैं और उन्हें पुनः चालू करने के दिन से उनका मासिक उत्पादन कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स आर्थर बटलर, मुजफ्फरपुर का कार्यकरण

1669. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आर्थर बटलर, मुजफ्फरपुर ने सरकार द्वारा इसके प्रबंध को अपनी हाथ में लिए जाने के पश्चात् संतोषजनक प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) कारखाने की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा मैं० आर्थर बटलर एंड कम्पनी मुजफ्फरपुर का प्रबंध अधिग्रहण किये जाने के उपरान्त लगभग ढाई वर्षों तक इसके बन्द रहने के पश्चात् कारखाने ने 10-8-1974 से कार्य करना शुरू किया। कभी-कभी होने वाली वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद भी कम्पनी ने संतोषजनक प्रगति की है और निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को 60 से 70 प्रतिशत तक प्राप्त करने में सफल रही है।

(ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिये कोल टयूबों तथा माइन कारों के निर्माण, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के लिए इस्पाती ढांचों के निर्माण और विहार राज्य सरकार के लिये हाइड्रौलिक गेटो तथा ट्रांसमिशन टावरों के निर्माण के साथ साथ चीनी मिल मशीनों का भी उत्पादन करके उत्पाद-मिश्र में विविधता लाने के सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने 360 एम० बी० ओ० सी० किस्म के वेगनों के निर्माण के लिये कम्पनी को लाभकारी दरों पर एक नया क्रयादेश भी दिया है। कम्पनी की शीघ्र ही जीव्यता प्राप्त कर लेने की आशा है।

बहुराष्ट्रिक निगम

1670. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

श्री शशि भूषण :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रिक नियमों से भारत में उद्योग खोलने और अपने व्यापार का विस्तार करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नीति की मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकार की विद्यमान औद्योगिक नीति जैसी कि 2 फरवरी, 1973 के प्रेस विज्ञप्ति में अधिसूचित की गई है उन क्षेत्रों और दशाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें देश में उद्योगों की स्थापना में भाग लेने के लिए अथवा योगदान देने के लिए बहुराष्ट्रीय निगम ग्राहय हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के धारा 26 की परिवीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी कम्पनियों के लिये औद्योगिक अथवा अन्य कार्यों में विस्तार या विविधीकरण लाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 लागू करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों जिन्हें 20–12–73 को सदन के सभा पटल पर रख दिया गया था, के अधीन कार्रवाई की जाती है।

पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये योजना

1671. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा खानाबदोश जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख के लिये कोई योजना बनाई गई है तथा कोई तंत्र स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं तथा उनकी क्रियान्विति के लिये कौन से तंत्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) इन तीन वर्गों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख के लिये गत तीन वर्षों के दौरान क्या प्रयास किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तथा राज्य क्षेत्र के अधीन विभिन्न योजनाएं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विमुक्त जन जातियों, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जन जातियों के कल्याण के लिये कार्यान्वित की जा रही है। गत तीन वर्षों (1973–74 से 1975–76 तक) में हाथ में ली गई योजनाएं अनुलग्नक में दी गई है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल टी-10586/76] ये योजनाएं राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

फिर भी, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय ने असम में गोहाट में एक मार्गदर्शी परियोजना बनाई है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अन्तर्राज्यीय छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के सीधे भुगतान की देख-रेख कर रही है। शिक्षण तथा संबद्ध योजनाएं स्कीम के अन्तर्गत डी० जी० ई० एण्ड टी० के माध्यम से शिक्षण तथा मार्ग दर्शन केन्द्र चलाये जा रहे हैं और इस मंत्रालय द्वारा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाती है। यह मंत्रालय अखिल भारतीय स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना भी चला रहा है।

इन तीन वर्षों में, इन योजनाओं पर 170.48 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।

मात्स्यकी सहकारिताओं की सहायता

1672 श्री वर्के जार्ज : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने केरल में मात्स्यकी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी०जार्ज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मत्स्य पालन सहकारी सोसाइटियों को सहायता देने के लिए एक सामान्य योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत उन्हें अपना उत्पादन तथा विपणन कार्य बढाने, प्रोसेसिंग एकक तथा यंत्रीकृत नावों और दूसरे उपकरणों के लिए सेवाई/मरम्मत केन्द्र खोलने, गोदाम/शेड बनाने, राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय सहकारी मत्स्य पालन फेडरेशनों में तकनीकी तथा प्रोत्साहन सेलों की स्थापना करने प्रोसेसिंग एककों को स्थापना के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और मत्स्य-पालन सहकारी सोसइटियों के तकनीकी प्रबन्धकीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता दी जाएगी। सहकारी सोसाइटियों को निगम की सहायता उनकी अपनी-अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से दी जायेगी। निगम को केरल सरकार से राज्य में मत्स्यपालन सहकारी सोसाइटियों को सहायता देने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। राज्य सरकार से प्रस्ताव मिलने पर निगम सहायता देने पर विचार करेगा।

भारत में बहुराष्ट्रिक निगमों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट

1673. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हुबराष्ट्रिक निगमों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिर्पोट का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया ; और

(ग) भारत में इन निगमों का कार्य संचालन क्षेत्र सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). सरकार की विदेशी विनियोजन और सहयोग सम्बन्धी नीति जिसमें बहु-राष्ट्रीय निगम भी सम्मिलित हैं पर्याप्त चयनात्मक है। विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी में आयात की अनुमति केवल उन जटिल उद्योग क्षेत्रों के लिए दी जाती है जिनमें प्रौद्योगिकीय अथवा नाजुक उत्पादन अन्तराल विद्यमान है। विदेशी विनियोजन जहां तक आवश्यक समझा जाता है आम तौर पर 40 प्रतिशत तक सीमित रखा जाता है।

विद्यमान तथा भविष्य में किए जाने वाले विदेशी विनियोजन और सहयोग को उचित प्रकार से जांच करने के उपरान्त बहुराष्ट्रीय निगमों का संचालन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत किया जाता है। सरकार के विभिन्न विद्यमान अधिनियमों और विनियमों में भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के संचालन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 कैपिटल इसूज (कन्ट्रोल) अधिनियम, 1949, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि सम्मिलित हैं। फरवरी, 1973 की औद्योगिक लाइसेंस नीति

सम्बन्धी विवरण के अनुसार विदेशी बहुलांश कम्पनियां परिशिष्ट 1 में उल्लिखित क्षेत्रों तथा निर्यात मूलक उद्योगों में भाग लेने की पात्र हैं। विस्तार या विविधीकरण चाहने वाली कम्पनियों को सरकार द्वारा घोषित पूंजी न्यूनीकरण (डाइल्यूशन) फार्मूले के अनुसार भारतीय पूंजी लगाना अनिवार्य है।

बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

1674. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की जनता एवं सरकार ने बंगलौर में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) जी, हां। इस बारे में कुछ पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण बंगलौर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई द्वारा विकसित उत्पादन प्रक्रियाएं

1675 **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने उत्पादन प्रक्रियाओं का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उत्पादन मदों के लिए; और

(ग) क्या ये उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) . जी, हां। भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने उत्पादन की कई प्रतिक्रियाएं खोज निकाली हैं। उत्पादन-सामग्रियों का ब्यौरा एक प्रकाशित सूचीपत्र में जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दिया गया है।

(ग) उद्योगों द्वारा इन प्रक्रियाओं की जानकारी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से ली जा सकती है।

दक्षिणी प्रदेश विद्युत् मंडल की बैठक

1676. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण प्रदेश विद्युत् मण्डल (सदर्न रीजनल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड) की 43वीं बैठक 25 फरवरी, 1976 को हैदराबाद में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बैठक में विद्युत् सप्लाई की स्थिति का पुनरवलोकन किया गया था, अतिरिक्त विद्युत् वाले राज्यों द्वारा कमी वाले राज्यों को मदद देने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था तथा प्रचालन व्यवस्था सम्बन्धी पहलुओं पर, जिनमें अंडर फ्रीक्वेन्सी रिले की व्यवस्था शामिल है, विचार किया गया था । बैठक में, क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय लाइनों के निर्माण और दूर-संचार तथा भार-प्रेषण सुविधाओं में सुधार के बारे में भी पुनरवलोकन किया गया था ।

टेलीविजन सेटों का उत्पादन

1677. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **इलैक्ट्रानिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीविजन सैटों के उत्पादन की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा अनुसूचित क्षमता कितनी-कितनी है और इन सैटों का प्रतिवर्ष वस्तुतः कितनी संख्या में उत्पादन होता है; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पिक्चर ट्यूबों के स्वदेशी उत्पादन में देश के आत्म–निर्भर होने के बावजूद उनको बड़ी संख्या में आयात करने की अनुमति दी जा रही है जिसके फलस्वरूप बाजार में टेलीविजन सैटों की और अधिक भरमार हो गई है?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) : वर्ष 1975 में दूरदर्शन सैटों की लाइसेंसयुक्त/अनुमोदित एवं प्रतिष्ठापित क्षमता तथा उनका वास्तविक उत्पादन क्रमशः 3,09,300, 2,20,000 तथा 97,000 सेट रहा।

(ख) (i) वर्ष 1976-77 के लिए आयात नीति निर्धारित करते समय दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का स्वदेश में ही उत्पादन करने के लिए प्रश्रय प्रदान करने की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखा गया है ।

(ii) सरकार को इस बात का पता है कि दूरदर्शन सैटों की ऊंची कीमत तथा जनता की क्रय शक्ति में गिरावट सहित विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष दूरदर्शन सैटों की बिक्री कम ही रही। किन्तु, ऐसी संभावना है कि 1976–77 के केन्द्रीय बजट में जो उपाय सुझाये गए हैं, उनके फलस्वरूप 1976 में दूरदर्शन सैटों की बिक्री बढ़ेगी ।

भारतीय वन सेवा में भर्ती

1678. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय वन सेवा में सीधी-भर्ती आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विशेष कारण क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). भारतीय वन सेवा का गठन एक जुलाई, 1966 से हुआ था। व्यवहार्य संवर्गों का गठन करने की दृष्टि से उपयुक्त पाए गये यथासम्भव अधिक से अधिक राज्य वन सेवा अधिकारियों को उक्त सेवा के प्रारम्भिक गठन में नियुक्त करना आवश्यक था। विभिन्न राज्य संवर्गों में प्रारम्भिक भर्ती पूरी हो जाने के बाद सामान्यतः बाद की भर्ती के लिए अपेक्षाकृत कुछ थोड़ स्थान खाली रह गये थे। इन खाली स्थानों को सीधी भर्ती तथा राज्य वन सेवा से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिये वितरित किया जाना था। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि पिछले पांच वर्षों में सीधी भर्ती आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम रही है।

चोरी के कारण ऊर्जा की क्षति

1679. श्री हरी सिंह :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रजनित कुल विद्युत् का पांचवां हिस्सा प्रति वर्ष पारेषण और वितरण के दौरान चोरी के कारण व्यर्थ चला जाता है;

(ख) 1973 के पारेषण लाइनों में और चोरियों के कारण, पृथक-पृथक ऊर्जा की अनुमानतः वार्षिक क्षति कितनी हुई; और

(ग) ऐसी क्षति को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख), देश में पारेषण, ट्रान्सफार्मेशन और वितरण में हुई तथा अन्य प्रकार से हुई ऊर्जा की हानियां 1973–74 और 1974–75 की अवधि में क्रमशः 20.46 प्रतिशत और 20 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) हानियों को कम करने के लिये नीचे बताए गए उपाय विभिन्न बोर्डों द्वारा अपनाए जा रहे हैं या अपनाने का विचार है :—

(1) जिन लाइनों पर अधिक भार पड़ता है, उनका भार कम करने के लिए नई पारेषण लाइन डालना और नए उप-केन्द्र स्थापित करना, मौजूदा लाइनों के कन्डक्टर बदलना, उप-केन्द्रों का क्षेत्र नए सिरे से नियत करना और वर्तमान एल० टी० प्रणाली की नए सिरे से व्यवस्था करना ।

(2) वोल्टता सम्बन्धी स्थितियों में सुधार लाने, पारेषण लाइनों के अधिभार को कम करने तथा हानियों को कम करने के लिए विभिन्न ग्रिड उप-केन्द्रों में एच० टी० कैपेसिटरों की स्थापना ।

(3) हानियों को कम करने के लिए योजनाएं तैयार करने और हानियां रोकने और उपलब्ध विद्युत क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के बारे में विभिन्न प्रकार के

कदमों का समय पर कार्यान्वियन हो, येबातें सुनिश्चित करने के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों में विशेष यूनिटों की स्थापना ।

(4) बोर्ड की सप्लाई शर्तों में इस आशय के संशोधन करना कि इन्डक्टिव मोटिव विद्युत् के उपभोक्ताओं को बिजली के नए कनेक्शन दिए जाने से पूर्व अपने टर्मिनलों पर शंट कैपेसिटर लगाना उन्हें अनिवाय हो जाए ।

(5) ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए अचानक छापे मारने के लिए सतर्कता दलों की स्थापना ।

(6) मीटरों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए उपभोक्ताओं के अहातों में दो कम्पार्टमेंट वाले मीटर बक्सों की व्यवस्था ।

(7) मीटरों के पीछे कट-आउट लगाना ताकि बिजली सीधे न ली जा सके ।

(8) सर्विस मेन्स के तौर पर सिंगल कोर वी० आई० आर० तारों के स्थान पर पी० वी० सी० मल्टी-कोर केबिलों का प्रयोग करना ताकि बिजली की सीधी चोरी का साफ तौर पर पता चल जाए ।

(9) टर्मिनल कवर के नीचे पोटेन्शियल लिंकों की व्यवस्था करने के बजाय मीटर के भीतरी भाग में ही ऐसी व्यवस्था करना ताकि मीटर से की जाने वाली छेड़छाड़ रोकी जा सके ।

(10) बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा विभिन्न स्तरों पर जांच के तौर पर रीडिंग करना । इस प्रकार की जांच-रूप रीडिंग की रिपोर्टें बिल बनाने वाले यूनिटों को भेजना ताकि फील्ड स्टाफ द्वारा दी गई रीडिंगों की जांच इन रीडिंगों के साथ की जा सके ।

दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का कार्यनिष्पादन

1680. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीविजन के घटिया प्रसारणों के कारण बहुत से दर्शकों में टेलीविजन देखने का उत्साह कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कायक्रमों के स्तर को सुधारने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षणों और दर्शकों से प्राप्त पत्रों के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि अधिकांश कार्यक्रम दर्शकों में काफी लोकप्रिय हैं ।

(ख) कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के प्रकाश में दूरदर्शन द्वारा उनका निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है ।

भारी इंजीनियरिंग निगम को हुई हानि

1681. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम को क्रयादेशों के अभाव में हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) : (क) और (ख). हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को 1974-75 तक हानि होती रही थी। आशा है कि 1975-76 तक लाभ-हानि रहित स्थिति में यह पहुंच जाएगा।

2. हानि क्रयादेशों की कमी के कारण ही नहीं हुई है अपितु उत्पादन की गति धीमी होने के कारण हुई है। उत्पादन की गति तेज करने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनमें कुछ ये हैं :—

(1) प्रभावी उत्पादन आयोजन और नियंत्रण;

(2) उपकरण का प्रभावी रख-रखाव/सुरक्षात्मक रख-रखाव ; और

(3) उच्च प्रबन्धकीय ढांचे का पुनर्गठन तथा सुप्रवाही बनाना।

थीन बांध परियोजना

1682. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित थीन बांध के सम्बन्ध में पंजाब और कश्मीर के बीच हाल ही में कोई अन्तिम समझौता हुआ है ; और

(ख) क्या उक्त परियोजना पर केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि थीन बांध के बारे में जम्मू और कश्मीर सरकारों के साथ कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है और इस मामले पर अभी भी बातचीत चल रही है।

(ख) जी, नहीं।

Industrial Dispute between Management and Workers of K.G.B. New Delhi

1683. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) Whether 10 year old industrial dispute between the Khadi Gramodyog Bhavan Workers Union and the management was pending with the Labour Department of Delhi Administration ;

(b) if so, the decision taken thereon; and

(c) the total amount spent so far ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma) : (*a*) & (*b*) No 10 year old industrial dispute between an employee of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi and the management is pending with the Labour Department of the Delhi Administration. However, if the Hon'ble Member is perhaps referring to the case of an employee of the Khadi Gramodyag Bhavan, New Delhi whose services were terminated on April 4, 1966 after a departmental enquiry, the ex-employee subsequently moved the Delhi Labour Court in connection with the validity of the termination of his services. The Labour Court, Delhi under its *award dated* 5-4-1975 *published* by the Delhi Administration under Notification No. F. 26(182)/66-Lab. *dated* 29-4-1975 *has held that it* was not competent to hear the case on the basis of the existing reference.

(*c*) These cases are handled by the legal department of the Khadi and Village Industrial Commission, and as such it is difficult to indicate separately the amounts spent on each individual case.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान

1684. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना अनुदान मंजूर किया गया;

(ख) आयोग को प्राप्त अनुदान का कितने प्रतिशत भाग सिब्बन्दी पर खर्च किया गया; और

(ग) आयोग ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को किसी सीमा तक क्रियान्वित किया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०पी० शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों मे खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशि स्वीकार की गई है :—

1972–73	1531.62 लाख रुपए
1973–74	1553.89 लाख रुपए
1974–75	1497.87 लाख रुपए

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि का स्थापना पर व्यय किया गया प्रतिशत निम्नलिखित है :–

1972–73	17 प्रतिशत
1973–74	21 प्रतिशत
1974–75	29 प्रतिशत

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमो की मूल भावना के अनुरूप हैं। खादी और ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतया समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को जिनके पास रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है रोजगार सुविधाएं प्रदान करता है।

कोटा में राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना का बंद होना

1686. श्री नरेन्द्र कुमार साँधी :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा स्थित राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना को काफी समय हुए बन्द कर दिया गया है जिसके कारण कृषि तथा उद्योग को बहुत हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन दोनों क्षेत्रों को हो रही हानि को पूरा करने के लिए विद्युत सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड से कोई प्रबन्ध किए गए हैं ; और

(घ) क्या उक्त परियोजना को पुनः चालू करने के उद्देश्य से कनाडा से सहायता सम्बन्धी कोई समझौता हो गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) टरबाइन के कुछ ब्लेडो में खराबी की वजह से टरबाइन के बेयरिंग में अत्यधिक कम्पन होने का पता चलने के कारण, कोटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट कार्मिको द्वारा 20 फरवरी, 1976 को बन्द कर दिया गया था । इस मामले की ओर आगे जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने, जो कि ग्रिड का संचालन करता है, बिजली की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है । राजस्थान को भाखड़ा बिजलीघर तथा बदरपुर ताप बिजलीघर से अतिरिक्त बिजली दी जा रही है ।

(घ) बिजलीघर को पुनः चालू करने के लिए कनाडा से किसी प्रकार की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है । कनाडा के साथ हुई बातचीत में जो मसले उठाए गए हैं, उन पर दोनों सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

चंडीगढ़ के बारे में पंचाट

1687. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ और फाजिल्का क्षेत्रों के बारे में प्रधान मंत्री के पंचाट के क्रियान्वयन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) हरियाणा राज्य को उसको नई राजधानी के निर्माण के लिए कितनी सहायता गई है ; और

(ग) उक्त पंचाट कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी) : (क) और (ख) मामले में सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ कार्यवाही की जा रही है । इस विषय पर 29 जनवरी, 1970 को जारी किये गये वक्तव्य

में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया था कि हरियाणा सरकार को उसकी नई राजधानी के निर्माण के लिये ऋण और अनुदान के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

(ग) कोई समय निर्धारित करना संभव नहीं है।

वेरियेबल एनर्जी साइक्लोट्रान, कलकत्ता का चालू किया जाना

1688. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता के निकट 'वेरियेबल एनर्जी साइक्लोट्रान' को कब तक चालू करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : कलकत्ता के समीप निर्माणाधीन परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान के अक्तूबर, 1976 में चालू होने की आशा है।

Building for Scooter Factory, Fatuha, Patna

1689. **Shri Ramavatar Shashtri :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(*a*) whether the building to house the scooter factory in Fatuha, D strict Patna has been constructed;

(b) if so, whether difficulties are being faced in the import of machinery etc. due to shortage of money ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) (a) M/s. Bihar State Industrial Development Corporation Ltd., Patna, have been granted an industrial licence dated 16-2-76 for the establishment of a new industrial undertaking at Fatwah, District Patna in Bihar State for manufacture of 30,000 scooters per annum. The Corporation have intimated that nearly 80% of Civil construction work for the project has been completed.

(b) It is not proposed to import any machines for the project.

(c) Does not arise.

कटक में मंसडा ग्राम में पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों की पिटाई

1690. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक जिले के बिञ्चरपुर पुलिस स्टेशन के मंसडा ग्राम में फरवरी, 1976 में पुलिस ने अनुसूचित जाति के परिवारों के पुरुषों और महिलाओं को निर्दयता से पीटा था ; और

(ख) इस मामले में पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा तकनीकी जानकारी का निर्यात

1691. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तकनीकी जानकारी के निर्यात के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स निम्नलिखित क्षेत्रों में जानकारी निर्यात करने की स्थिति में है :—

(1) विद्युत जनित्रण उपकरण, जल तथा तापीय दोनो ;

(2) ट्रांसमिसन उपकरण; तथा

(3) ट्रेक्शन उपकरण।

उड़ीसा द्वारा वर्ष 1975-76 के योजना परिव्यय के लिये संसाधन जुटाया जाना

1692. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975-76 के अपने योजना-परिव्यय के लिए राज्य सरकार के बजट संसाधनों, बिजली बोर्ड, उड़ीसा खनन निगम, उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम, उड़ीसा निर्माण निगम तथा उड़ीसा लघु उद्योग निगम के स्रोतों से 40.55 करोड़ रुपये की राशि जुटाना स्वीकार किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावित राशि जुटाई गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें कितनी कमी रही ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के गुजराल) : (क) उड़ीसा सरकार शुरू में इन स्रोतो से 40.59 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सहमत हो गई थी। इसमें उसने अन्तर्राज्यीय बिक्री कर के संशोधन समेत, केन्द्र द्वारा लगाए गए नए करों में राज्य के भाग को शामिल नहीं किया था।

(ख) और (ग) 1975-76 के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हो जाने के बाद ही ठीक-ठीक स्थिति मालूम होगी।

Rural Electrification in Bihar

1593 **Shri Sukhdeo Prasad Verma** : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the amount sanctioned to Bihar State for rural electrification during 1974-75 and 1975-76 ; and

(b) the amount spent out of the sanctioned funds on electrificaton and the number of villages electrified ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Sidheshwar Prasad) (a) The Rural Electrification Corporation Ltd. has sanctioned the following loans for rural electrification in Bihar State durng 1974-75 and 1975-76 :—

Year	*Amount of Loan*
1974-75	Rs. 28.05 crores
1975-76	Rs. 7·97 crores

(b) : The schemes sanctioned by the Corporation are phased for completion over a period ranging upto five years. The amount of loan sanctioned by the Corporation is also disburesed in instalments. So far, Rs. 10·53 crores have been disbursed in respect of loans sanctioned during 1974-75 and Rs. 2.31 crores in respect of loan sanctioned during 1975-76.

It is too early to indicate the progress in the execution of these schemes.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के उतार-चढ़ाव को विनियमित करने के लिये केन्द्रीय एजेंसी

1694. **श्री धामनकर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घावधि मूल्य स्थिरता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक वस्तुओं के उतार-चढाव को विनियमित करने हेतु एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कमी तथा अनियमित रूप से अधिक मूल्यो की स्थिति में उपभोक्ताओं के हित में संस्था द्वारा किस प्रकार नियन्त्रण रखा जाएगा; और

(ग) क्या बाजार में वस्तुओ की अत्यधिक सप्लाई तथा मूल्यों में बहुत कमी की स्थिति में उत्पादकों के हित में भी इसी प्रकार का नियन्त्रण रखा जायेगा ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग): आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के उतार चढाव को विनियमित करने के लिये एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । कृषि मूल्य आयोग, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो जैसी एजेंसियां पहले ही विद्यमान हैं, जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में सिफ़ारिश करने से सम्बन्ध रखती है । मूल्य नीति की जिम्मेदारी सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों पर है । मूल्य स्थिरता के लिए सरकार जिस सामान्य संस्थागत ढांचे को विकसित करने का प्रयत्न कर रही है, उसमें विशिष्ट वस्तुओं के लिए सरकारी क्षेत्र के निगमों के साथ-साथ उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों तथा विपणन सहकारी सोसायटियां शामिल हैं । इस सम्बन्ध में सामान्य दृष्टिकोण यह है कि उत्पादक को उचित मूल्य मिले और साथ ही उपभोक्ता के लिये भी मूल्य का एक उचित स्तर बनाया रखा जाये ।

Rural Electrification in District Aurangabad in Bihar

1695. **Shri Sukhdeo Prasad Verma** : Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) Whether none of the blocks in district Aurangabed in Bihar has so far been included for rural electrification; and

(b) if so, the reasons therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of energy (Prof. Sidheshwar Prasad):

(a) There are 2397 villages in district Aurangabed in Bihar. 710 Villages (29.6%) were electrified upto 31st March 1975.

(b) The programme of rural electrification is formulated by the state Electricity Boards. The rural Electrification Corporation Ltd. which has been set up in the Central Sector provides additive loan assistance to the Boards for implementation of these schemes. The Corporation has received from the Bihar state Electricity Board 3 schemes for rural electrification in Nabinagar, Aurangabad and Madanpur blocks of Aurangabad district. These shcemes, however required revision and so have been returned to the Board. They will be considered by the Corporation again when received back.

उड़ीसा में ग्राम्य विदयुतीकरण

1696. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिये हाल में मंजूर की गई ग्राम्य विद्युतीकरण की पांच योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन योजनाओं के लिये कुल कितना आर० ई० सी० ऋण उपलब्ध है;

(ग) उड़ीसा में (जिलावार) किन ग्रामों में बिजली पहुंचाई जायेगी; और

(घ) कितने पम्प सैटों के लिए बिजली दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने 8 मार्च, 1976 को हुई अपनी बैठक में उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की 5 ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं को स्वीकृति दी है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

8-3-1976 को हुई निदेशक-मंडल की बैठक में अनुमोदित की गई उड़ीसा की योजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	योजना	ग्रामों की संख्या	पम्प सैटों की संख्या	स्वीकृत ऋण-राशि (लाख रुपयों में)
1.	सम्बलपुर जिले के आटाबीड़ा व बाड़ागढ तथा बाड़पाली खण्ड . . .	196	365	73.117
2.	धानकानाल जिले का पल्लाह्वारा खण्ड	51	211	24.267
3.	फुलवाणी जिले के बौध तथा कान्तामल खण्ड	187	368	72.977
4.	सुन्दरगढ जिले का हेमगीर खण्ड . .	126	600	46.671
5.	फुलवाणी जिले के नौगांव, बालीगुडा, तुमडीबन्धा तथा कोटागढ खण्ड . .	97	274	47.326

बिहार में भूतपूर्व सैनिकों को पेश आ रही कठिनाईयां

1697. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य भूतपूर्व सैनिक लीग रक्षा मन्त्री को बेतिया, दरभंगा, मधुवनी और अन्य स्थानों पर भूतपूर्व सैनिकों को पेश आ रही कठिनाइयो के बारे में अभ्यावेदन देती रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख). बिहार राज्य भूतपूर्व सैनिक लीग ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों के आरक्षण और बेतिया में भूतपूर्व सैनिकों की एक परिवहन सहकारी सोसाइटी को आर्थिक सहायता मंजूर किए जाने के बारे में हाल ही में 31 जनवरी, 1976 और 5 मार्च 1976 को अभ्यावेदन दिया है ।

लीग ने अपने पहले अभ्यावेदन में कहा है कि तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत तक तथा चतुर्थ श्रेणी में 20 प्रतिशत के आरक्षण आदेशों को राज्य सरकार के कार्यालयों में पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिहार राज्य सचिवालय में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई विशेष सेल नहीं है । विशेष सेल बनाने के प्रश्न पर बिहार राज्य सरकार के साथ विचार किया जा रहा है ।

लीग ने अपने दूसरे अभ्यावेदन में कहा है कि भूतपूर्व मोटर परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड के नाम में भूतपूर्व सैनिकों की एक सहकारी सोसाइटी स्थापित की गई है और उसने भूतपूर्व सैनिकों की इस परिवहन सहकारी समिति के लिए आर्थिक सहायता अथवा साख सुविधाएं मांगी हैं । राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं और लीग को सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार प्राधिकारियों के पास जाएं । यह मामला राज्य सैनिक बोर्ड, पटना को भी अग्रेसित कर दिया गया है कि वे भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए राज्य विशेष निधि से अनुदान/ऋण स्वीकार करने के लिए सोसाइटी के अनुरोध पर विचार करें ?

तमिलनाडु को केरल से प्राप्त हुई बिजली

1698 **श्री ए० रावकृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 के पश्चात तमिलनाडु को केरल से प्रति वर्ष कितनी बिजली प्राप्त हुई; और

(ख) डी० एम० के० सरकार द्वारा दोनों राज्यों के बीच किए गए समझौते की शर्तें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केरल द्वारा तमिलनाडु को सप्लाई की गई बिजली की मात्रा तथा इन दो राज्यों के बीच सप्लाई की शर्तों के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

केरल द्वारा तमिलनाडु को सप्लाई की गई बिजली की मात्रा तथा इन दो राज्यों के बीच हुए समझौते की शर्तें

क्रम सं०	अवधि	केरल द्वारा तमिलनाडु को सप्लाई की गई ऊर्जा (मि० यू०)—लगभग	सप्लाई की शर्तें
1	2	3	4
1.	23-2-72 से 22-5-73 तक	170	पहले 150 मिलियन यूनिट के लिए 6.25 पैसे प्रति यूनिट। 150 मि० यू० से अधिक के लिए 6 पैसे प्रति यूनिट। एक महीने में ली गई बिजली की मात्रा 70 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक बिजली ली जाती है तो 70 मि० यू० प्रति मास से अधिक की मात्रा के प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए 4 पैसे प्रति यूनिट अधिक। कम से कम बिजली 150 मि० यू० ली जानी चाहिए। अधिकतम मांग सम्बन्धी प्रभार: अधिकतम मांग 110 एम० बी० ए० से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक होती है तो 110 एम० बी० ए० से जितने अधिक एम० बी० ए० बिजली ली जाए उसके लिए 7000 रुपये प्रति एम० बी० ए० प्रति मास अधिकतम मांग सम्बन्धी प्रभार होंगे।
2.	23-5-73 से 22-5-74 तक	320	पहले 100 मि० यू० के लिए 7.8 पैसे प्रति यूनिट। इससे अधिक ली जाने वाली यूनिटों के लिए 8 पैसे प्रति यूनिट। ली गई बिजली की मात्रा 90 मि० यू० प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक बिजली ली जाती है तो 90 मि० यू० प्रति मास से अधिक

1	2	3	4
			की मात्रा के प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए 4 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त देना होगा ।
			अधिकतम मांग सम्बन्धी प्रभार : अधिकतम मांग 125 एम० वी० ए० से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि इससे अधिक होती है तो 125 एम० वी० ए० से जितने एम० वी० ए० अधिक बिजली ली जाए उसके लिए 7000 रुपये प्रति एम० वी० ए० प्रति मास अधिकतम मांग सम्बंधी प्रभार होंगे ।
3.	23–5–74 से 22–5–75 तक	315	9.5 पैसे प्रति यूनिट ।
	23–5–75 से 11–2–76 तक	250	अधिकतम मांग सम्बन्धी प्रभार : अधिकतम मांग 125 एम० वी० ए० से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि इससे अधिक होती है तो 125 एम० वी० ए० से जितने अधिक एम० वी० ए० बिजली ली जाए उसके लिए 50 रुपये प्रति एम० वी० ए० प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम मांग सम्बन्धी प्रभार होंगे ।
4.	12–2–76 को इदिक्की के चालू हो जाने के बाद		सप्लाई की गई वास्तविक बिजली की मात्रा के लिए 12.5 पैसे प्रति यूनिट ।
5.	12–2–76 से 22–3–76 तक	17	समझौते का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और औपचारिक समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने हैं ।

चमड़ा उद्योग का विकास

1699. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उद्योग के विकास के लिये कोई व्यापक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बिहार तथा उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख). चमड़ा उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आगरा में मुख्यालय बना कर एक

सरकारी क्षेत्र का निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकारों तथा औद्योगिक विकास विभाग के परामर्श से राज्य व्यापार निगम उन छोटे छोटे चमड़ा कमाने वालों की सहायता के लिए जो स्वयं अपने फ़िनिशिंग एकक बनाने की स्थिति में नहीं है, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और तमिलनाडु प्रत्येक राज्य में पांच सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

बिहार सरकार ने तीन उत्पादन एककों की देखरेख करने हेतु तथा बिहार के भिन्न भिन्न स्थानों में सात लघु पैमाने के जूता एककों की देखभाल के लिए एक चमड़ा उद्योग विकास निगम स्थापित किया है। राज्य में तीन चमड़ा फ़िनिशिंग एकक स्थापित करने के लिए आशयपत्र दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु उद्योग और कुटीर क्षेत्र के जूता एककों को आवश्यक कच्चा माल संभरित कर, उनके उत्पादों को विपणन करने हेतु एक लैदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन स्थापित किया है। कारपोरेशन ने भी राज्य में प्रावस्थाबद्ध रीति से चमड़ा उद्योग का विकास करने हेतु योजनाएं बनायी हैं।

आलू की खरीद

1700. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री हरि सिंह :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ (नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फ़ैडरेशन) का 1 मार्च, 1976 तक पंजाब आलू उत्पादकों से एक करोड़ रुपये का आलू खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ को अन्य आलू उत्पादक राज्यों में खरीद की स्थिति क्या है;

(ग) क्या खरीद के लिए आलू की कोई विशेष किस्म निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त किस्म की विशेषताएं क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी क्रय-विक्रय फ़ैडरेशन लि० ने पंजाब से 10,000 मीटरी टन आलू खरीदने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य से अधिक आलू खरीदा जा चुका है। फ़ैडरेशन ने 10 मार्च, 1976 तक लगभग 80 लाख रुपये के मूल्य के करीबन 14,500 मीटरी टन आलू खरीद लिये हैं।

(ख) इस फ़ैडरेशन ने अब तक हरियाणा से 4500 मीटरी टन और उत्तर प्रदेश से 4000 मीटरी टन आलू खरीदे हैं।

(ग) व (घ). यह फ़ैडरेशन इस समय चन्द्रमुखी और इससे सम्बन्धित किस्में खरीद रहा है, जो बहुत देर तक टिक सकती है और यूरोपीय बाजार में उपभोक्ता द्वारा अधिक पसन्द की जाती हैं।

"इंटरनेशनल बिजनेस मशीन" द्वारा बिदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन

1701. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **इलक्ट्रानिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन नामक एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगम जो शत प्रतिशत ईक्विटी के आधार पर भारत में कार्य करता है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों की कोई परवाह नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने आई० बी० एम० के विरुद्ध कोई जांच कराई है;

(ग) दोषी कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या आई० बी० एम० अपने निर्यात उत्पादों का कम मूल्य लगा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क), (ख) एवं (ग). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसार इन्टरशनेनल बिजनेस मशीन्स ने इस अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने भारत में अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। इस आवेदन-पत्र पर सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसकी जानकारी कम्पनी को नवम्बर, 1975 में दे दी गयी है। इस निर्णय के अनुसार, इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स से कहा गया था कि वह दो वर्षों के अन्दर अपनी विदेशी साम्या-पूंजी (ईक्विटी) की सीमा को घटाकर 40 प्रतिशत या इससे नीचे कर दें तथा भारत में अपने कार्यकलापो की रूपरेखा विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधार पर बनाएं। इन्टरनेशनल बिज़नेस मशीन्स ने अपने उत्तर में यह संकेत दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर वे अपना व्यवसाय या तो अपनी शाखाओं के जरिए अथवा उनके पूर्ण (100 प्रतिशत) स्वामित्व वाली सहायक फ़र्मों द्वारा ही चलाते हैं, अतएव, वे अपनी भारतीय कम्पनी की विदेशी साम्या-पूंजी (ईक्विटी) को घटाकर 40 प्रतिशत तक करने में असमर्थ हैं। तथापि, कम्पनी ने भारत में अपने कार्यकलापों को पुनर्नियोजित करने के विषय में सरकार के निर्णय के अनुसार एक संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की पेशकश की है।

(घ) मैसर्स इन्टरनेशनल बिज़नेस मशीन्स द्वारा किए गये निर्यातों के मूल्य को न्यून करके तो नहीं दिखाया गया है, इस बात का पता लगाने के लिए ब्यौरेवार जांच-पड़ताल की जा रही है। तथापि, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक सरकार ने इन्टरनेशनल बिज़नेस मशीन्स के महाप्रबन्धक को इस शर्त पर निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है कि यदि यह पाया गया कि भारत को जितनी विदेशी-मुद्रा देय है उसके मुकाबले कम बिदेशी-मुद्रा उपलब्ध कराई गयी है तो सरकार द्वारा मांग पेश किये जाने के 90 दिनों के भीतर विदेशी-मुद्रा के इस अन्तर की रकम वापस करनी होगी। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा किए गए निर्यातों पर शुल्क की प्रतिअदायगी के रूप में जो धन मंजूर किया गया था उसे भी जांच पूरी होने तक रोक रखा गया है।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

1702. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र की अधिक परियोजनाओ की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). सम्बन्धित राज्यों में केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकारें योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों

से समय-समय पर अनुरोध करती रही हैं। महाराष्ट्र सरकार से भी उक्त राज्य में कई केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें उल्लेखनीय हैं—आटोमोबाइल टायर बनाने की इकाई, मशीनी औजार बनाने का कारखाना, वाणिज्यिक विस्फ़ोटक सन्यन्त्र, भारी वाणिज्यिक गाड़ियों की परियोजना दूर-संचार उपस्कर कारखाना, आदि। महाराष्ट्र में एक वाणिज्यिक विस्फ़ोटक सन्यन्त्र स्थापित करने के बारे में निर्णय किया जा चुका है। कुछ मामलों में केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने के लिए फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्थानों के बारे में निर्णय करते समय राज्य सरकार के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

Supply of Heavy Electrical Plants and Equipment to Malaysia and East Africa

1703. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state whether B.H.E.L. have received supply orders for heavy electrical plants and other equipment from Malaysia and East Africa ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) : Yes, Sir. The particulars of the orders received are as under:—

Malaysia

	(Rs. crores.)
(i) Boilers of different ratings	29·56
(ii) Power Transformers	1·54
(iii) Misc. items like Switchyard Station Motors, Control and Relay Panel Circuit Breakers	0·25
	31·35

East African countries	(Rs. lakhs)
(i) Transformers	18·27
(ii) Motors	12·99
(iii) Switchgear	4·97
(iv) Control panels	0·20
	36·43

Progress made by Adivasis

1704. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage of Adivasis out of the total population of the country ; and

(b) the social and the economic progress made by Adivasis during the last three years and the percentage increase in literacy among them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The percentage of Scheduled Tribes to the total population of the country is about 7 per cent as per the 1971 Census.

(b) Social and economic development is a long term process and its precise assessment for any group on a year to year basis is rather difficult. The level of literacy amongst the members of Scheduled Tribes has risen from 8·54% in 1961 to 11·29% in 1971. The progress in the level of enrolment at various stages from 1970-71 to 1973-74 is as follows :

(in lakhs)

	Classes		
	I—V	VI—VIII	IX—XI
1970-71	24·63	3·79	1·71
1973-74	28·45	4·09	1·80

This increase in enrolment has been made possible by a comprehensive programme of incentives including free tuition, scholarships, and stipends. The total number of post-matric awards has risen from 32,000 in 1971-72 to 59,000 (approx.) in 1974-75.

आदिवासियों में सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास

1705. श्री समर गुहु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–75 में आदिवासियों में सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के लिये कोई धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). विभिन्न संस्थाओं को दी गई धनराशियां तथा अनुदान के प्रयोजन अनुलग्नक में दिये गये हैं । इन विशिष्ट अनुदानों के अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन आदिवासियों के लिये सामान्य केन्द्रीय सहायता तथा सांस्कृतिक अनुसन्धान संस्थानों के अन्तर्गत किया जा सकता है । देश में 11 संस्थानों के लिये उपलब्ध कुल धनराशि 1973–74 में 24.4 लाख रुपये और 1974–75 में 15.8 लाख रुपये थी ।

विवरण

क्र० सं०	संस्था का नाम	प्रयोजन	दिया गया सहायता अनुदान 1973-74 रु०	1974-75 रु०
1.	रामकृष्ण मिशन, अलोंग .	सांस्कृतिक व्यय	1,500	
2.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी . .	सैमिनार तथा शैक्षिक दौरा	7,500	7,500
3.	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, कलादी . .	भ्रमण	2,800	2,800
4.	आर० के० मिशन सिल्चर.	भ्रमण	1,000	1,000
5.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	सम्मेलन तथा सेमिनार	4,500	4,500
		संग्रहलाय तथा प्रर्दशिनी व पुस्तकालय तथा वाचनालय	1,800	1,800
6.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची . .	पुस्तकालय	14,544	14,544
7.	रामकृष्ण मिशन आश्रम पुरी	भ्रमण	2,000	2,000
8.	ठक्कर बापा आश्रम नीम संडी . .	भ्रमण	800	800
9.	लोक कला संस्थान, मांडला म० प्र० . .	प्रशिक्षण तथा लोक-नृत्यों का संयोजन	—	5,000
	जोड़		36,444	39,944.00

कोयले से संश्लिष्ट पैट्रोल का उत्पादन

1706. **श्री समर गुह** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले से संशिलष्ट पदार्थ और पैंट्रोल बनाने के लिये कोई मार्गदर्शी परि-योजना स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :(क) और (ख) केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान (सी०एफ० आर० आई०) जियेलगोरा द्वारा कोल तार के प्रभाजों (फ्रेक्शन) से

संश्लेषित डीज़ल और मिटटी का तेल उत्पादन करने के लिये बाष्प प्रावस्था हाईड्रोजनीकरण की सुविधायें स्थापित की गई हैं। पूर्ण गुणांकन के हेतु संश्लेषित क्रूड प्राप्त करने के लिये संस्थान में 18 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता का एक गारा-प्रावस्था कोयला हाईड्रोजनीकरण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

सिलचर और जोरहाट, बदरपुर और धर्मनगर के बीच सड़क निर्माण

1707. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम को मनीपुर से जोड़ने के लिए कछार जिले में सिलचर और जोरहाट के बीच तथा आसाम को त्रिपुरा से जोड़ने के लिए बदरपुर और धर्मनगर के बीच सड़कों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में सड़क निर्माण पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा और निर्माण कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) से (ग) इस प्रश्न में दो सड़कों का उल्लेख है अर्थात सिल्चर जीरीघाट और बदरपुर-धर्मनगर।

हरेक सड़क के बारे में निम्नलिखित अलग-अलग सूचना दी गई है:—

(1) सिलचर जीरीघाट सड़क (40 कि० मी०)

(क) किसी नई सड़क का निर्माण नहीं करना है बल्कि वर्तमान सड़क में सुधार करके उसे क्लास 9 स्टैंडर्ड तक लाना है। फरवरी, 1976 तक 25 किलोमीटर में सुधार, 14 किलोमीटर का सोलिंग और मैटलिंग तथा 11 किलो मीटर का ब्लेक टार्पिंग कार्य पूरा कर दिया गया है।

(ख) इस सड़क के लिए कुल 116.87 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है और इसे मार्च 1978 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ग) निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है और इसे निर्धारित तारीख तक पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है।

(2) बदरपुर धर्मनगर सड़क (104 कि० मी०) :

(क) सड़क का बदरपुर—वागवासा तक का टुकड़ा (97 कि० मी०) जोवाई से अगरतल्ला राजमार्ग 44 का एक भाग है जिसकी लम्बाई 420 किलोमीटर है। वागवासा—धर्मनगर तक का टुकड़ा (7 कि० मी०) एक फीडर सड़क है जिसका रख-रखाव राज्य लोक-निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन के पास सड़क का जो टुकड़ा है उस पर 24 किलो मीटर तक दोबारा तल चढ़ाने का कार्य लगभग 10 लाख रुपए की लागत से इस वर्ष के अन्तर्गत पूरा कर दिया गया था।

केवल गत वर्ष ही यह निर्णय किया गया था कि इस राजमार्ग को सिंगल—लेन राजमार्ग स्टैंडड के रूप में सुधार दिया जाये।

(ख) सारे राजमार्ग के कुल सुधार कार्य में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से 5 से 6 वर्ष का समय लगेगा जिसमें पटरी को मजबूत करना, स्थायी निर्माण का बनाना; ो बारा तल चढ़ाना आदि कार्य सम्मिलित हैं। सड़क के इस टुकड़े अर्थात बदरपुर बागवासा, सुधार कार्य की मोटे तौर पर लागत लगभग 230 लाख रुपए है।

(ग) सुधार कार्य केवल 1975-76 में ही प्रारम्भ किया गया था और वह कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है।

परमाणु प्रौद्योगिकी की बिक्री संबंधी सात राष्ट्रों के समझौते का प्रभाव

1708. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु प्रौद्योगिकी की बिक्री को नियन्त्रित करने के लिए सात राष्ट्रों के समझौते का शान्ति प्रयोजनों के लिए भारत की परमाणु क्षमता के स्वतन्त्र विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सात राष्ट्रों द्वारा भारत का अपमान किया गया है; और

(ग) क्या हमारा देश सात राष्ट्रों के उक्त समझौते को स्वीकार करने के लिए बाध्य है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) तथा (ग) पिछले दिनों समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचना के अनुसार परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी की जानकारी देने वाले कुछ देशों ने परमाणु सन्यन्त्रों की बिक्री के बारे में कुछ मार्गदर्शक-सिद्धान्तों पर सहमति व्यक्त की है। समाचार-पत्रों में जिन देशों का उल्लेख किया गया है, उनमें से किसी भी देश से इस बारे में कोई अधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सरकार के ध्यान में यह बात आई है। देश में स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण भविष्य में स्थापित की जाने वाली परमाणु विषयक परियोजनाओं के लिए आयात किये जाने वाले संघटक पुर्जों में से अब केवल विशेष प्रकार की कच्ची सामग्री और कुछ वाल्व तथा अन्य संघटक पुर्जे ही मंगाने पड़ेंगे। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे कि समाचार पत्रों में जिन देशों का उल्लेख किया गया है उन की गतिविधियों के कारण हमारे परमाणु कार्यक्रम की प्रगति पर कोई प्रतिकुल प्रभाव न पड़े।

आसाम के नार्थ कछार हिल्स और मिकिर पहाड़ी जिलों में आदिवासी कल्याण के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में नियत राशि

1709. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के नार्थ कछार हिल्स और मिकिर हिल्स जिलों में आदिवासी कल्याण के लिये पांचवी पचंवर्षीय योजना में कितनी राशि रखी गई है ;

(ख) क्या उक्त दोनों जिले शिक्षा, सांस्कृतिक विकास, परिवहन, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश में सर्वाधिक पिछड़े हुए जिले हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों और देश के ऐसे ही अन्य जिलों पर विशेष ध्यान देने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) नार्थ कच्छार और मिकिर हिल्स जिलों की उप-योजनाओं के लिये पांचवीं योजना में अस्थायी आवंटन 63.29 करोड़ रुपये है जिस में इन जिलों में आदिवासियों के विकास के अधिकांश कार्यक्रम आ जायेगें।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार नार्थ कच्छार हिल्स की साक्षरता का प्रतिशत 26.25 है और मिकिर हिल्स का 19.12 जबकि असम का 28.81 और सारे भारत का 29.3 है। इन दो जिलों में सड़क लम्बाई (1971) की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :—

सड़क लम्बाई (कि० मी० में)

	प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्र	प्रति लाख जन संख्या
मिकिर हिल्स	4.8	132
नार्थ कच्छार	9.2	593
असम राज्य	48.9	326
समस्त भारत का औसत . . .	39.2	235

दो जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों के रूप में चुना गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में दो जिलों के विकास का स्तर इस प्रकार समान नहीं है और वे देश के पिछड़े हुए जिलो में से है।

(ग) 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के बारे में पांचवीं योजना के अधीन विशेष कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए योजना की एकीकृत नीति को अपनाया जा रहा है।

आकाशवाणी के सिलचर केन्द्र से मणिपुरी भाषा में कार्यक्रम

1710. **श्री नुरुल हुडा : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के सिलचर केन्द्र से मणिपुरी (मिथीय) तथा विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषाओं में जो कार्यक्रम अक्तूबर, 1975 से दिये जाने आरम्भ होने थे, वे दिये जा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक भाषा के लिए कितना समय नियत किया; और

(ग) क्या आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र में स्थानीय समाचार सेवाएं भी लागू की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) और (ख). आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र से, वहां नये स्टूडियो के चालू हो जाने के शीघ्र बाद, प्रतिदिन 30 मिनट का कार्यक्रम मणिपुरी में और 15 मिनट का कार्यक्रम विष्णुप्रिया में चालू करने का प्रस्ताव है।

(ग) फ़िलहाल आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र से सायं 5 बजकर 55 मिनट पर दिमासा बोली में 5 मिनट का एक समाचार बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित किया जाता है।

मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना

1711. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पांचवीं योजनावधि में एक ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Power Shortage in Madhya Pradesh, Haryana and Eastern States

1712. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(*a*) whether Madhya Pradesh, Haryana and Eastern States of the country are facing acute power shortage ; and

(b) if so, steps taken by the Government to improve the position ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) & (b). There is no power shortage in Haryana and in the States of Bihar and Orissa in the Eastern Region. Restrictions on maximum demand are in force in Madhya Pradesh and West Bengal.

Apart from the fact that several generation projects are at present under execution in Madhya Pradesh and West Bengal, a number of steps such as maximizing generation from existing thermal capacity by arranging supply of adequate quantity of coal of suitable quality, arranging timely availability of spare parts, modernising of maintenance procedures, rostering and staggering of loads, integrated operation of systems, expediting the commissioning of projects under construction, monitoring of operation and maintenance of thermal stations, arranging relief for deficit areas from neighbouring States/systems etc. are being taken to further improve the availability of power in the country as a whole.

Rural Electrification in Madhya Pradesh

1713. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Energy** be pleased to state : (a) the number of schemes to be undertaken for implementation by Rural Electrification Corporation in Madhya Pradesh in 1975-76 and 1976-77 ; and

(b) the progress made in implementation of these Schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddeshwar Prasad) : (a) & (b). The programme of rural electrification is formulated and implemented by the State Electricity Boards. The Rural Electrification Corporation Ltd. which has been set up in the central sector provides additive loan assistance to the Boards for implementation of these schemes. **It** does not undertake implementation of any scheme itself.

The Corporation has during 1975-76 sanctioned 39 rural electrification schemes (including one Rural Electric Cooperative Scheme) in Madhya Pradesh inolving a total loan assistance of Rs. 14·81 crores. The schemes sanctioned by the Corporation are phased for completion over a period ranging upto five years and are still not off the ground.

Sanction of loan assistance during 1976-77 will depend upon the number of rural electrification schemes sponsored by the State Electricity Board and approved by the Corporation in accordance with the norms and guidelines prescribed by it.

राज्यों द्वारा तैयार की गई आदिवासी उप-योजनाओं के लिए नियतन

1714. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई आदिवासी उप-योजनाओं को योजना आयोग ने अनुमोदित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई प्रत्येक आदिवासी उप-योजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) : हिमाचल प्रदेश समेत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की उप-योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

Setting up of Industries in Adivasi Districts of Madhya Pradesh

1715. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state : (a) whether any scheme for setting up any industry in Adivasi districts of Madhya Pradesh has been received from State Governments ;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya): (a) to (c) In their Annual Plan for 1976-77, the State Government proposed a total outlay of Rs. 165·46 lakhs under the General Plan for the development of village and small industries, including Rs. 30·09 lakhs to be spent in the tribal areas, industry-wise break-up of which is indicated below:—

(Rs. lakhs)

1.	Small Scale Industries	9·63
2.	Industrial Estates	4·70
3.	Sericulture	3·09
4.	Handloom Industry	6·03
5.	Handicrafts	1·09
		30·09

An outlay of Rs. 160 lakhs under the General Plan has been approved for the development of villages and Small industries for M. P. for 1976-77. The outlay for the Tribal Sub-Plan is yet to be finalised.

The various promotional schemes (Central/State/Centrally Sponsored) in operation will provide adequate benefit and assistance for setting up of industries in Adivasi Areas of Madhya Pradesh.

पश्चिम बंगाल में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

1716. **श्री समर गुह :** क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वह इस समय किस स्थिति में है ।

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिमी क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के प्रश्न पर पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल राज्य योजना बोर्ड के साथ जो विचार-विमर्श हुआ था उसके दौरान उस बोर्ड को यह परामर्श दिया गया था कि वह इस बारे में विस्तृत अध्ययन करे कि पूरे क्षेत्र तथा राष्ट्र की ऊर्जा संबंधी नीति के संदर्भ में, इस क्षेत्र की बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी अवधि विशेष के लिए ताप-बिजली, पन-बिजली तथा परमाणु बिजली के उत्पादन की कौन सी मिली-जुली व्यवस्था श्रेष्ठतम तथा अनुकूलतम सिद्ध हो सकती है । बोर्ड को यह भी परामर्श दिया गया था कि यदि इस अध्ययन के बाद यह पाया जाए कि पश्चिमी क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक सिद्ध होगा तो उसकी स्थापना के लिए ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया जाए । आगे की कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है ।

Rate of Increase in Unemployment during Last Five Years

1717. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:
(a) the percentage increase in un-employment in 1975-76 as compared to the un-employment in 1970-71; and

(b) the percentage by which this un-employment would be brought down in Fifth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) : (a) Precise estimates of percentage increase in un-employment in 1975-76 as compared to 1970-71 are not available. However, according to the information available from live registers of Employment Exchanges, the number of job-seekers increased from 40·69 lakhs as on 31st December, 1970 to 93·26 lakhs as on 31st December, 1975 showing an increase of about 129%. It may, however, be stated that the live register figures suffer from various well-known limitations such as :

(i) persons register their names in more than one Employment Exchange resulting into multiple registrations (ii) all the persons registered with the Employment Exchanges are not necessarily un-employed and (iii) several un-employed persons, especially, belonging to rural areas, do not register their names with the Employment Exchange.

(b) All possible efforts are being made to provide additional employment opportunities by implementation of different plan programmes. However, it is not possible to give any estimate of the percentage by which unemployment would be brought down during the Fifth Five Year Plan.

सिंगरौली, मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना

1718. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के सिंगरौली में एक तापीय विद्युत् संयंत्र की स्थापना के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सिंगरौली में ताप-विद्युत् केन्द्र की स्थापना संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की कोई समिति नहीं बनाई गयी है, परन्तु देश में सुपर ताप-विद्युत् केन्द्रों के लिए स्थानों की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी। इसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत, प्रारम्भ में, मिर्जापुर जिले में एक सुपर ताप-विद्युत् केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह केन्द्र सिंगरौली के कोयले पर आश्रित होगा। इस केन्द्र की अधिकतम क्षमता 2000 मेगावाट होगी और आशा है कि इस केन्द्र की पहली यूनिट छठी योजना के मध्य तक चालू हो जाएगी।

मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण हुए आई० ए० एस/आई० एफ० एस०/आई० पी० एस०/केन्द्रीय सेवा श्रेणी एक के उम्मीदवार

1719. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में आई० ए० एस०/आई० एफ० एस०/आई० पी० एस०/ केन्द्रीय सेवा श्रेणी एक की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : निम्नलिखित वर्षों में विभिन्न सेवाओं में आवंटित किए गए मध्य प्रदेश के उन उम्मीदवारों की संख्या जिनको परीक्षा द्वारा भर्ती किया गया इस प्रकार हैं :--

सेवा	1973	1974	1975
भारतीय प्रशासन सेवा	1	4	2
भारतीय वन सेवा	--	1	1
भारतीय पुलिस सेवा	2	--	--
केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-1	2	2	--

राज्यों में प्रति व्यक्ति आय

1720. **श्री के० लकप्पा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति आय सब से अधिक हिमाचल प्रदेश में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति आय इस समय क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). जी नहीं। उपलब्ध नवीनतम वर्ष (1973-74) में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के क्रम में रखा गया है।

विवरण

प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद
1973–74

क्रम संख्या	राज्य	प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद (रु०)
1.	पंजाब	1386
2.	महाराष्ट्र	1080
3.	गुजरात	1034
4.	पश्चिम बंगाल	910
5.	हिमाचल प्रदेश	902
6.	तमिल नाडु	870
7.	आन्ध्र प्रदेश	808
8.	केरल	785
9.	राजस्थान	769
10.	मध्य प्रदेश	720
11.	जम्मू और काश्मीर	708
12.	कर्नाटक	704
13.	उत्तर प्रदेश	698
14.	मणिपुर	609
15.	बिहार	604
16.	असम	601

स्रोत : राज्यों के सांख्यिकीय ब्यूरो

टिप्पणी : संकल्पनाओं, रीति-विधान और स्रोत-सामग्री में अन्तर होने के कारण विभिन्न राज्यों के आंकड़े सही अर्थ में तुलनात्मक नहीं है।

सहकारी क्षेत्र में लाभांशों की अधिकतम सीमा निश्चित करना

1721. श्री वसन्त साठे :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विशेष रूप से सहकारी चीनी कारखानों में लाभांशों

की अधिकतम सीमा निश्चित करने संबंधी राज्यो के नियमों व विनियमों पर पुनः विचार करने के निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों/सहकारी संगठनों की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार, है, और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). सहकारी सोसायटियों द्वारा देय लाभांशों की अधिकतम सीमा, जैसा कि राज्य सहकारी विधियों में निर्धारित की गई है, विभिन्न राज्यो में अलग-अलग है । आम तौर पर यह 10 प्रतिशत के लगभग है । राज्य सरकारों की इन अधिकतम सीमाओं से सम्बन्धित उपबन्धों पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहा गया है । तथापि, सहकारी चीनी कारखानों द्वारा वास्तव में दिए जाने वाल लाभांशों के अपेक्षित स्तर की जांच निर्धारित अधिकतम सीमाओं के भीतर की जा रही है, ताकि, यदि आवश्यक हो तो राज्यों को समुचित मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए जा सकें ।

यूनियन कार्बाइड द्वारा व्यापार का विविधीकरण

1722. **श्री शशि भूषण :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड ने सिले सिलाये वस्त्रों और झींगा (श्रिम) उत्पादन के क्षेत्र में अपने कार्य का विविधीकरण करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होगा;

(ग) क्या अपने व्यय व्यापार का विविधीकरण करने के लिए उनको अनुमति दे दी गई है ; और

(घ) यूनियन कार्बाइड की गतिविधियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) : केन्द्रीय सरकार ने यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) लि० के पूर्ण रुपेण निर्यात के लिए सिले सिलाए कपड़ों तथा परिष्कृत समुद्री उत्पादों के उत्पादन सम्बन्धी प्रस्ताव को क्रमश: सितम्बर, 1975 और सितम्बर, 1973 में जारी किए गए आशय पत्रों द्वारा स्वीकृति दे दी है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 को लागू करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन 40% से अधिक अंशधारिता वाली कम प्राथमिकता वाले उत्पादन कार्यों अथवा वाणिज्यिक कार्यों में लगी भारतीय कम्पनियों के लिए यह विकल्प रखा गया है कि या तो वे अपनी विदेशी इक्विटी को घटाकर 40% करे या अपने कार्यों के रूप में विविधीकरण द्वारा परिवर्तन लाएं और निश्चित रुप से औद्योगिक लाइसेंस नीति 1973 के परिशिष्ट I में उल्लिखित वस्तुओं

के उत्पादन कार्य में लगे या मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किए गये उल्लेख के अनुसार निश्चित रुप से निर्यात मूलक उद्योगों में प्रवृत हों। इस प्रकार के विविधीकरण के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अधीन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति 28 दिसम्बर, 1973 को सदन के सभा पटल पर रख दी गई है।

जुलाई 1975 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अधीन मे० यूनियन कार्बाइड आफ इण्डिया लि० को दिसम्बर, 1970 में जारी किए गए आयात लाइसेंस पर मे० डल्फिन फिशरीज प्रा० लि०, क बम्बई द्वारा आयातित मछली पकड़ने की दो नौकाओं (ट्रालर्स) की सहायता से मछली पकड़ने का कार्य चालू रखने की अनुमति प्रदान किया था। रिजर्व बैंक की अनुमति में अन्य बातों के साथ साथ यह शर्त भी लगाई गई है कि इन दोनों नौकाओं की सहायता से पकड़ी गई सभी मछलियों का भारत के बाहर निर्यात किया जायेगा। बैंक की अनुमति यू० का० (इण्डिया) लि० के आवेदन पर धारा 29(2) (क) के अधीन लिए जाने वाले निर्यात में पूर्वग्रह से मुक्त है।

मंत्रालयों एवं सरकारी उपक्रमों में हिन्दी का उपयोग

1723. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों एवं सरकारी उपक्रमों में हिन्दी के उपयोग की जांच के लिये तीन उप-समितियां नियुक्त की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). सरकार द्वारा ऐसी कोई उप-समितियां नियुक्त नहीं की जा रही है। परन्तु राजभाषा अधिग्नयम, 1963 की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसरण में गठित राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति ने 4 मार्च, 1976 को हुई अपनी बैठक में तीन निम्नलिखित उप-समितियां गठित करने का निर्णय किया जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों इत्यादि में विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करेंगी :—

पहली उप-समिति :

रक्षा, विदेश, शिक्षा, गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग;

(ख) हिन्दी शिक्षण, यांत्रिक तथा अन्य सहायता और अनुवाद कार्य तथा अन्य हिन्दी कार्य के लिए कर्मचारी।

दूसरी उप समिति :

रेल, संचार, सुचना व प्रसारण, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय,

तीसरा उप-समिति :

वित्त, पैट्रोलियम तथा रसायन, ईस्पात तथा खान ; ऊर्जा, वाणिज्य, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, श्रम, पर्यटन तथा नागर विमानन, परिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रोद्योगिक विभाग इत्यादि

Prices of Tractors

1724. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring down the increasing prices of tractors so that farmers could get them at cheaper rates ; and

(b) if so, the comparative statement of prices of different types of tractors three years back and at present ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) Government have been making efforts to contain the prices of tractors at reasonable levels. Statutory price control was substituted by price surveillance in order to harmonise a certain degree of operative elasticity to the manufacturers and the need to maintain prices at a socially desirable level. Price surveillance has now been limited to preferred models of tractors which function as price leaders in their respective horse power ranges.

(b) A statement is attached.

Statement

Name of the tractor Model	F.O.R. destination price as on 1-72-73	Current F.O.R. Destination Price
	(Rs.)	(Rs.)
Hindustan (50 HP)	39,155	53,170
MF-1035 (35 HP)	28,930	43,275
International B 275/276 (35 HP)	28,930	43,750
444 (45 HP)	32,560	47,650
Escorts 335 (35 HP)	28,930	40,153
Ford—3000 (46 HP)	39,155	51,240
Eicher (26·5 HP)	27,720	30,700
Zetor—2511 (25 HP)	23,650	35,910
Pittie—4000 (37 HP)	28,930	32,000
Swaraj—724 (23·5 HP)	27,720	37,093

कोका कोला निर्यात निगम को आयात लाइसेंस दिया जाना

1725. **श्री रानेन सेन :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम को केवल 2 लाख रुपये का वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान क्रमश: 7 लाख रुपये, 16 लाख रुपये तथा 15.12 लाख रुपये का आयात लाइसेंस मंजूर किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण तथा तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1971-72 की अवधि में मैं० कोका कोला एक्सपोर्ट कार० को कुल 1,95, 200 रु० मूल्य के वास्तविक उपयोग कर्ता के आयात लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे।

(ख) और (ग) : 1 अप्रैल, 1971 से कोका कोला एक्सपोर्ट कार० के आयात की प्रतिपूर्ति सान्द्रण निर्यात के 20 प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दी गई थी, आयात प्रतिपूर्ति के कोट का उनकी विद्यमान बोतलें भरने के संयंत्रों में भी उपयोग किया जा रहा था। आयात प्रतिपूर्ति कोटे में इस भारी कमी को देखते हुए बोतलें भरने के संयंत्रों को चालु रखनेहेतु तदर्थ वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस जारी करने पड़े। 1971-72 की अवधि में इस प्रकार के 7 लाख रु० का तदर्थ वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस जारी किया गया था और कुल मिलाकर वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस वर्ष में 8,95,200 रु० का हो गया। एक सरकारी समिति की विस्तृत जांच के आधार पर मैं० कोका कोला एक्सपोर्ट कार० को भारत स्थित 22 बोतलें भरने वालों के लिए आवश्यक सान्द्रण बनाने हेतु 1972-73 और 1973-74 की अवधिमें 16 लाख और 14 25 लाख रु० के तदर्थ वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस दिए गए थे। भारत से निर्यात किए जाने वाले सान्द्रल का उत्पादन करने के लिए भी इस कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। मैं० कोका कोला एक्सपोर्ट कार० पर एक शर्त यह लगाई गई है कि उन्हें अपने निर्यातपरक उत्पादन पर 80 प्रतिशत तक रेमीटेन्स सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी। सभी मदों पर बाहर भेजी जाने वाली राशि की गणना में बोतले भरने के संयत्रों को दिए गए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंन्सों पर किए गए आयात का मूल्यआयात प्रतिपूर्ति और सी० जी० लाइसेंसों को भी ध्यान में रखा जाता है।

पश्चिम बंगाल का बांकुरा जिले की खनिज एव औदयोगिक क्षमता

1726. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विपुल खनिज एवं औद्योगिक क्षमता है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) और (ख): पश्चिम बंगाल के बाकुरा जिले में कुछ खनिज भण्डारों का पता चला है। राज्य की 1976–77 की वार्षिक योजना में पश्चिम बंगाल में खनिजों का पता लगाने और विकास योजनाओं के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

Winding up of I.C.C.L. and N.C.D.C. after formation of Coal India Ltd.

1727. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Bharat Coking Coal Ltd. and N.C.D.C. have been wound up after formation of Coal India Ltd; and

(b) if not the, justification for their continnance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddeshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) Coal India Limited is a Holding Company, while the Central Coalfields Ltd. (formerly NCDC) and the Bharat Coking Coal Limited are subsidiary Companies of the Coal India Limited responsible for production of coal in their respective areas.

Technical Assistance for Development of Atomic Energy

1728. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether any kind of technical assistance for the development of atom ic energy is being received from foreign countries; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b): India has collaboration agreements with USA and Canada in respect of nuclear power programme and an agreement with Commissartal a l'Energie Atomique France for the supply of know-how, consultancy services etc. for the Fast Breeder Test Reactor. India has also bilateral agreements for collaboration in the field of peaceful uses of atomic energy with Afghanistan, Argentina, Bangladesh , Belgium, Canada, Czecholsovakia, Denmark, Arab Republic of Egypt, France, Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, Hungary, Iraq, Romania, Spain and USSR. The agreements other than the project agreements, generally cover exchange of scientific personnel and experts, exchange of unclassified scientific and technical publications, exchange of materials, and fellowships for training.

राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों द्वारा प्रति-व्यक्ति विकास-व्यय और उन्हें प्राप्त केन्द्रीय सहायता

1729. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कितना विकास व्यय किया गया ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के कुल विकास व्यय में केन्द्रीय सहायता का वर्ष–वार कुल तथा प्रति व्यक्ति अंश कितना रहा।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) : निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है, जिनमें अपेक्षित सूचना दी गई है :—

विवरण 1 और विवरण 1–क : इन विवरणों में क्रमशः सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर 1973–74 में प्रति व्यक्ति योजना व्यय, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता का अंश और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10587/76]

विवरण 2 और विवरण 2–क : इन विवरणों में क्रमशः सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर 1974–75 में प्रति व्यक्ति योजना व्यय, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10587/76]

विवरण 3 और विवरण 3–क : 1975–76 के व्यय के आंकड़े अभी ज्ञात नहीं है इसलिए विवरण 3 और विवरण 3–क में क्रमशः प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय, प्रति-व्यक्ति केन्द्रीय सहायता और योजना परिव्यय में केन्द्रीय सहायता के अंश का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–10587/76]

सरकारी क्षेत्र को विद्युत तथा औद्योगिक परियोजनाओं को सप्लाई किए गए कोयले के लिए धन की वसूली न होना

1730. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सरकारी क्षेत्र को विभिन्न विद्युत तथा औद्योगिक परियोजनाओं को कोयला खान प्रतिष्ठानों द्वारा सप्लाई किए गए कोयले के लिए धन की वसूली न होने के कारण उत्पन्न समस्या के बारे में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन द्वारा गत मास धनबाद में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) ऐसी बकाया राशि कुल कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) 29–2–76 को कोल इंडिया लि० की सभी ग्राहकों पर कुल बकाया राशि लगभग 94 करोड़ रुपये थी, जिसमें 22 करोड़ रुपये की विवाद ग्रस्त राशि शामिल थी।

फिल्म डिविजन द्वारा निर्मित फिल्मों की निर्माण-लागत में वृद्धि

1731. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिविजन द्वारा निर्मित विभागीय फिल्मों की निर्माण-लागत में निरन्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं जहां किफायत की जा सकती है और लागत में कमी की जा सकती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (1) कीमतों और सेवाओं में सामान्य वृद्धि।

(2) कच्चे माल की लागत, विज्ञापन प्रभारों, चर्खियां, डिब्बे आदि की लागत में वृद्धि।

(3) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण।

(ग) मुख्यतया फिल्म-वार-बजट बनाकर प्रभावी लागत नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

रोड़ी में एक संमिश्रण के रूप में 'फ्लाई ऐश' का प्रयोग

1732. **श्री राजदेव सिंह :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अनुसन्धान समीक्षा के अनुसार, यद्यपि रोड़ी, में संमिश्रण के रूप में तापीय केन्द्रों द्वारा उत्पादित 'फ्लाई ऐश' की उपयोगिता को काफी समय से स्वीकार किया जा रहा है, तो भी सीमेंट के उपयोग में आनुपातिक कटौती करने के उद्देश्य से संमिश्रण तैयार करने के वैज्ञानिक तरीके नहीं निकाले गये हैं।

(ख) यदि हां, तो ये तरीके निकालने में कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या अनुसन्धान निष्कर्षों के आधार पर 'फ्लाई ऐश' का उपयोग आन्ध्र प्रदेश की कई सिंचाई परियोजनाओं में व्यापक रूप से किया जा रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). पार्टलैंड सीमेंट के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में देश में तापीय विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश को मिलाकर वैज्ञानिक तरीके से एकाधिक संस्थानों द्वारा एक रोड़ी मिश्रण की पद्धति तैयार की गई है। इस पद्धति का संगोष्ठियों में परिचालित पत्रों द्वारा और प्रमुख इंजीनियरी जरनलों में प्रकाशन करके व्यापक प्रचार किया गया है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह बताया गया है कि उनकी सिंचाई और विद्युत विभाग की सभी प्रमुख परियोजनाओं के बड़े बड़े निर्माण कार्यों में 20% तक सीमेंट प्रतिस्थापन कर के फ्लाई ऐश को व्यापक रूप से व्यवहार में लाया जा रहा है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा लैक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण

1733. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का शीघ्र ही इलैक्ट्रानिक्स घड़ियों का निर्माण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस घड़ी की विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस घड़ी की प्रस्तावित कीमत क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

तमिलनाडु राज्य विद्युत ग्रिड

1734. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु प्रशासन ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य विद्युत ग्रिड को सुदृढ़ बनाने के लिए धन दें; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) अन्य राज्यों की भांति तमिलनाडु में भी पारेषण और वितरण कार्यक्रमों के लिए विनिधान राज्य की वार्षिक राज्य योजना में शामिल कर लिए जाते हैं और निधियों की आवश्यकता का निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। 1975-76 के दौरान तमिलनाडु सरकार को अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भी ऋण सहायता दी गई है ।

Tractor Factory at Fatuha, Patna

1735. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) Whether a tractor factory is being built at Fatuha in Patna district with the cooperation of H. M. T.; and

(b) Its annual production capacity and the time by which Government propose to commission it?

The Minister of state in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) & (b). Bihar State Agro Industries Development Corporation Ltd., Patna, have been issued a letter of intent on 5-11-73 for setting up a factory at Fatuha, Distt. Patna in Bihar State for the manufacture of Zetor-2511 (25HP) tractors for a capacity of 10,000 nos. per annum under a sub-licensing arrangement with M/s Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore. The assembly of tractors is expected to start during 1976-77.

टेलीविजन स्टुडियो में लगी आग की घटना की जांच

1736. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष आग की घटना को, जिससे दिल्ली में एक टेलीविजन स्टुडियो को क्षति हुई थी, कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया था।

(ख) पता चला है कि दिल्ली पुलिस आग लगने का कारण स्थापित नहीं कर सकी।

लघु उद्योग संबंधी परामर्श सेवा के लिए राजसहायता दिया जाना

1737. **श्री हरी किशोर सिंह : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग संबंधी परामर्श सेवा के लिए राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) एक योजना पहले से ही चल रही है। एक स्वीकृत नामिका से परामर्शदाताओं की सेवाएं राजसहायता आधार पर लघु उद्योगों को प्राप्त हैं। राजसहायता पिछड़े क्षेत्रों में 100 प्रतिशत है तथा अन्य क्षेत्रों में 25 प्रतिशत हैं। परामर्शदाताओं की नाममात्र निश्चित फीस 50 रु० से 100 रु० प्रतिदिन है जो एक मास में 1000 से अधिक नहीं हो सकती है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को बासुदेवपुर कोयला खान का कार्यकरण

1738. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धनबाद के निकट भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, को वासुदेवपुर कोयला खान के कार्यकरण में कथित कठिनाइयों की जानकारी है ; और

(ख) चासनाला दूर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि वासुदेवपुर कोयला खान में चासनाला की तरह पानी भर जाने की कोई आशंका नहीं है तथापि भारत कोकिंग कोल लि० ने कोयला खान की कठिनाइयों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इसकी रिपोर्ट मिल गई हैं तथा उसमें की गई सिफारिशों को परिपालन हेतु जांच की जा रही है।

ग्रामोद्योग के उत्पादों का अध्ययन

1739. **श्री रामसहाय पाँडे : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ग्रामोद्योग के उत्पादों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख). भारत के प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा ग्रामीण उद्योग प्रोफाइल और संगठन का अध्ययन किया गया है । इस समय रिपोर्ट की खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

वर्ष 1975–76 के दौरान नई प्रजनन क्षमता बनाया जाना

1740. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने प्रजनन क्षमता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं, यथा, पूंजी तथा सामग्री की कमी, उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों संबंधी कठिनाइयों को जिनका उल्लेख मंत्री महोदय ने लोक सभा में 7-1-76 को तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर में किया था, दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं, और उनके क्या परिणाम निकले;

(ख) वर्ष 1975–76 के दौरान कितनी नई प्रजनन क्षमता बनाई गई; और

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान तापीय एककों से कुल प्रजनन में 8 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि का लक्ष्य वस्तुतः प्राप्त हो गया है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की प्रतिष्ठापना का निर्माण कार्य समय सूची के अनुसार हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नीचे बताए अनुसार कार्रवाई की जा रही है ।

1. इस्पात, सीमेंट आदि जैसी दुर्लभ वस्तुओं का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन ।
2. उपकरणों के आयात में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए देशी उपकरण निर्माताओं से बातचीत करना ताकि इनकी सुगमता से और समय पर उपलब्धि सुनिश्चित हो ।
3. जिन मामलों में आयात अपरिहार्य हो उनके लिए शीघ्रतापूर्वक विदेशी मुद्रा को मुक्त करना ।
4. कठिनाइयों और बाधाओं का पूर्वानुमान करके उन्हें दूर करने के उद्देश्य से परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की प्रभावकारी तरीके से निर्देशन व्यवस्था करना ।
5. जहां समस्याएं उत्पन्न हों वहां विशेषज्ञतापूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था करना ।
6. निधियों की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

(ख) 1975–76 के दौरान अभी तक लगभग 1650 मेगावाट (ताप-विद्युत् और जल-विद्युत) की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता चालू हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है । इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले और अधिक क्षमता चालू किए जाने का कार्यक्रम है ।

(ग) जी, हां ।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाये जाने हेतु भेजे गए मामले

1741. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाये जाने के लिये कितने मामले भेजे गए थे ;

(ख) उनमें से कितने मामलों में राजपत्रित अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे; और

(ग) उनमें से कितने अधिकारियों को सजा हुई है और क्या सजा हुई हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिसम्बर 1975 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 124 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए थे । इनमें से 40 मामलों में राजपत्रित दर्जे के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे ।

(ग) जिन मामलों में राजपत्रित अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं, उनमें से अभी तक केवल एक मामले का विचारण पूरा हुआ है । अधिकारी को दोषसिद्ध पाया गया था और उसे दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड तथा 500 रुपए का जुर्माना किया गया ।

भारत में कार्यशील बहु राष्ट्रिक निगम

1742. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यशील बहु राष्ट्रिक निगमों की संख्या कितनी है और इन सभी निगमों से सम्बद्ध देशों के नाम निगम-वार क्या हैं ;

(ख) इन निगमों में से प्रत्येक निगम में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है और इसमें (i) गैर-सरकारी क्षेत्रों के एकाधिकार कम्पनियों और (ii) राज्य क्षेत्रों द्वारा कितने प्रतिशत पूंजी लगाई गई है ;

(ग) ऐसे निगमों की स्थापना के लिए मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है और ऐसे प्रस्तावित निगमों से सम्बद्ध देशों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भारत बहुराष्ट्रीय निगम अपनी शाखाओं और भारतीय सहायक कम्पनियों के माध्यम से काम करते हैं । 31-4-1974 को भारत में विदेशी कम्पनियों की 540 शाखाएँ काम कर रही थीं जिन देशों की ये शाखाएँ हैं वे इस प्रकार हैं :—

अदन (1), आस्ट्रेलिया (4), बहामाद्वीय समूह (2), बंगलादेश (6), बेल्जियम (3), कनाडा (7), फ़ान्स (8), ग्रीस (1), हांगकांग (6), ईरान (1), इटली (5),

जापान (21), केनिया (1), कुवैत (1), लेबनान (2), लाइबेरिया (1), लक्समबर्ग (1), नेपाल (3), नीदरलैंड (6), न्यूजीलैंड (3), पाकिस्तान (6), पनामा (2), फिलीपाइन (1), सिंगापुर (3), श्रीलंका (1), स्वीडन (5), स्विटजरलैण्ड (11), तन्जानिया (1), थाईलैण्ड (2), उगांडा (3), ग्रेट ब्रिटेन (319), संयुक्त राज्य अमेरिका (83), पश्चिम जर्मनी (12), यूगोस्लाविया (3) ।

31–3–1974 को भारत में विदेशी कम्पनियों की 188 सहायक भारतीय कम्पनियां चल रहीं थीं । जिन देशों की ये मूल कम्पनियां हैं उनके नाम निम्न प्रकार है :—

बहामा द्वीप (1), कनाडा (3), इटली (3), जापान (1), पनामा (1), स्वीडन (8), स्विटजरलैण्ड (11), ग्रेट ब्रिटेन (131), संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (24), और पश्चिमी जर्मनी (5) ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस समय विदेशी इक्विटी सहभागिता वाले 8 विदेशी सहयोग, प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । विदेशी सहयोगी जिन देशों के हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

बेरमुडा, डेनमार्क, जर्मन गणवादी जनतंत्र (2 प्रस्ताव) कुवैत, ग्रेट ब्रिटेन (2 प्रस्ताव) और संयुक्त राज्य अमेरिका । ये प्रस्ताव प्रक्रिया की विभिन्न स्थितियों में है और इन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

इंजीनियरी वस्तुओं के निर्माण में कदाचार

1743. **श्री शशि भूषण :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी वस्तुओं के निर्माण में कदाचार के बारे में 1 मार्च, 1976 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त कदाचारों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है और भविष्य में इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : सरकार ने एक प्रैस रिपोर्ट देखी है जिसमें नेशनल टैस्ट हाऊस द्वारा किए गए परीक्षण और जांच में इन्जीनियरिंग का समान बनाने में कदाचार पाया गया है । यह लघु उद्योग क्षेत्र की अधिकांशतः पूर्वीय क्षेत्र की फर्मों द्वारा अनुपयुक्त सामग्री और तकनीक के उपयोग के सम्बन्ध में हैं । ध्यान में आए हुए दोष इस प्रकार हैं :

1. **स्टील हुक** : इनका बिना जोड़ के टुकड़े से ताप देकर बनाना जरूरी होता है किन्तु पाया यह गया है कि कुछ निर्मातागण भिन्न भिन्न आकार के हों या अधिक छड़ों को वैल्ड करके हुक बनाते हैं और सारे पर वैल्ड मीटल चढा देते हैं ।

2. **शेकल्स** : इसमें भी गढाई प्रक्रिया अपनानी पड़ती है किन्तु पाया यह गया है कि वैल्डिग प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

3. **स्टील वायर रोप स्लिग** : यह पाया गया है कि काम में लाए गए वायर रोप की टूटी हुई स्टेन्डों को निकाल लिया गया और दूसरे क्षतिग्रस्त वायर रोप की साबुत स्टेन्डों से बदल दिया गया ।

4. **स्टील शार्ट लिंक चेनें** : ये चेनें इलैक्ट्रिक आर्क बेल्डिग अथवा इलैक्ट्रिक रेसिसटेन्स बट वैल्डिग प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है । पहली प्रक्रिया में प्राय: वैल्डिग करने के पूर्व अन्तिम उत्पाद ठीक से नहीं बना जिसके परिणामस्वरूप बैल्डिग की धातु के प्रवेश में कमी आ जाती है, दूसरी में वैल्डिग करने के बाद आवश्यक ताप नहीं दिया गया है ।

5. **माइल्ड स्टील की छड़ें** : निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक माइल्ड स्टील की छड़ें स्टेन्डर्ड बिलेटों में से निकाली जाती हैं, किन्तु कुछ निर्मातागण स्क्रेप को गलाकार इन्हें रोलिंग मिलों में बनाते हुए पाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक दृढता में कमी होती पाई गई है ।

6. **हैंड टूल्स** : हैण्ड टूल्स गढाई द्वारा बनाए जाने चाहिए किन्तु इन्हें ढलाई करके भी बनाते हैं और ऐसा करने में उनमें आवश्यक दृढता नहीं रह जाती है और वे समयपूर्व ही निष्प्रयोग हो जाते हैं ।

(ग) हुकों, शेकल्स वायर रोप चैनों और हाथ के औजारों के बारे में आई एस आई मानकीकरण विशिष्टताऐं निर्धारित कर दी गई हैं जो एकक इन वस्तुओं को बनाने के लिए पंजीयित हैं उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से इस आवश्यकता का पता है और कारखानों में इन वस्तुओं का प्रयोग कारख़ाना अधिनियम 1948 (मद संख्या 28 नियम 55) द्वारा शासित है, जिसके अनुसार बिना उचित परीक्षण और जांच प्रमाणपत्र के उनके प्रयोग का स्पष्टरूप से निषेध कर दिया गया है । नेशनल टैस्ट हाऊस को भेजी गई सामग्री की डिस्ट्रक्टिव और नान-डिस्ट्रक्टिव दोनों ही विधियों से परीक्षण करती है और जांच के दौरान जो सामग्री अनुपयुक्त पाई जाती है उसे स्वीकृति के लिए प्रमाणित नहीं किया जाता है । इस समय नान-डिस्ट्रिक्टिव परीक्षण के लिए संगत आई एस आई मानकीकरण विशिष्टताऐं उत्पादों में दोषों (अल्ट्रासोनिक और अथवा रेडियोग्राफिक) का पता लगाने हेतु, बाध्यकारी नहीं हैं । अतिरिक्त पूर्वोपाय के रूप में नान डैस्ट्रक्टिव परीक्षण को भी अनुमत करने की दृष्टि से भारतीय मानकों को संशोधित किया जा रहा है ।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 1036 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 13 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा टायर और ट्यूब (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1974 रद्द किया गया है कि सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 10578/76]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1975, जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 233(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 234(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 235(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 236(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 10579/76]

सीमा शुल्क अधिनियम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, टैरिफ अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 204(ङ) से 228(ङ); 230(ङ) और 231 (ङ) (हिन्दी संस्करण); जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशिन हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(**ग्रन्थालय में** रखी **गई**) [देखिए संख्या एल० टी० 10580/76]

(दो) सा० सां० नि० 249(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशिन हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रंथालय में** रखा **गया** । **देखिए** संख्या एल० टी० 10581/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 128(ङ), 129(ङ), 132(ङ), 133(ङ) 135(ङ) से 153(ङ), 157(ङ) से 159(ङ), 161(ङ) से 193(ङ); 196(ङ), 197(ङ), 200(ङ); 201(ङ) और 203 (ङ) (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रंथालय में रखे गये** । **देखिए** संख्या एल० टी० 10580/76]

(3) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 229(ङ) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रंथालय में रखे गये** । **देखिए** संख्या एल० टी० 10580/76]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दसवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 160(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[**ग्रंथालय में रखे गये** । **देखिए** संख्या एल० टी० 10580/76]

भारत की आकस्मिकता निधि में से निकाली जाने वाली अग्रिम धन राशि दर्शाने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं एक 'नई सेवा' अर्थात दि नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पर जिसके लिये वर्ष 1976-77 के लिये अनुदानों की मांगों में आवश्यक उपबन्ध किया गया है, व्यय के लिये वर्ष 1976-77 की 'लेखानुदान' अवधि के दौरान भारत की आकस्मिकता निधि में से निकाली जाने वाली अग्रिम धन राशि दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[**ग्रंथालय में रखा गया ।** **देखिए** संख्या एल० टी० 10582/76]

आरक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं आरक्षित तथा सहायक वायु सेना 1952 की धारा 34 की अधिनियम, उपधारा (4) के अन्तर्गत आरक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 23 में प्रकाशित हुए थे), सभा पटल पर रखता हूं ।

[**ग्रंथालय में रखी गई ।** **देखिए** संख्या एल० टी० 10583/76]

Rivew and Annual Report on the Working of the Rural Electrification Corportaion for 1974 76

Deputy Minister in the Ministry of Atomic Energy (Prof. Siddheshwar Prashad): I beg to lay on the Table:—

A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(1) Review by the Government on the working of the Rural Electrification Corporation, New Delhi, for the year 1974-75.

(2) Annual Report of the Rural Electrification Corporation, New Delhi, for the year 1974-75 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library, See No.* LT-10584/76]

वर्ष 1976-77 के लिए नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1976-77 के लिए नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[**ग्रंथालय में रखी गई ।** देखिए संख्या एल० टी० 10585/76]

राज्य सभा से सन्देश
MASSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमान मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं ।

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे इसके साथ गुजरात विनियोग विधेयक, 1976 लौटाने का जो कि लोक सभा ने अपनी 26 मार्च, 1976 को बैठक में पारित किया था । और राज्य सभा को अपनी सिफारिश के लिए प्रेषित किया था और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION
61वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 61वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
197वाँ प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 47––व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियां––पर लोक लेखा समिति का 197वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
51वाँ प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझारी) : मैं गृह मंत्रालय––(एक) ग्राम बुधुचक (जिला पटना) में (दो) ग्राम अमलो कौर (जिला बांदा) में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मोजाम्बिक को आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ECONOMIC AND TECHNICAL ASSISTANCE TO MOZAMBIQUE

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिन पाल दास) :

दक्षिण रोडेशिया को जातिवादी सरकार ने मोजाम्बिक के खिलाफ हाल ही में जो उत्तेजनात्मक और आक्रामण कार्यवाहियां की हैं उनसे सदन अवगत है। इन उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों को बजह से मोजम्बिक को सरकार ने 3 मार्च 1976 को रोडेशिया के साथ अपनी सीमा बन्द कर दी और इसके साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और संचार सम्बन्ध तोड़ दिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों पर अमल करने की दिशा में इस साहसिक कदम से जिम्बाव्वे के लोगों की मुक्ति के संघर्ष में एक नया दौर शुरू हुआ है तथा इससे भारी विश्व-मत मौजाम्बिक और जिम्बाव्वां के स्वतंत्रता आंन्दोलन के हक में हो गया है।

जैसा कि सदन को याद होगा राष्ट्रमंडल देशों के किंगस्टन सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि अगर मोजाम्बिक रोडेशिया के साथ अपनी सीमा को बन्द कर लेता है और रोडेशिया के साथ सड़क और रेल सम्पर्क के जरिये होने वाली पर्याप्त आमदनी से स्वयं को वंचित कर लेता है तो मोजम्बिक को सहायता दी जाएगी। 17 मार्च 1976 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके दक्षिण रोडेशिया की गैर-कानूनी अल्पसंख्यक सरकार को आक्रामक कार्यवाहियों की सर्व-सम्पत्ति से निन्दा की और सभी राज्यों से यह अपील की कि व मोजम्बिक को तत्काल वित्तीय, तकनीकी और साज-सामान की सहायता दें। प्रधान मंत्री के नाम राष्ट्रमंडल महासचिव के तार में भी हमसे इसी प्रकार की अपील की गई है।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, भारत सरकार की यह स्थिर नीति रही है कि अफ्रीका के मुक्ति आंन्दोलनों को पूर्ण समर्थन और यथासंभव सहायता दी जाए तथा जातिवाद और जातीय पृथग्वासन की घृणित नीतियों का विरोध किया जाये जिन पर कि दक्षिण अफ्रीका की श्वेत अल्प-संख्यक सरकार चल रही है। मोजाम्बिक के मुक्ति आन्दोलन में, उनके स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमें नैतिक और भौतिक समर्थन देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

आज, जबकि मोजाम्बिक ने रोडेशिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों को लगाने का साहसिक और सैद्धान्तिक कदम उठाया है तो भारत की सरकार और जनता की सहानुभूति पूरी तरह मोजाम्बिक और जिम्बाव्वे के स्वतंत्रता सैनानियों के साथ है।

इस नाजुक स्थिति में मोजाम्बिक को सरकार के प्रति अपनी हमदर्दी के प्रतीक स्वरूप हमने मोजाम्बिक को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने का निश्चय किया है। यह सहायता कितनी और किस प्रकार की होगी, इसका निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा राष्ट्रमंडल महासचिव और स्वयं मोजाम्बिक की सरकार से उनकी जरूरतों की प्राथमिकताओं के बारे में सूचना मिलने पर लिया जाएगा।

इस बीच, हमने अपने सद्भाव के प्रतीक स्वरूप तत्काल 900,000 रु० का अनुदान मौजाम्बिक की सरकार को सहायता के रूप में देने का निश्चय किया है जिससे उसकी जरूरत की कुछ चीजें भारत से खरीदी जायेंगी। यह अनुदान राष्ट्रमंडल द्वारा मोजाम्बिक को सामूहिक अंशदान का एक अंग होगा।

चाय (संशोधन) विधेयक
Tea (Amendment) Bill

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चाय अधिनियम 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय अधिनियम 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं विधेयक *पुरःस्थापित करता हूं ।

जीवन बीमा निगम (समझौते में रुपभेद) विधेयक
Life insurance Corporation (Modification of Settlement) Bill

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : महोदय, मैं श्री सी० सुब्रह्मण्यम की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच हुए समझौते में रुपभेद करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, अभी हमने मोजाम्बिक के लोगों की उनके संघर्ष में सहायता करने तथा समर्थन करने के लिए सरकार को सराहना की है । वास्तव में मुझे दुःख है कि मुझे इस विधेयक को लाने में सरकार का विरोध करना पड़ रहा है । यह अनैतिक विधेयक है ।

आपको याद होगा कि 1974 में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संगठनों ने जिसमें मेरा संगठन अर्थात् जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने चार वर्ष के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये । लगभग दो महीने तक हम इस पर विचार करते रहे और मैं तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण, श्रम मंत्री श्री रघुनाथ रेड्डी का आभारी हूं कि उन्होंने इस समझौते के होने में सहायता की । यह सब कुछ भली भांति जानते हुए कि कारोबार क्या है, लाभ क्या है, देने की गुंजाइश क्या है । जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारियों के चार अखिल भारतीय संगठनों के बीच यह समझौते हुआ था ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

दो वर्ष बीत चुके हैं। इस विधेयक के इस सभा में पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व मैं वित्त मंत्री, उप मंत्री, श्रीमती सुशीला रोहतगी, विधि मंत्री, उद्योग, मंत्री श्रम मंत्री तथा प्रधान मंत्री से जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधियों के साथ मिला और उनसे अनुरोध किया कि इस समझौते को पवित्रता की जानी चाहिए। मैं यह प्रश्न इसलिए सभा में उठा रहा हूं कि जब हम बोनस अध्यादेश और बोनस संशोधन विधेयक पर इस सभा में चर्चा कर रहे थे तो मैंने श्रम मंत्री से सीधे प्रश्न किया था कि क्या जीवन बीमा निगम भी इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में आयेगा और श्रम मंत्री ने स्वपष्ट रूप से कहा था कि जीवन बीमा निगम इसके अन्तर्गत नहीं आता है। जीवन बीमा निगम को कभी भी प्रतियोगी संगठन नहीं माना गया क्योंकि यह एकाधिकारी संगठन है। इस आश्वासन से शान्ति मिली और जीवन बीमा निगम के लगभग 50,000 कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। जीवन बीमा निगम के भतपूर्व सभापति श्री पुरी जो अब रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं 1974 में इस पर हस्ताक्षर किये।

एच० ए० एल० के बोनस समझौते का समर्थन किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रतिस्पर्धा संगठन है, परन्तु जीवन बीमा निगम के समझौते का समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अप्रतिस्पर्धा संगठन है। बहुत पहले इस सभा में पंजाब नेशनल बैंक के सम्बन्ध में एक निर्णय में रूपभेद किया गया था जिस पर श्री वी० वी० गिर ने त्यागपत्र दे दिया था। और अब यहां सत्तारूढ़ दल वर्तमान स्थिति के कारण हमारा उपहास कर रहा है। आपात स्थिति और आंतरिक तथा भारतीय रक्षा नियमों के अन्तर्गत असाधारण शक्तियों से सरकार कर्मचारियों के अधिकारों में कमी करना चाहती है।

एक समिति बनायी जाये जो यह सुनिश्चित करे कि क्या जीवन बीमा निगम के कार्य में प्रगति हुई है या नहीं? मंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी ही बतायें कि क्या कार्य में प्रगति हुई है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन सभी बातों का उल्लेख न करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जो केवल यही कह रहा हूं कि चूंकि कार्य में प्रगति हुई है इसलिये उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिये परन्तु ऐसा करने की बजाय उन्हें दण्ड दिया जा रहा है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इसे अनैतिक समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मझे एक दो विचार व्यक्त कर लेने दीजिये। इसके बाद आप मंत्री जी से कहें। देश में आपात स्थिति है और संसद में इस तरह का विधेयक पास किया जा रहा है। सरकार कर्मचारियों से बातचीत और समझौते करके मामले को क्यों नहीं निपटा लेती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम है और एक कानूनी समझौता किया जा चुका है तथा अधिनियम के अधीन इसे पंजीकृत भी किया जा चुका है। अब इसमें हस्तक्षेप करके बोनस की दर में कमी की जा रही है जो कि जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर तय की थी। इस विधेयक का संसद से कोई सम्बन्ध नहीं है। संसद को इसमें क्या करना है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है कि मेरे एक साथी न केवल इस विधेयक का अपितु अन्य अनेक बातों का प्रबल विरोध करें। (**व्यवधान**) मैं यह कहना चाहती हूं कि इस विधेयक का आशय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के गैर-प्रतिस्पर्धी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के बराबर लाना है। सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है --(**व्यवधान**) । यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि 1975–76 में कोई अधिक राशि दी जा चुकी है तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा। विधेयक के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मैं नहीं समझती कि श्री बनर्जी और अन्य सदस्यों की बातें उचित हैं।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-- उत्तर-पूर्व) : मंत्रालय समझौते के कुछ अन्य उपबन्धों को लागू करने के लिये वचनबद्ध है जिन्हें जीवन बीमा निगम ने अभी तक लागू नहीं किया है। ये उपबन्ध भविष्य निधि की दर बढ़ाने चिकित्सा सुविधायें और अन्य सुविधायें देने के बारे में हैं। सरकार ने ये सुविधायें तीसरे और चौथे वर्ष में देने के लिये वचन दिया था। तीसरा वर्ष समाप्त हो चुका है और चौथा वर्ष शुरू हो गया है परन्तु सरकार ने इन्हें लागू नहीं किया है और वह इस विधेयक को लाई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री बतायें कि इसकी क्या आवश्यकता थी ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : यदि समझौते के अन्य उपबन्धों के लागू न करने के प्रयोजन से संसद का अधिनियम जरूरी नहीं है तो इसके लिये संसद का अधिनियम क्यों जरूरी है ? दूसरे, यदि समझौते का यह विशेष उपबन्ध लागू किया जायेगा तो इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी ?

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) You have not said even a single word in regard to otner provisions of the agreement and you are worrying for this only. What are the reasons ?

श्री एस० एम० बनर्जी : समझौते में बोनस के अलावा अन्य अनेक बाते भी थीं। इस स्थिति में मैं आपसें अनुरोध करता हूं कि समूचे समझौते को रद्द कर दिया जाये।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० लघुरामया) : मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पुरःस्थापन स्थिति में है। इसे पुरःस्थापित करने दिया जाये। मैं वित्त मंत्री को सलाह देता हूं कि वह हमारे मित्रों से मिलकर मामले पर चर्चा करें।

अनेक माननीय सदस्य **खड़े हो गये**।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विधेयक के पुरःस्थापन को स्थगित किया जाये और सरकार को कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के साथ इस मामले पर चर्चा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हु कि सरकार स्थिति को स्पष्ट करे। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि समझौते का उल्लंघन करके यह विधेयक लाया जा रहा है और संसद को बीच में लाया जा रहा है। यह आवश्यक क्यों है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : विधेयक का पुरःस्थापन स्थगित किया जाना चाहिये। संसद को बीच में नहीं लाया जाना चाहिये। मामला बातचीत करके निपटाया जाना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि यह स्थगित किया जायेगा तो कुछ भी नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभी पक्ष यही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री के० रघुरामैया : हम इसे पास नहीं कर रहे हैं। यह कार्यसूची में है। इसे पुरःस्थापित करने दिया जाये और फिर मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह उनके साथ बैठकर मामले पर चर्चा करें।

श्री वसन्त साठे : विधेयक का पुरःस्थापित भी हमारे लिये ठीक नहीं है क्योंकि कर्मचारी यही समझेंगे कि संसद इकतरफा ऐसा कर रही है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने यह सही कहा है कि सरकार एकतरफा समझौते को रद्द कर रही है। आपने संसद के औचित्य पर भी आपत्ति की है। चूंकि यह प्रश्न अभी हल नहीं हुआ है इसलिए हम संसद को इसे पुरःस्थापित करने के लिये कैसे अनुमति दे सकते हैं? मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने यह सही कहा है कि जब तक हमें इस मामले पर संतुष्टि न हो जाये तब तक हम इसे पुरःस्थापित न करें, क्योंकि यदि ऐसा कोई समझौता रद्द कर दिया जाता है जोकि हो सकता है कि न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिये हो। अतः यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः हम इस पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकते और इसे पुरःस्थापित न किया जाये।

श्री के० रघुरामैया : पुरःस्थापित के लिये अनुमति देना संसद का बीच में आना नहीं समझा जाता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पुरःस्थापन के लिये संसद की अनुमति से यह पता लगता है कि संसद सिद्धान्त को स्वीकार कर रही है।

(व्यवधान)

श्री के० रघुरामैया : पुरस्थापत के समय इसमें कोई सिद्धान्त अन्तर्गस्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि यह मध्याह्न पश्चात तक के लिये स्थगित किया जाये और मंत्री जी सभी सम्बन्धित सदस्यों से मिलकर मामले को तय करें। यदि सदस्य चाहें तो इसे 6 बजे तक के लिये स्थगित किया जाये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं आपकी अनुमति से यह कहती हूं कि मैं 6 बजे तक राज्य सभा में व्यस्त रह सकती हूं। अतः मैं 6 बजे के बाद मामले को तय करूंगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें, तो इसे कल लिया जा सकता है।

श्री के० रघुरामैया : वित्त मंत्री के कमरे में कल सुबह 9.30 बजे बैठक होगी और कल ही विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : समझौता संसद सदस्यों और वित्त मंत्री के बीच नहीं हुआ था समझौता तो कर्मचारियों और निगम के साथ हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : यह कल तक के लिये स्थगित किया जाता है।

अनुदानों की मांगें, 1976–77

Demands for Grants 1976-77

गृह मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह मंत्रालय की मांग संख्या 49 से 59 पर बहस आरम्भ करेगी। सभा में उपस्थित जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे 15 मिनट के अंदर पर्चियां भेज दें जिनमें कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दी गई हो। ये प्रस्ताव पेश किये गये मान लिये जायेंगे, यदि वे अन्यथा सही हैं।

गृह मंत्रालय की वर्ष 1976–77 के लिए अनुदानों

मांग संख्या	शीर्षक	राजस्व राशि	पूंजी
		रुपये	रुपये
49.	गृह मंत्रालय . . .	1,80,53,000	——
50.	मंत्रिमंडल . . .	1,05,35,000	——
51.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	6,16,72,000	1,25,000
52.	पुलिस	157,34,03,000	2,50,00,000
53.	जनगणना . . .	3,07,18,000	——
54.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय . .	113,76,43,000	31,09,36,000
55.	दिल्ली . .	93,54,37,000	41,65,24,000
56.	चंडीगढ़ . . .	13,44,54,000	5,09,48,000
57.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,65,08,000	8,08,58,000
58.	दादरा और नागर हवेली	1,57,22,000	1,13,04,000
59.	लक्षद्वीप . .	2,65,68,000	90,25,000

श्री सरोज मुखर्जी (कटवा) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। पिछले वर्ष जब मैंने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस के दौरान गृह मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया था कि लोकतांत्रिक अधिकार कम किये जा रहे हैं तथा इस देश में सत्तावाद और एकदलीय शासन जमता जा रहा है तो मंत्री जी ने इसका खंडन किया था। लेकिन दो मास के अंदर ही देश में आंतरिक आपात स्थिति लागू कर दी गई और जनता के जो थोड़े से अधिकार रह गये थे तथा विरोधी दलों के जो लोकतांत्रिक अधिकार थे उन्हें भी छीन लिया गया है। मूल अधिकार भी निलंबित कर दिये गये हैं। बंदियों को बिना कारण बताये बंदी बनाया गया है। यह स्थिति खतरनाक है।

[श्री सरोज मुखर्जी]

गृह मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश का आत्म विश्वास काफ़ी ऊंचा है। सभी ओर शांति है। हर व्यक्ति खुश है। सारा कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि यह सब सच है? निहित स्वार्थी, एकाधिकारवादियों और बहुराष्ट्रकों के अलावा इस स्थिति से और कोई खुश नहीं है। अब देश में लोकतंत्र तो रहा नहीं। । क्या विपक्ष के बिना लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? भारत में आज विपक्ष नहीं रह गया है। विपक्ष कार्य नहीं कर सकता। वह बोल नहीं सकता। जनता को यह पता नहीं लग सकता कि मैं यहां इन मांगों का विरोध कर रहा हूं। विरोधी दल के लोग किसी सभा का आयोजन नहीं कर सकते। इस प्रकार विपक्ष के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यहां तक कि सरकार के आपात उपायों का समर्थन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। सरकार जिसको चाहे गिरफ्तार कर रही है।

सरकार पुलिस तथा अन्य ऐसे शोषों पर बजट व्यवस्था में वृद्धि कर रही है। केवल पुलिस पर ही गत वर्ष की बजट व्यवस्था की तुलना में इस वर्ष 15 करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है। यह सब लोगो का दमन करने तथा उनके और विपक्षी दलों के लोकतांत्रिक तथा नागरिक अधिकारों को छीनने के लिए ही किया जा रहा है। सारी ताकत कांग्रेस विरोधी दलों के विरुद्ध लगाई जा रही है। सरकार विदेशी एजेंटों को पकड़ने में असमर्थ है। साम्राज्यवादी देशों के कई एजेंट हमारी शोध-शालाओं में घुसे हुए हैं। हमारी पुलिस का कोई भी अंग-खुफ़िया विभाग, अनुसंधान और विश्लेषण शालाओं, आसूचना विभाग आदि विदेशी तत्वों को नहीं पकड़ पाया है। उनके तो विरोधी दल ही दुश्मन हैं। उन्होंने अपना लक्ष्य उसी ओर साधा हुआ है।

गृह मंत्रालय ने सभी शक्तियां अपने पास लेली हैं। राज्यों को भी आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रतिबन्धित संगठनों के क्रियाकलापों के नाम पर लोगों को गिरफ्तार करें। वास्तव में सरकार अपने विरोधियों को गिरफ्तार कर रही है चाहे वह वाम पक्ष का है अथवा दक्षिण पक्ष का। हमारे दल पर प्रतिबन्ध तो नहीं लगाया गया है पर हमारे दल के अनेक कार्यकर्ताओं को आंसुका और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया है।

जेलों की स्थिति बहुत ही भयावह है। राजनीतिक बन्दियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। जेलों में बन्दियों को नहाने के लिये पानी भी नहीं दिया जा रहा है। जलपाइगुड़ी की जेल में 557 कैदियों के लिए स्थान है पर वहां एक हजार से भी अधिक नजरबन्दी रखे गये हैं। सर्दियों में उन्हें कम्बल तक नहीं दिये गय। कुछ नजरबन्दियों ने अपने संम्बन्धियों को पत्र लिखकर बताया है कि इस समय भारत की जेलों की स्थिति अंग्रेज सरकार के शासन काल से भी अधिक गम्भीर और खराब है। त्रिवेन्द्रम की जेल में नजरबन्दियों को भूखहड़ताल करनी पड़ी। तिहाड़ जेल में भी लाठी प्रहार के कारण बन्दी नेताओं को भूखहड़ताल करनी पड़ी। मध्य प्रदेश की जेल में श्री भैरव भारती की मृत्यु हुई। उन्हें उचित चिकित्सा उपचार नहीं मिला। दवाइयां तक नहीं दी गईं। उनके सम्बन्धी उनका अन्यत्र इलाज करवाना चाहते थे। पर उन्हें जेल से नहीं जाने दिया गया। वे वास्तव में मरे नहीं उन्हें तो मार दिया गया। यह हत्या का मामला है। हम चाहते थे कि इसकी जांच हो। पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। भारत के सभी जेलों में ऐसी घटनाएं बिना सरकार के निदेशों के नहीं घट सकतीं। सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा गया। कई कर्मचारी नजरबन्द किये गये हैं और उन्हें सेवा से पदच्युत कर दिया गया है। इनका दोष केवल यही था कि वे यूनियनें चला रहे थे। यह सत्य नहीं है कि वे किसी प्रतिबन्धित संगठन से सम्बन्धित थे। वस्तुतः आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात पुलिस राज स्थापित हो गया है। हर जगह ही पुलिस ही शासक

बन गई है। अत्याचार करने पर भी उसके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। डर के मारे उनकी लोग शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के फ़ायदे के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वित की बहुत सी बातें कहीं गई हैं। सरकार प्रतिदिन यह प्रचार करती है कि अनेक व्यक्तियों को भूमि दे दी गई है। मकान बनाने के लिए जमीन दे दी गई है। पर एक गैर-सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार द्वारा प्रचारित और प्रसारित आंकड़ों का केवल पांच से आठ प्रतिशत आंकड़े सही हैं क्योंकि इतने ही प्रतिशत लोगों को वास्तव में जमीनें मिली हैं। हरिजनों को अभी भी तंग किया जा रहा है। हाल ही में आंन्ध्र प्रदेश में वारंगाल जिले में नरसेमपेट और भुलूग तालुक के गांवों मे 300 आदिवासियों पर पुलिस ने नृशंस और अमानवीय अत्याचार किया। अनेक दिनों तक उन्हें भूखों मारा गया। ये अत्याचार उन निरीह लोगों पर ढाये जा रहे हैं जो बेकसूर हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है। इस सम्बन्ध में हमने मंत्री को अभ्यावेदन किया था लेकिन उस पर अभी कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल में इस अवधि मे अनेकों हरिजनों अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को उनकी भूमि से बेदखल किया गया है। इस प्रकार के कई मामले हैं। बिहार मे भी निहित स्वार्थों ने गरीब हरिजनों को उनकी भूमि से निकाल बाहर किया है। उड़ीसा के 58 प्रतिशत गांवों मे जहां 45 प्रतिशत आदिवासी आबादी है, कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। पंजाब विश्व विद्यालय की सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरों में 45 प्रतिशत हरिजन कर्जदार हैं; 36 प्रतिशत बंधुवा मजदूर हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। सरकारी सेवा मे इन जातियों की स्थिति इस प्रकार है: प्रथम श्रणी 2.5 प्रतिशत: अनुसूचित जाति और 0.5 प्रतिशत जनजाति; द्वितीय श्रणी अनुसूचित जाति 4.6 प्रतिशत और जनजाति 0.5 प्रतिशत। ये आंकड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार है।

भाषाओं के विकास के संम्बन्ध में लोग अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं के विकास की मांग करते रहते है। उदाहरणार्थ त्रिपुरा में कोंग बरीक भाषा और असम में बोदों और मणिपुरी तथा संथाल लोग सथाली भाषा के विकास की मांग कर रहे हैं। इन भाषाओं का विकास नहीं किया जा रहा है। इन्हे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। लगभग 282 भाषाओं के विकास करने की जरूरत है। इससे भाषाई अल्पसंख्यकों को सरकार से लाभ मिल सकता है। कल्याण निधि के धन के दुरुपयोग को नहीं रोका जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair.*]

आप संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का इन परिवर्तनों संबंधी प्रस्तावों का तातपर्य केवल यही हैं कि वह अपने निहित स्वार्थों को सिद्ध करना चाहती है। वह इनसे निहित स्वार्थों और सम्पत्तिवानों को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करना चाहती है। राज्य वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। इससे भारत की एकता की नीव मजबूत होगी। पर सरकार और कांग्रेस दोनों ही

[श्री सरोज मुखर्जी]

केन्द्र के लिए अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इस आपात स्थिति में इन्होंने सभी शक्तियां अपने पास संकेन्द्रित कर ली है। संशोधित या परिवर्तित किये जाने वाले संविधान में भी वे सभी शक्तिय अपने हाथों में रखगे। हम इस प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

सरकार संविधान और जनता के मताधिकार की परवाह नहीं कर रही है। उसने तामिलनाडु में मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है और विधान सभा भंग कर दी है। यह सब अपने दल को सत्ता में लाने तथा अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए किया गया है। गुजरात के मामले में यह सरकार विधान सभा को इसलिए बनाए रखना चाहती है जिन से कि अन्य दलों के लोग अपने दल बदल सके। दलबदल विधेयक अभी एक समिति के पास ही है। इसे स्थगित रखा जा रहा है क्योंकि सरकार इसे अभी पास करना नहीं चाहती है। एक पार्टी शासन स्थापित कर दिया गया है। केवल कांग्रेस दल को ही कार्य करने दिया जा रहा है। पर यही कांग्रेस दल संविधान के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है। अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए ही यह किया जा रहा है सामाजिक परिवर्तन के नाम पर सब कुछ ही बदला जा रहा है। न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन लाया जा रहा है।

सरकार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस से वंचित करने के लिए अभी एक विधेयक पेश करने वाली है। इन कर्मचारियों को बोनस का भुगतान एक समझौते के अधीन किया जाता है। अब इसे एक पक्षीय आधार पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आपात स्थिति में सरकार इसी प्रकार का रवैये अपनाती रही तो मैं नहीं जानता कि यह कितने दिन तक बनी रहेगी। यदि सरकार ने अपना यह रवैया नहीं बदला तो वह दिन दूर नही जबकि जनता विद्रोह कर उठेगी और यह सरकार उसमें विलीन हो जायेगी।

गृह मंत्रालय, की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
49	28	श्रीमती पार्वती कृष्णन: (कोयम्बटूर)	उन व्यक्तियों को केन्द्रीय अथवा राज्य के किसी निकाय में चुनाव लड़ने के लिए अनर्द घोषित करने की आवश्यकता जो अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन दण्ड भोग चुके हों।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
49	29	श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे (बम्बई मध्य)	बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की सरकारी अफसरों तथा समाज के अन्य वर्गों को घूस देने सम्बन्धी गतिविधियां।	तदेव
49	30	श्री सी०के० चन्द्रपन (तेल्लीचेरी)	केरल में मोपला विद्रोह में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन देने में असफलता।	तदेव

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
49	31	श्री सी०क० चन्द्रपन (तेल्लोचेरी)	ट्रावनकोर के भूतपूर्व युवराज के विरुद्ध पुन्नापुरा-वयालार संघर्ष में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन देने के प्रश्न पर निर्णय लेने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रूपया कर दी जाये।
49	32	तदेव	हैदराबाद के निजाम द्वारा स्वतंत भारत के विरुद्ध मोर्चा लेने के प्रयास के विरुद्ध तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन देने में असफलता।	तदेव
49	33	तदेव	शिव सेना की गतिविधियों पर नियंत्रण करने में असफलता।	तदेव
49	34	तदेव	शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्ग के तत्वों को पूर्ण रुपेण हटाने के लिए उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने में विलम्ब।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं।
49	35	तदेव	केरल के बहुत से आवेदकों को स्वतंत्रता सैनानी पेंशन देने में विलम्ब।	तदेव
49	36	तदेव	विजया बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वों की रक्षा कर रहे हैं, तुरन्त कार्यवाही करने में विलम्ब।	तदेव
49	37	तदेव	विजया बैंक के प्रबन्धकों की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिस संस्था पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, के सदस्यों तथा नेताओं की रक्षा करने सम्बन्धी गतिविधियों की जांच करने में विलम्ब।	तदेव

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
49	38	श्री सी०के० चन्द्रपन (तेल्लीचेरी)	देश-भक्त तथा प्रजातंत्री वर्ग के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा तथा भारत रक्षा नियमों का प्रयोग जब कि कुछ मामलों में फासिस्टवादी तथा प्रतिगामी शक्तियों को छूट ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
49	39	श्री एन०ई० होरो (खुन्टी)	बिहार-उड़ीसा आदिवासियों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में भूमि के स्वामित्व और बसने की अनुमति देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
49	41	तदेव	बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या को एक राज्य प्रशासन के अन्तर्गत लाने में असफलता ।	तदेव
49	42	तदेव	आदिवासी मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार में एक पृथक विभाग बनाने में असफलता ।	तदेव
49	44	तदेव	अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में सरकारी नीतियों तथा अनुदेशों को क्रियान्वित न करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से उत्तरदायी सरकारी सेवाओं और सरकारी उपक्रमों में सरकारी अधिकारियों को दण्ड देने में असफलता ।	तदेव
49	46	तदेव	आसाम राज्य में मुन्डा, एच० ओ० संथाल, खारिया और ओंराव जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रुप में मान्यता देने और अनुसूचित जनजाति घोषित करने में असफलता ।	तदेव

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
49	47	श्री एन०ई० होरो (खन्टी)	बिहार और उड़ीसा में निष्पक्ष और राजनीति से मुक्त जनगणना कराने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आंकड़ों में गिरावट हुई है ।	राशि घटा कर 1 रू० कर दी जाये ।
49	49	तदेव	छोटा नागपुर पठार जो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है कि निहित प्रशासनिक समस्याओं की सहराना करने और उनका पता लगाने और उस क्षेत्र के उचित विकास के लिए अच्छा शासन सुनिश्चित करने के लिये नया झारखंड राज्य बनाने में असफलता	तदेव
51	51	तदेव	केन्द्रीय सेवाओं तथा सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति और पदोन्नति के बारे में सरकार की नीति और अनुदेशों को लागू करने के लिए प्रवतन निदेशालय खोलने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
54	54	तदेव	आदिम जातीय क्षेत्रों में पिछले दो दशकों से अधिक समय से विकास योजनाओं द्वारा आदिवासियों की दशा सुधारने में असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	तदेव
49	55	श्री रामावतार शास्त्री (पटना)	प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और आपातकालीन स्थिति के समर्थन में सभा करने पर संसद सदस्यों और भूतपूर्व विधायकों की भारत रक्षा कानून में गिरफ्तारी ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
49	56	श्री रामावतार शास्त्री (पटना)	आपातकालीन स्थिति के बावजूद पुलिस जुल्मों में बेहद वृद्धि को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रू० कर दी जाये ।
49	57	तदेव	मीसा और भारत रक्षा कानून के गलत प्रयोग को रोकने में असफलता ।	तदेव
49	58	तदेव	प्रतिगामी एवं फ़ासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों की मीसा और भारत रक्षा कानून में गिरफ्तारी ।	तदेव
49	59	तदेव	पुलिस को प्रगतिशील एवं फ़ासिस्ट विरोधी नीतियों में शिक्षित करने की आवश्यकता ।	तदेव
49	60	तदेव	पुलिस की धनी वर्ग एवं समाज विरोधी तत्वों के साथ मिलीभगत ।	तदेव
49	61	तदेव	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आनन्द मार्ग, जमाते इस्लामी जैसे प्रतिबंधित संगठनो के नेताओं को गिरफ्तार करने में विफ़लता ।	तदेव
49	62	तदेव	सरकारी कार्यलयो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं आनन्द मार्ग के समर्थक अधिकारियो के विरुद्ध कार्यवाही करने में विफ़लता ।	तदेव
49	63	तदेव	किसानों एवं मजदूरो के न्यायसंगत एवं उचित आन्दोलनों को दबाने में पुलिस के प्रयोग को रोकने में असफ़लता ।	तदेव
49	64	तदेव	आर्थिक अपराधियों के विरुध पुलिस की नर्मी ।	तदेव
49	65	तदेव	बीस सूत्री कार्यक्रम के समर्थन में होने वाली सभाओं पर पाबन्दी नहीं लगाने की आवश्यकता ।	तदेव
49	66	तदेव	अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के अनुसार नौकरी देने में असफलता ।	तदेव

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
49	67	श्री रामावतार शास्त्री (पटना)	पुलिस में जनता के सच्चे मित्र एवं रक्षक होने की भावना उत्पन्न करने में विफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
49	68	तदेव	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों पर होने वाले जुल्मों को रोकने में असफलता।	तदेव
49	69	तदेव	अधिकारियों द्वारा आपातकालीन स्थिति का गलत प्रयोग रोकने में असफलता।	तदेव
49	70	तदेव	छुआछूत के मामलों में सजा पाये लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।	तदेव
49	71	तदेव	छः माह से कम सजा पाने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को भी पेंशन देने की आवश्यकता।	तदेव
49	72	तदेव	जाली स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन की राशि को बन्द करने की आवश्यकता तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में विफलता।	तदेव
49	73	तदेव	मृत स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों को भी एक सौ के बदले दो सौ रुपये पेंशन देने की आवश्यकता।	तदेव
49	74	तदेव	स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन की राशि में मंहगाई को देखते हुए वृद्धि करने की आवश्यकता।	तदेव
49	75	तदेव	स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की आवश्यकता।	तदेव
49	76	तदेव	स्वतन्त्रता सेनानियों को चिकित्सा की सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।	तदेव

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : महोदय, इस वर्ष गृह मन्त्रालय को देश में उत्पन्न कठिन स्थिति से निपटना पड़ा है। इस मन्त्रालय का उत्तरदायित्व 26 जून, 1975 को आपातस्थिति की घोषणा के फलस्वरूप और अधिक बढ़ गया था। सभी विपक्षी दलों ने इकट्ठे होकर सरकार का तखता पलटने और देश के लोकतन्त्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। जब देश के लोकतान्त्रिक संस्थानों को खतरा पैदा हो जाये तो सरकार से क्या आशा की जा सकती है। सरकार ने वहीं किया जो उसे करना चाहिये था और उसने देश और लोकतन्त्र की रक्षा की है। आपात स्थिति के पश्चात् उठाये गये कदम इस बात को सिद्ध करते हैं कि उठाये गये कदम सही कदम हैं।

इससे पहले गुजरात में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों का सब तरह से अपमान किया गया उन पर दबाव डाला गया और अन्त में उन्हें त्याग पत्र देने पड़े। गुजरात विधान सभा के उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त करके श्री जयप्रकाश नारायण तथा उनके अनुयायियों ने सोचा कि हिंसा, चरित्रहनन आदि तरीकों से वह बिहार विधान सभा का विघटन भी करवा लेंगे। सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को समझा और इस मामले में हस्ताक्षेप किया। तब विपक्षी दलों ने मिल कर जोर लगा लिया किन्तु वह बिहार विधान सभा को विघटित नहीं करवा सके। उसके पश्चात् कुछ देर के लिये श्री जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों में कमी आ गई। किन्तु तभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया। इस निर्णय का लाभ उठाते हुये विपक्षी दलों ने सरकार के कार्यकरण में बाधा डालने के लिये एक वातावरण तयार करना आरम्भ किया। कुछ विदेशी तत्व भी देश में अशान्ति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे।

यह कहा गया है कि समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया है। किन्तु किन समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द हुआ है? उन्हीं समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द हुआ है जो देश में हिंसा और घृणा का वातावरण उत्पन्न करने में सहायक हो रहे थे। क्या में विपक्षी दलों से पूछ सकता हूं कि क्या समाचार पत्रों और राजनीतिक दलो की यही भूमिका है कि वह इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर दे जिससे लोकतान्त्रिक ढंग से कार्य करना कठिन हो जाये। अत: सरकार ने जो कार्यवाही की वह बिल्कुल उचित थी।

यह कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों को बोलने नहीं दिया जा रहा है अगर ऐसा होता तो राज्य सभा के लिये हुए चुनावों में विपक्षी दल अपने अनुपात के अनुसार कैसे सदस्य चुन सके हैं। श्री चरण सिंह को रिहा कर दिया गया है। जनता अब जान गई है कि सरकार की कटु आलोचना करने वाले देश की किसी प्रकार भी सहायता नहीं कर सकते। वह केवल सरकार के लिये कठिनाइयां उत्पन्न करने में रुचि रखते हैं उनका उद्देश्य सत्ता हथियाना होता है।

देश में अनुशासन की भावना आई है। विश्वविद्यालयों के प्रांगण शान्त है। हड़तालें, तालाबन्दी तथा छंटनी का नाम नहीं है और उत्पादन में वृद्धि हुई है। आपातस्थिति लागू होने से पहले सब ओर अशान्ति का वातावरण बना हुआ था। हड़तालें हो रही थी बसें नष्ट की जा रही थी। राष्ट्र की सम्पत्ति को हानि पहुंचाई जा रही थी। परीक्षा करवाना कठिन हो रहा था ईमानदार और दक्ष छात्र विश्वविद्यालय के वैध कार्यों में भाग नहीं ले रहे थे। परिणामस्वरूप सारा वातावरण दूषित हो रहा था।

अब प्रश्न यह है कि क्या आपातस्थिति को कब तक लागू रखना होगा? आज ही समाचार पत्रो ने गुजरात डाइनामाइट मामला प्रकाशित हुआ है और यह भी समाचार है कि कलकत्ता में अलीपुर सेन्ट्रल जेल के द्वार को नक्सलबाड़ियों द्वारा उड़ा देने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार की स्थिति में आपातस्थिति को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

गृह मन्त्रालय को प्रशासन (कार्मिक) में अनुशासन लाना होगा। यद्यपि इस सम्बन्ध में केन्द्र प्रशासन में कुछ कार्य किया जा सका है किन्तु राज्य सरकारों के स्तर पर इस सम्बन्ध में अभी कुछ विशेष नहीं किया जा सका है। अतः ऐसा लगता है मानों आपातस्थिति का प्रभाव राज्य स्तर पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सरकार को आपातस्थिति के लाभ स्थायी बनाने के लिये सतर्कता बरतनी चाहिये।

Shri N. E. Horo (Khunti) : There is a special provision in the Fifth Schedule of the constitution about the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled tribes in my state. But it is a matter of regret that the State Governments or the Governors of the State have done nothing so far to implement it. So the aim for the provision has been defeated.

After the promulgation of emergency, special plans and sub-plans have been formulated for the areas with more than 50 per cent of adivasi population. So the provision enshrined in the Constitution is implemented only when the country is under emergency. I want to tell Government that only by drawing plans and sub-plans, you cannot ameliorate the lot of these poor people. There is talk of 20 point programme throughout the country. We also support it. But we have to ensure whether these programmes have really been implemented or whether their implementation is only on paper. I think some progress has been made but a lot of it remains to be done.

The reports of the State Governments, especially the report of Bihar Government are contradictory. The Chief Minister of Bihar says that there is no problem of bonded labour in Bihar and again it is stated that they want to take up the rehabilitation of bonded labour. It appears that reality is something else.

Adivasis are concentrated in the central part of the country and are spread over in Bihar, Bengal, Orissa and Madhya Pradesh. If these Adivasis are to be uplifted they should all be brought under single administration.

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने देश की स्थिति का उल्लेख किया है। यद्यपि अब स्थिति वैसी नहीं है जैसी कुछ समय पहले थी किन्तु मेरे मन में बराबर यह प्रश्न उठता रहा है कि इस स्थिति को कौन लाया है। आखिर वे लोग कौन हैं जिन्होंने स्कूलों, दफ्तरों, कारखानों, रेलों, सड़क परिवहनों में काम बन्द किया है। यह सब बिहार में हुआ है। मैंने बराबर यह जानने की कोशिश की है कि इसमें हमारा कितना दायित्व है और उनका कितना दायित्व है। माननीय सदस्य ने देश में व्याप्त अप्रसन्नता का उल्लेख किया है। यह सत्य है कि कुछ ऐसे समाज के वर्ग हैं जो वर्तमान स्थिति से प्रसन्न नहीं है। किन्तु ये कौन हैं ? मेरे विचार से ये लोग हैं तस्कर, कालाबाजारी करने वाले राष्ट्र तथा समाज विरोधी लोग। ये तत्व आज प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि हमने उनके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की है।

यह कहना उचित होगा कि पूरी छूट की अपेक्षा उचित स्वतन्त्रता अच्छी होगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में कठिनाई से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कहा गया है कि देश में विपक्ष नहीं है। अभी अभी आपने देखा है कि कुछ थोड़े सदस्यों ने उस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध किया जिस पर सरकार और मंत्रिमण्डल की स्वीकृति मिल चुकी है किन्तु जब इसका तीव्र विरोध किया गया तो सरकार ने विधेयक को स्थगित किया।

माननीय सदस्य ने कहा है कि बैठकों की अनुमति नहीं दी जा रही है और कुछ आवश्यक सभाएं जैसे शोक सभाएं, संविधान के उपबन्धों पर चर्चा करने आदि के बारे में भी सभा बुलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। किन्तु इन सभाओं का वास्तविक अभिप्राय कुछ और ही होता है। जैसा कि बिहार में हुआ है।

[श्री नवल किशोर सिंह]

उन्होंने द्र० मु० क० सरकार का उल्लेख किया है। किन्तु में पूछता हूं कि क्या उनका साहस है कि वह ये यह कहें कि द्र० मु० क० सरकार को भंग करना गैर-संवैधानिक था।

मैं गृह मंत्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं। गृह मंत्रालय को कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। चुनाव में हर कर कुछ लोगो ने देश में अवसर पाकर गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न किया है। अभाव और विश्वव्यापी मुद्रास्फीति का लाभ उठा कर विपक्षी दलों ने हमारे लोक तंत्र को असफल करने का प्रयत्न किया है।उन्होंने फासिस्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फासिस्ट तरीको को अपनाया है। परिणामस्वरूप प्रधान मंत्री को आपातस्थिति की घोषणा करनी पड़ी और निश्चय ही स्थिति में सुधार हुआ है। सभी जगह शान्ति और व्यवस्था है। चीजें उचित दामों पर मिल रही हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आया है। 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में जागृति आई है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग, जमायत-ए-इस्लामीं और साम्यवादी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), दल पर प्रतिबन्ध लगा कर अच्छा किया गया है। देश में इस प्रतिबन्ध की मांग लम्बे समय से चल रही थी। परन्तु उन संगठनो और संस्थाओं का क्या हुआ जिनका शैक्षणिक और--सांस्कृतिक गतिविधियो की आड़ में वे पोषण कर रहे थे। वह एक ज़हर है जिसे हटाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में उचित सावधानी बरतें।

प्रशासन में सुधार किये जाने का जिक्र किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में प्रशासन को सुदृढ़ बनाया गया है परन्तु आन्तरिक बुराइयां तभी दूर की जा सकती हैं जब इस सम्बन्ध में गहराई से विचार किया जाए कुछ मूलभूत विचारों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में प्रशासन में घर करे गये कुछ विचारों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि उनके रुख में परिवर्तन आया है।

गहरे समुद्र में तस्करी रोकने में सफलता प्राप्त करना एक प्रशंसनीय कार्य है। किन्तु नेपाल सीमा पर अभी भी तस्करी चल रही है तथा मंत्री महोदय उसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं।

मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो कुछ किया है वह सराहनीय है। किन्तु अभी कुछ ऐसे भी मामले हैं जो वर्तमान नियमों पर पूरे नहीं उतरते, और निलंबित पड़े हैं। इन पर विचार किया जाना चाहिए। बिहार में ऐसे मामले हैं और बिहार सरकार की गलती के कारण स्वतंत्रता सैनानियों को हानि नहीं होनी चाहिए।

हमने सरकार से बार-बार निवेदन किया है कि उन संसद सदस्यों को जो स्वतंत्रता सैनानी हैं ताम्रपात्र दिये जाने चाहिए।

मैं सरकार के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। देश में अभी भी कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं और जब भी आपात स्थिति के बारे में निर्णय लिया जाये इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में वाद-विवाद में भाग लेने की बड़ी प्रसन्नता है। केन्द्रीय कार्यपालिका में गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्थिति है और इसे व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इन्हीं व्यापक शक्तियों के कारण देश में एकता कायम की जा सकी है। अतः संविधान में संशोधन करते हुए हमें इस स्थिति को बनाए रखना चाहिए।

यह वर्ष गृह मंत्रालय के लिए बड़ा कठिनाई पूर्ण रहा है। सारा देश राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल से ग्रस्त हो रहा है। चीजें महंगी हुई। कालाबाजारी और तस्करी में भी वृद्धि हुई। इस उथल-पुथल में कुछ विरोधी दलों ने कर न देने का आन्दोलन चला कर लोकतंत्र और संविधान को उखाड़ फैंकने का प्रयत्न किया। इस प्रकार के प्रयत्न को विफल करने के लिए राष्ट्रपति ने 25 जून, 1975 को आपात स्थिति की घोषणा की और इस प्रकार उन्होंने देश को विनाश से बचा लिया। आपात स्थिति से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आया है। यह शिकायत की गई है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान नागरिक स्वतंत्रता कम कर दी गई है। किन्तु प्रश्न यह है कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है। इसके लिए वही उत्तरदायी हैं जो यह सब कह रहे हैं। भाषण आदि की स्वतंत्रता की कोई सीमा है। किसी भी अधिकार के साथ कर्त्तव्य भी होता है। अधिकार का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दूसरे व्यक्ति को जिसे भी वही अधिकार प्राप्त है कठिनाई तो नहीं होती है। यह एक सराहनीय बात है कि आपातकालीन स्थिति से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आया है अतः आपातकालीन स्थिति और अधिक समय तक बनी रहनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति से हुए लाभ को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में शिकायत नहीं की जानी चाहिए।

रिपोर्ट में पंजाब और हरियाणा तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवादों का उल्लेख किया गया है। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में ये विवाद शान्तिप्रिय ढंग हल हो जायेंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय ने ठोस कदम उठाए हैं। 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों वाले क्षेत्र में आदिवासी ब्लाक खोले गये हैं। अभी भी उनके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है तथा आदिवासी ब्लाकों के विकास के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए। निरक्षरता को दूर करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में और प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 226 का सम्बन्ध उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से है। न्यायालय में हजारों रिट निलम्बित पड़ी है। और बरीयता सूची का अतिक्रमण कर रोका आदेश दिए जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त सदस्यों का एक न्यायाधिकरण का गठन करे। उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने के शक्ति समाप्त की जानी चाहिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को इन समस्याओं पर कार्यवाही करनी चाहिए और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय दिलाना चाहिए जिससे अधि-कारियों में व्याप्त असंतोष दूर हो।

दिल्ली एक संघ राज्यक्षेत्र है और किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायधीश मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चूंकि दिल्ली में न तो राज्यपाल हैं और न मुख्य मंत्री हैं अतः गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में जो असंगति है उस पर विचार करना चाहिए।

विपक्ष के सदस्यों की यह शिकायत है कि आंसुका का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं। गृह मंत्रालय को उन मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किये बिना जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि अन्याय न हो।

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli): I support the demands of the Ministry of Home Affairs. A new order has been established in the country. Blackmarketing and shirking of work have been put to an end.

The Home Minister deserves Congratulations for setting up a department of official language in Ministry of Home Affairs on 26th June. It is good that even the Parliamentary Hindi Committee has been set up. It would be better if some place in or near the Parliament House is allotted to carry out their functions.

The present structure of Public Service Commission is not in conformity with the changed condition and as a result the real talent is not attracted to public services. It should be radically changed to suit the present conditions. It is surprising that the report of Kothari Commission has not been presented so far. It should be published as early as possible. All Indian languages should be allowed as medium in the Public Service Commission's examination. Unless this is done talents would not be attracted to Government services, Favour in being shown to English Language by making a Compulsory paper in English in the examination conducted by Public Service Commission. Along with English paper in other two Indian languages should also he made compulsory. In the interview boards in Public Service Commission such members should be included who do not have only knowledge but have also love for India and Indian way of life and then only they will be able to select persons who will be servant of people and not the rulers or masters of the people. The importance given to English in the Public service Commission examination should go. Cadres for Hindi posts are being formed every where but justice is not being done towards these points. In the interest of national Language it would be better if minimum Conditions of qualification etc. are put for Hnidi posts.

I often talk about one thing that the privy purses of the princes have been abolished but the rulers and princes have still got with them precious treasures of art-pieces and valuable manuscripts. Now these are not their own property. They were simply lying unused with them. That is the property of the nation and as such Government should take steps to take them over.

Appreciable work has been done in regard to the promotion and development of Hindi, and for this the Ministry of Home Affairs deserves compliments. But there are still several Ministries in which Advisory Committees have not been set up. These Committees should be set up as early as possible.

It is found that high officers do not implement the orders regarding the use of Hindi for official purpose. Some arrangements should be made to see that they can not ignore the orders in this regard.

I would also like to congratulate the Government for the work done in regard to promotion of Hindi.

A definite policy should be laid down in regard to official language for every union territory.

With these words I support the demands of the Ministry of Home Affairs.

Shri Ramkanwar (Tonk). Mr. Deputy Speaker, Sir, after the proclamation of emergency poor people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been allotted land in many States for housing and agriculture under 20-point programme of the Prime Minister. But Government should see whether the land so allotted to them is fit for cultivation. It has been found that even this land is being taken away from them on one pretext or the other. The Ministry of Home Affairs should, therefore, issue orders to State Governments to give severe punishment to those people who obstruct and prevent the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes from taking possession of this land.

Secondly, I would like to say that the Bill to make changes in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be brought before the House as soon as possible. There are lakhs of people in Chandigarh and Rajasthan belonging to Berwa Castes. They should be recognised as Scheduled Caste people and included in the list of Scheduled Castes.

People belonging to Scheduled Castes, who are living in slums in Delhi and Chandigarh, are being allotted plots of land measuring 25 yds. They should be given plots of at least 50 yds. These people in Rajasthan are allotted 5 bigha land for agriculture, but they do not get any loan, electricity and irrigation facilities for that. They Should be given loan free of interest for the purpose. Priority should be given for supply of electricity to them.

I would also like to suggest that marginal tribal and Harijan agriculturist should be given training in the processes of cultivation. Panihayat Samities should see that Small farmers and Harijans are not put to any kind of harassment or atrocities.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आदिवासी समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त ने लगभग 21 प्रतिवेदन तैयार किये हैं। इनके कल्याण की देखभाल के लिये एक संसदीय समिति भी है और इसने भी अनेक प्रतिवेदन तैयार किये हैं। परन्तु समस्या अभी भी हल की जानी है।

मैं उत्पाद शुल्क नीति का जिक्र करता हूं जिसे सभी राज्यों ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय ने भी इसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है और राज्यों को भी निदेश दिये गये हैं। मैं बिहार के मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में 1-4-76 से शराब की दुकानें बन्द करने का निर्णय लिया है, परन्तु उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सरकारों ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

मुझे विश्वास है कि हमें विकास कार्य के लिये पांचवीं योजना में अधिक धन मिलेगा। लेकिन इसे एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीना जा रहा है। आदिवासी लोगों का अभी भी शोषण किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन शोषण कर्त्ताओं ने आदिवासी लोगों का शोषण करने के लिये एक संघ बना लिया है। इनमें साहूकार, व्यापारी, शराब विक्रेता शामिल हैं।

510 आदिवासी विकास खण्ड हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इन विकास खंडों के बारे में एक नयी नीति अपनाने के लिये कहा है। भारत सरकार इस कार्य के लिये धन दे रही है, परन्तु कुछ राज्यों, विशेषकर उड़ीसा ने अभी तक परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किये हैं। मेरी समझ में यदि परियोजना प्रतिवेदन के बिना धन खर्च किया जायेगा तो वह बेकार ही जायेगा। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि अतीत में धन किस तरह बरबाद किया गया। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे आदिवासी विकास के लिये दिये गये धन का इस तरह बरबाद करना बन्द करें। ऐसे उदाहरण हैं जहां आदिवासी विकास के लिये निर्धारित की गई धनराशि गैर-आदिवासी क्षेत्रों में खर्च की गयी है।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश में आदिवासी-असन्तोष क्यों हैं? इसका एक कारण भूस्वामियों द्वारा उनका शोषण है। इस असंतोष को दूर करने के दो तरीके हैं। पहला तो कानून और व्यवस्था की स्थिति लाना है और दूसरा तरीका इस क्षेत्र का विकास करना है।

अब धनराशि के आवंटन का मामला है। उड़ीसा सरकार ने 65 करोड़ रुपये की मांग की है परन्तु योजना आयोग ने केवल 32 करोड़ रुपये की सिफारिश की है और बाद में धनराशि और कम कर दी गई। उड़ीसा सरकार को आदिवासी विकास के लिये धनराशि का आबंटन अपनी विकास निधि से करना पड़ा है। अब प्रश्न यह है कि जब कि भारत सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिये अपनी विकास निधि से धन दे दिया है, तब राज्य सरकारें इन क्षेत्रों के लिये वास्तव में कितना धन दे रही हैं? राज्य सरकारों को निदेश प्राप्त हो गये हैं फिर भी वे जवाब नहीं दे रही हैं।

कार्मिक नीति सम्बन्धी समस्यायें भी हैं। विभिन्न न्यायालयों में विशेषकर आदिवासियों के सम्बन्ध में अनेक मामले लम्बित पडे है। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह पंचायत समिति स्तर पर विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करें, जिनके द्वारा मामले शीघ्र निपटाये जायें। हम शोषण रोकना चाहते हैं, परन्तु शोषक का पता लगाने,

[श्री गिरिधर गोमांगों]

शोषण रोकने और शोषकों को दण्ड देने के लिये एक तंत्र होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया जायेगा तो वर्षों पुरानी समस्याएं धीरे-धीरे हल हो जायेंगी।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : अनुसूचित जनजातियों के बारे में क्षेत्रों के निर्माण ने, जो पांचवां अनुसूचित और छठा अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है, बहुत कठिनाई पैदा कर दी है। यदि कोई व्यक्ति किसी जनजाति का है और पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में रहता है और यदि वह उस क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो वह आदिवासी नहीं रहता है। छठा अनुसूचित क्षेत्र आसाम पर लागू होता है और पांचवां अनुसूचित क्षेत्र अन्य क्षेत्रों पर लागू होता है। मैं चाहता हूं कि इस उपबंध में संशोधन किया जाना चाहिये। और इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया जाना चाहिये तथा क्षेत्रीय प्रतिबन्ध दूर किया जाना चाहिये।

इसके बाद मैं शराब के बारे में कहता हूं। यह बात सही है कि आदिवासी काफी मात्रा में शराब पीते हैं। सरकार ने शराब के ठेके दिये हैं। शराब आदिवासियों का खून चूस रही है। इसे यथाशीघ्र बंद किया जाना चाहिये।

अब भूमि सुधारों को लेता हूं। आदिवासियों को विभिन्न प्रकार से उनकी भूमि से बेदखल किया गया है। उन्हें वह भूमि वापस दी जानी चाहिये।

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवाओं में प्रतिनिधित्व की बात है, इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि सेवाओं में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाये, तो परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। मैं सरकार से कहता चला आ रहा हूं कि पदों पर नियुक्त करने वाले अधिकारियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है और मैं सरकार का बड़ा आभारी हूं कि सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाती का सदस्य रखने की प्रणाली शुरु कर दी है। उनके राज्यों में भी ऐसा ही होने जा रहा है।

यह बड़ी शर्म की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 28 वर्षों के बाद भी हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में बोलना पड़ता है। अतः मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि वह जो कुछ भी कहें उसे लागू करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सुबोध हंसदा।

श्री शंकर राव सावन्त (कोलाबा) : क्या मेरा नाम उसमें नहीं है? गोमांगों के बाद मेरा 7वां नम्बर था।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : देश में आपात स्थिति लागू किये जाने से शांति और व्यवस्था कायम हुई है। अनुशासन की भावना पैदा हुई है। जो तत्व तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में लगे हुए थे वे जेलो में बंद हैं। आज सभी यह मानते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में सुचारू रुप से कार्य हो रहा है। किन्तु इसमें अभी भी संदेह है कि आपात स्थिति उठा लेने के बाद भी यह अनुशासन बना रहेगा। लोगों का विचार है कि यह स्थिति कुछ और समय के लिए बनी रहनी चाहिए। इसके उठा लिये जाने पर भविष्य में किसी न किसी प्रकार का विस्फोट होने की आशंका है।

आज भी देश में कुछ विघटनकारी तत्व अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में ये शक्तियां पुनः एक होने की कोशिश कर रही हैं। सरकार को इन पर नजर रखनी चाहिए। अन्यथा निकट भविष्य में ही कानून और व्यवस्था को फिर से खतरा पैदा हो सकता है।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है। वहां बेरोजगारों की संख्या 20 लाख तक पहुंच चुकी है। यदि यह समस्या कुछ और समय तक इसी तरह चलती रही तो हमें संदेह है कि हम देश में व्यवस्था बनाये रखने में समर्थ हो सकेंगे। अतः गृह मंत्रालय को ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोग अधिक प्रभावित हैं बेरोजगारी की समस्या हल करनी चाहिए। इस का हल न निकालने की दशा में अग्रवादी तत्व इन वर्गों के साथ मिलाकर गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। अतः अर्ध विकसित क्षेत्रों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास हो सके। सरकार को पश्चिम बंगाल ही नहीं अपितु समूचे देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने में बिलम्ब कर रही है। इस सूची में बहुत सी असंगतियां हैं। यह तो काफी पहले ही संशोधित कर दी जानी चाहिए थी। इस सूची को संशोधित करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए तथा उसमें मौजूद असंगतियां दूर की जानी चाहिएं। यदि देश के किसी भी कोने में कोई जाति एक बार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मानली जाती है तो उस जाति को समूचे देश में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाना चाहिए।

मद्य निषेध संबंधी ढेबर समिति 1960 में बनाई गई थी। उसने इस आशय की सिफारिश की है कि जनजाति क्षेत्रों में शराब के ठेकेदारों द्वारा किया जाने वाला शोषण रोका जाना चाहिए। केन्द्रीय मद्य निषेध समिति ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर सभी राज्यों को निदेश जारी किये थे। पर सभी राज्यों ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों पर अमल नहीं किया। फलस्वरूप शराब के कई ठेकेदार जनजाति क्षेत्रों में अपना खूब धंधा चला रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जो भी योजना बनाते हैं उसका कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में 54 बहुउद्देशीय ब्लाक स्थापित किये गये। इस संबंध में एक समिति भी बनाई गई। उस समिति ने टिप्पणी की है कि जो भी धन खर्च किया गया वह केवल समाज के एक वर्ग पर ही खर्च हुआ है। इसी प्रकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन जातियों के उत्थान के लिए 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। पर क्या इससे उनकी समस्या हल हो जायेगी? नहीं। जनजातियों के लोगों को, जो अपनी समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सफेदपोश लोग जो इनकी समस्याओं से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं; इस बात के लिए जिम्मेदार बनाए जाते हैं कि इस धन का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाये। वास्तव में इससे सारा धन फिजूल खर्ची में जायेगा। इस क्षेत्र की जनता आजादी के 28 वर्षों के बाद भी नंगी है, भूखी है। इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया गया है। इस में कहा गया है कि जनजातियों के जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे जंगल की भूमि पर अन-

[श्री सुबोध हंसदा]

धिकृत रूप से कब्जा किये हुए हैं। इनकी समस्या का समाधान तो दूर रहा, उन लोगों की समस्या भी अभी तक हल नहीं हो पाइ है जिन्हे बड़े-बड़े सरकारी उद्योग स्थापित करने के कारण वहां से हटाया गया था। अब जनजाति के लाखों लोगो को जंगलों से हटाया जा रहा है। सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि उन लोगो का समुचित रूप से पुनर्वास किया जायेगा।

मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों ने 400–500 गांव जंगलों में बसाये हैं। इन्हें वन विभाग की मजदूर समस्याओं को हल करने के लिए बसाया गया है। पर वन विभाग ने उनके लिए न तो शिक्षा का प्रबंध किया है और न पीने के पानी का। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ये लोग गुलामों का जीवन बसर कर रहे हैं। उनकी दशा बंधुआ मजदूरों से भिन्न नहीं है। इन सब के लिए उचित शिक्षा और कल्याण व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियो के लोगों के लिए आरक्षण और पदोन्नति के बारे में परिपत्र जारी किये हैं। पर उन्हें अमल में नहीं लाया गया है। गोरखपुर में एक बड़ा रेल कारखाना है। वहां जब कभी आरक्षित स्थानों को भरने या पदोन्नति की बात उठती है तो यह कह दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ये पद अनुरक्षित मान लिये गये हैं। ऐसा ही अन्य विभागो में हो रहा है। इसी प्रकार की धांधली रोजगार दफ्तरो में चली है।

गृह मंत्रालय को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस समस्या के निराकरण के लिए मंत्रालय में अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। निस्संदेह, इन शिकायतो की जांच करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के आयुक्त हैं। पर उन्हें इस समय जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं वे प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। उनका पद तो केवल संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति मात्र के लिए हैं। गृह मंत्रालय को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राजनीतिक पेंशन के मामलो में भी धांधली चल रही है। कई ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक पेंशन दी जा रही है जो स्वाधीनता के बाद पैदा हुए हैं। मैंने इस मामले में कुछ प्रकरण भेजे हैं। पर इसे गोपनीय नहीं रखा गया और सबको बता दिया गया कि मैं इस प्रकार के पत्र लिखता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गृह मंत्रालय को इन सब बातों की जांच करनी चाहिए, विशेषकर उन युवा व्यक्तियो के बारे में जो राजनीतिक पेंशन ले रहे है। राजनीतिक पेंशन के लिए उचित मामलों पर ही विचार किया जाना चाहिए।

श्री शंकरराव सावन्त (कोलाबा) : देश में 1975 में बहुत ही विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई थी। देश संकट के दौर से गुजर रहा था। लोकतंत्र के भविष्य पर शंका व्यक्त की जाने लगी थी। हर रोज प्रातः समाचारपत्रों के मुख पृष्ठों पर राजद्रोह की खबरे छपती थी। इन भयानक परिस्थितियों में 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने आपात स्थिति की घोषणा की। उससे समूचे वातावरण में एकदम परिवर्तन आया जैसे कि जादू की छड़ी घुमा दी हो।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]

[Shri C. M. Stephen *in the Chair*]

कीमते घटने लगी। क्रांति की बातें समाप्त हो गईं। तस्कर और आंदोलनकारी जेलो में बंद हो गये। यह सारा काम गृह मंत्रालय को करना पड़ा। इस सब के बावजूद बड़ौदा में डायनामाइट षड़यंत्र और

हाल ही में केरल में डायनामाइट छड़ों के पाये जाने से चिंता होने लगी है। बड़ौदा षड़यंत्र एक अन्तर-राज्यीय षड़यंत्र है और इसके पीछे एक राजनीतिक पार्टी का हाथ है। गृह मंत्री को इन लोगो के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और राज्य सरकारों को भी इन लोगो के खिलाफ ऐसी ही कार्यवाही करने के निदेश दिये जाने चाहिएं।

पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है। वह 1971 की अपेक्षा अब अच्छी स्थिति में हैं। वह विश्व भर से हथियार इकट्ठे कर रहा है। इसलिए हमारे सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत किया जाना चाहिए तथा एक नागरिक रक्षा बल गठित किया जाना चाहिए और उसे छोटे-छोटे हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मैं प्रशासन में पायी जाने वाली विषमताओं का उल्लेख करना चाहता हूं। हम कुछ गांवों को अब तक केन्द्र के अधीन रखना चाहते हैं और अब तक उन्हे प्रजातंत्र के लाभों से वंचित रखना चाहते हैं? दादर और नागर हवेली के नाम से कुछ गांवो को बीस वर्ष पहले स्वतन्त्र कराया गया था और उन्हे साथ लगते महाराष्ट्र में विलय के स्थान पर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। आप जनता के विचार जानने का प्रयास कीजिये और उसके अनुसार इन गांवों का विलय कर दीजिए।

श्री ओम मेहता : हमने गोवा में जनता के जनमत का पता लगाया था।

श्री शंकर राव सावन्त : दमन और दीव की भी वैसी ही समस्या है। दमन गोवा से 600 किलोमीटर दूर हैं। दीव 1,000 किलोमीटर दूर है। दीव को गुजरात में और दमन को महाराष्ट्र में विलय क्यो नहीं कर दिया जाता?

श्री ओम मेहता : जनता यह नहीं चाहती है।

श्री शंकर राव सावन्त : ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा आप नहीं चाहते हैं इस संबंध में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है।

इस सभा में एक आश्वासन दिया गया था कि लोक सभा के आम चुनाव से पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद हल कर लिया जायेगा। इस संबंध में इसी सत्र के दौरान एक प्रारूप संकल्प पेश किया जाना चाहिये ताकि यह विवाद शीघ्र हल किया जा सके।

Shri Hari Singh (Khurja) : I am thankful to the Home Ministry that it has brought under control the Situation in which the opposition parties were indulging in subversive activities and creating an atmosphere of violence and chaos. These parties wanted to take the reins of the Government in their own hands. Francis Bancon has said that "The excessive desire for power causes angel to fall". When their desire for power could not be fulfilled, they started indulging in such subversive activities as a result which the nation witnessed turmoil and chaos. The lust for power made them to adopt wrong path and measure. It is natural that when one's desire and ambition is not fulfilled, one becomes corrupt and perverted.

I would like to say that they created an atmosphere of hatred in the country and indulged in the game of bad politics and gave slogans of 'Total revolution'. But where they wanted to take the Country by this slogans ? The actual slogan of the revolution should be safety of the State. The meaning of the revolution is not annihilation of the country. But the Prime Minister acted well in time and saved the country. She has created confidence among the people of the country by the proclamation of emergency and the introduction of 20-point programme.

The border dispute between Haryana and Uttar Pradesh is still persisting. In a large number of cases, the Haryana police has violated the Uttar Pradesh border. In order to solve this problem a commission comprising of the Government representatives of both sides should be set up.]

[Shri Hari Singh]

It is also required to provide the police with sophisticated arms in order to enable them to eheck new types of crimes. It is also found that new techniques are adopted in committing crimes but the method of checking them is still out moded and outdated. In addition to sophisticated arms the police should be imparted training through new methods. The buses and the books in Uttar Pradesh are being looted. Something should be done to check such incidents.

Though Government have taken many steps to ameliorate the lot of the scheduled Castes and the Scheduled Tribes, yet more is needed to be done in this direction. These people should be helped to ensure that their standard of living is improved and they are ask to live and earn their livelihood like other people in the country. The schemes aimed at the welfare of the Scheduled castes and Scheduled Tribes should be implemented sincerely. I would like to point out that there are lapses in implementation. If you want that the nation should get rid of inquilities and social injustice, you have to be very vigilant about the implmentation. Because inspite of the progress made in regard to improving the lot of weaker sections of society, the lot of Harijhans, the scavenging workers is still deplorable. There should be some concrete schemes for them also. If Government wants to improve their lot it should set up a Committee which should tour the entire country to find out the facts and appraise themselves of the problems faced by the poor and neglected secion of Sociey. Government should usher in socialism, equality and prosperity in their lives by implementing welfare schemes formulated for the purpose. With these words, I supoort the demands for grants of the Ministry of Home Affairs.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) 1975 has been a year of turmoil and unrest. Anti-social elements ganged up together and conspired to create chaos add unrest affecting the peaceful atmosphere of the country. Emergency was proclaimed to curb these ant-democratic and subversive forces as a result of hich the conditions have improved . But it is not a matter of complacency because the elements have not been completely eliminated. They are simply lying low and can raise their heads again. Government should exercise utmost vigilance and should not allow these elements to raise their ugly head.

We have seen people saying that the rising priese would never come down but today the prices are falling. Countries of the world are surprised to see this. The Capitalist Countries do not like our being self-sufficient. They have been making efforts to create disorder in our Country. But this is my firm faith that they will never suceced in this.

There are many achievements to the credit of Government. It has been able to control smuggling and regulat foreign exchange. The agreement on Kashmir has brought a permanent solution to this knotty problem. Every where people are satisfied with the administration under the able leadeship of Prime Minister. I have personally met the personnel of Central Reserve Police and Assam Rifles. They are honest and dedicated to the service of the country. In spite of their difficulties they are always ready to lay their lives for the Country.

The noblest achievement of Home Ministry is the integration of Sikkim. It is our good administration and successful democracy that the people of Sikkim were attracted. Now they are free from exploitation. Our Government is doing its best for the development of Sikkim. The people there are now proud of their being citizens of India.

In a democracy wedded to socialism there should not be any gap between the various Sections of Society. It is good that Governmnt are making efforts to improve the lot of weaker sections. An allocation of Rs. 455 crores has been made for this purpose in the fifth Five Year Plan. Now it depends on the states as to how they utilise this amount. I would request all the Hon'ble members to see themselves whether this amount is being properly spent.

It is good that communal riots have been checked. The committee formed under the leadership of Smt. Subhadra Joshi has certainly achieved success in changing the atmosphere in the Country.

The development of North-eastern region should be expedited so that the people there can have a feeling of integration.

I have come to know that a Committee has been appointed for the reorganisation of police services. It is a good step. In fact they have some difficulties. They are the people who shoulder the responsibiliy of administration at the bottom. They should be provided facilities for their efficient functioning. I hope the Committee with look into all this and make suitable recommendations to Government.

The present limit of six months imprisonment for receiving political pension should be relaxed. Persons who were imprisoned even for a single day should be entitled to pension. The amount of pension should be raised to Rs. 500 per month and it should also be admissible to the wife and children of the freedom fighter after his death.

Maithli language is a rich language and is spoken by about 3 crore people. It should be given recognition and included in Eight Schedule of the Constitution, with these words I support the demands of the Ministry of Home Affairs.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : Supporting the demands of the Ministry of Home Affairs I would like to congratulate The Home Minister. The performance of the Home Ministry during 1975 has been commendable The Prime Minister's farsightedness and the Home Ministry's timely action has taken the counry out of the State of uncertainty.

The Schemes formulated by the Home Ministry for improving the lot of the weaker sections of the Society are good. But the real thing which is to be seen is how far these schemes are being implemented. It is also necessary to see as to what are the root cause of their problems.

Though there are so many sections in the society which are economically backward but in Bihar the condition of backward Communities is worse than that of the Scheculed Castes and Scheduled Tribes. The Central Government and the State Government are not paying adequate attention to these people. These people are agricultural labourers.. They do not have sufficient work all the year round. Though there is reservation for weaker sections in services but these people has no representation even in class III and IV posts in Government Serviee. In fact the financial condition of the weaker sections which has a share of 80 to 85 percent of the population of the Country has not improved and without improving their lot the Country cannot bed made stronger.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not received their due share in Government Services. Even in class III and IV Service the quota reserved for these has not been filled up. Concrete steps should be taken to fill up the quota of services reserved for these peoole at least in Class III and Class IV posts. This will enable them to remove their financial difficulties. It is good that Karnatak and Andhra Pradesh have made reservation in the Services for these people.

In 1954 backward classes Commission was appointed under the Chairmanship of Kaka Kalelkar. It submitted its report years ago but it has not been dicussed so far. It should be discussed in the House so that the problems of backward classes come to light and another Commission should be appointed.

The pattern of Census has been changed. Census will not now be made on the basis of Castes. But it would not do good to them. It will increase their exploitaton. Government will not have details and correct information about these sections of the Society and it will be difficult for the Government to take measure for the upliftment of these people. It is therefore, desirable that the old pattean of Census should continue.

The Hon'ble Members have expressed concern about the new methods being adopted by the criminals. I think there is need for giving better training to our police force so that we are able to control the developing crime situation particularly in the rural areas. Police Station in the rural areas should be properly equipped with Jeep etc. State Governments should also be asked to pay attention to improving the lot of Chowkidars in villages who plays an important role so far as security of villages is concerned. Their pay should be increased.

I think there is need for tonning up our administration particularly with a view to improving implementation of the various progressive steps taken at present. The success of the 20-point programme will depend on the coordinated performance of our administrative machinery, political parties, social organisations and the Members of Parliament and the legislators. The important task is to increase the implementation Capacity of the administrative machinery. It appears to be functioning half-heartedly. It is, therefore, necessary to made our administrative structure more efficient. With these words I support the demands of the Ministry of Home Affairs.

Shrimati Premalabai Chavan (Karad) : Mr. Chairman, Home Ministry is a very important Ministry and its performance has been praise-worthy in all spheres. Intelligence and C.I.B. Departments of the Home Ministry have done very good work. They have shoulddered their responsibilities very well. I, therefore, congratulate the Home Ministry and concerned officers.

[Shrimati Premala bai Chavan]

The Home Ministry should ensure that in recruitments to the Government Services efficient and honest persons are taken. If it is done the performance of the Ministry will further improve.

I also congratulate the Ministry of Home Affairs for the good work done for improving the condition of backward classes and women. It is gratifying that more and more women are being recruited in the police force.

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

In Maharashtra a number of steps have been taken to help backward Communities. They are being provided with many facilities. The landless persons have been given land and house sites have also been allotted.

I would also like to mention that the Central Government have resolved a number of inter-state disputes. The Ministry of Home Affairs should take steps to resolve the Maharashtra Mysore border dispute also. With these words I finish my speech.

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : आपको मालूम है कि देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद से कानून का पालन करने वाले लोगों ने, विशेषकर स्कूल और कालेज जानेवाले विद्यार्थियों ने पढ़ाई में गहरी रुचि ली है । कारखानों में जानेवाले श्रमिक भी बहुत खुश हैं । परन्तु काले धन्धे वाले और जमाखोर अप्रसन्न हैं ।

सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दे रही है । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रमों हेतु पूंजी निवेश में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है ।

आदिवासी लोगों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं । विभिन्न राज्यों में विकास निगम और विकास एजेन्सियां कायम की गई हैं । आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और आदिवासी लोगों को 32,42,406 आवासीय स्थलों का आवंटन 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है । अतः हम यह नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है । मैंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में अनेक प्रतिवेदन देखे हैं । यद्यपि उन्हें सभी सुविधायें मिल रही हैं फिर भी हो सकता है कि सभी संतुष्ट न हों क्योंकि संतुष्टि की कोई सीमा नहीं है । सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि उन्हें सभी सुविधायें दी जायें । हमारे देश में कुछ हरिजन ऐसे हैं जिनके पास 40 एकड़ जमीन है । क्या उन्हें पिछड़ा कहा जा सकता है ।

ऐसे भी स्वतन्त्रता सेनानी हैं जो जेल नहीं गये हैं और पेंशन ले रहे हैं । 75 प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानियों का तो स्वर्गवास हो चुका है । केवल 25 प्रतिशत जीवित हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह बता दूं कि पहले कई सेनाओं का प्रादुर्भाव हुआ –शिव सेना, आन्ध्र सेना आदि । यद्यपि इस समय उनका नाम सुनाई नहीं देता है, फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सेनायें बिलकुल सामाप्त नहीं हो गयी हैं । हो सकता है कि वे मौके की तलाश में हों । मैं गृह मंत्री से यह अपील करता हूं कि ऐसे तत्वों को पकड़ा जाये और इनको जड़ से समाप्त करने के लिए कारगर ढंग से कार्यवाही की जाये ।

भारतीय मूल के लोग बर्मा से आ रहे हैं। लेकिन कुछ परिवारों को ठहरने नहीं दिया गया है। उनके पास वीसा भी है। उनके सामने बड़ी कठिनाइयां हैं। बर्मा में उनकी कोई जायदाद नहीं है। उनकी सभी सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। मद्रास से मुझे एक शिकायत मिली है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): देश में अनुशासन लाने के लिए गृह मंत्रालय ने पिछले आठ महीनों में जो कार्य किया है, उसकी इस सदन के अधिकतर सभी सदस्यों ने सराहना की है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि सदन को विदित है, प्रधान मंत्री महोदया के निर्देशन में विगत महीनों में प्रशासन के स्तर में सुधार हेतु कई उपाय किये गये हैं जिनमें प्रशासनिक विलम्बों को कम करना, नियमों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, सांविधिक प्रतिवेदनों और विवरणियों की समीक्षा, अनुशासन का कठोरपालन, स्वच्छता तथा समय की पाबन्दी शामिल हैं। फाइलों को निपटाने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है और मध्यम स्तर के अधिकारियों को तथा कुछ मामलों में छोटे स्तर के अधिकारियों को भी निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। फाइलों पर लम्बी-चौड़ी टिप्पणी के बजाये सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आपस में विचार-विमर्श करके शीघ्र निर्णय लिये जाते हैं जिसके फलस्वरुप प्रशासन के स्तर में सुधार हुआ है और अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर कर्त्तव्यों के निर्वहन में अधिक विश्वास उत्पन्न हुआ है और सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सराहनीय सुधार हुआ है। इस नये वातावरण में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुर्नविन्यास किया गया है और ये परिवर्तन प्रशासन को जनता की आवशकताओं के अनुरुप बनाने के लिए किये गए हैं।

सभी अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं के लिए भर्ती किये जाने वाले सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी व्यक्तियों को लाल बहादुर शास्त्री प्रांसासन अकादमी में चार महीने का अनिवार्य बुनियादी पाठयक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके अलावा माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुरुप हमने आदिवासी और कमजोर वर्गों की समस्याओं को देखने वाले अधिकारियों के लिए एक विशेष पाठयक्रम चालू किया है। आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रशिक्षण चालू किया गया है उसके दो पाठयक्रम अब तक पूरे हो चुके हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने व जन-सेवाओं के प्रति तुरन्त ध्यान देने के उद्देश्य से हमने कई सुधार किये हैं।

संविधान के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा सम्बन्धी मामलों के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है और न्यायालय ही इस सम्बन्ध में निर्णय देता है। व्यापक तौर पर यह सुझाव दिया गया है कि सेवा-सम्बन्धी मामलों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ले लिया जाएं और ऐसे मामलों को निपटाने हेतु प्रशासनिक अधिकरनों की स्थापना की जाए, इससे सरकारी कर्मचाररियों के मामले जल्दी और अधिक कुशलता से निपटाये जा सकेंगे। इस मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

[श्री ओम मेहता]

अकुशलता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार पूर्ण रुपेण जागरुक है। इन समस्याओं को निपटाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। पदोन्नतियों का आधार अब विरष्ठता नहीं अपितु कार्य-कुशलता योग्यता (मेरिट) है। अयोग्य एवं भष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को जांच-पड़ताल के बाद अधिवर्षिता आयु से पूर्व सेवा-निवृत्त किया जा रहा है। आपात स्थिति की घोषणा के बाद से केन्द्रीय जांच ब्युरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष कार्यवाही की है। जुलाई-दिसम्बर, 1975 की अवधि में 699 मामले खुली जांच हेतु पंजीकृत किये गये। 241 मामलों में मुकदमा चलाया गया जिसमें 67 मामले राजपत्रित अधिकारियों के थे और 140 मामलों में दण्ड दिया गया।

केन्द्रीय जांच ब्युरो की उपलब्धियां केवल भ्रष्टाचार के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं उसने अन्य क्षेत्रों में भी सहरानीय कार्य किया है। अब श्री एल० एन० मिश्र की हत्या का मामला केन्द्रीय जांच ब्युरो को सौंपा गया तो उसने बहुत कम समय में अपराधियों का पता लगा लिया और आज वे सब जेल में हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की कार पर बम फैंकने के मामले में भी किसी को यह मालुम नहीं था कि केन्द्रीय जांच ब्युरों इतनी जल्दी अपराधियों का पता लगा लेगा और उन अपराधियों के विरुद्ध अब मुकदमा चलाया जा रहा है।

जहां तक बड़ौदा के डाइनमाइट मामले का सम्बन्ध है, केवल यह सदन ही नहीं अपितु सभी जगह से लोग यही मांग कर रहे है कि इस मामले को भी केन्द्रीय जांच ब्युरो के पास भेज दिया जाए। केन्द्रीय जांच ब्युरो ने इस मामले को हाथ में ले लिया है और वह शीघ्र ही इस बात का पता लगा लेगा कि देश में हिंसा के जरिए आतंक फैलाने का षड़यंत्र कैसे रचा जा रहा था।

ऐसी सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है जिससे ऐसे अपराधों का जन्म ही न हो। नाजुक स्थानों का अकस्मात निरीक्षण और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों की जिन्हें जनता से व्यवहार करना पड़ता है, जांच परख की जा रही है।

कार्मिक विभाग विकासशील देशों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्ष 1975 में विदेशों में प्रतिनियुक्ति के लिए 2341 व्यक्तियों का चयन किया गया था जब कि वर्ष 1974 में इस कार्य हेतु 1961 व्यक्तियों का चयन किया गया था। अनेक विकासशील देशों में भारत के विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है अतः हमें इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त व्यक्तियों की तालिका तैयार करने हेतु अपने तंत्र को बढाना होगा ताकि हम इस बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें।

जहां तक आपात स्थिति के बाद समाज विरोधी तत्वों विशेषतः तस्करों व विदेशीं मुद्रा छलसाधकों के विरुद्ध कार्यवाही का सम्बन्ध है, 20 मार्च, 1976 तक 2227 लोगों की नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये, जिसमें 294 विदेशी मुद्रा छलसाधक भी शामिल थे। न्यायालयों द्वारा निसेधाज्ञा देने के फलस्वरुप उत्पन्न बाधाओं के बावजूद 1899 व्यक्तियों को वास्तव में नजरबन्द किया गया। बाकी फरार लोगों को गिरफ्तार करने तथा फरार हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क करने का तथा पासपोर्ट जब्त करने का काम चल रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्यवाही कड़ी कर दी है । वर्ष 1975 में 4322 मामले निपटाये गये और 102 मामलों में दण्ड दिया गया । ये आंकड़े इस संगठन का रिकार्ड है और इतना काम पिछले वर्षों में कभी नहीं हुआ ।

पांचवीं योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है । पिछड़े वर्गों के लिए आवंटित 250 करोड़ रूपये के परिव्यय में से, 150 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों के कल्याण पर व्यय किये जायेंगे ।

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, उन्हें शिक्षा के मामले में अधिक सुविधाएं प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया है क्योंकि अन्ततोगत्वा शिक्षा द्वारा ही वे अन्य लोगों के समकक्ष खड़े हो सकेंगे । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 1974-75 में उन्हें 3.08 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी गई । 1975-76 में कोई 4 लाख छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है । पंचवर्षीय योजना के दौरान 200 करोड़ रुपए को ऐसी छात्रवृत्तियां देने के लिये व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त सभी राज्यों से कहा गया है कि वे छात्रवृत्तियों का आवंटन बिना किसी विलम्ब के करें । इन जातियों के कल्याणार्थ कृषि, सहकारिता सिंचाई, छोटे पैमाने के उद्योगों आदि के बारे मे विभिन्न विकास योजनायें आरम्भ की गई हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिकतम भूमि विधियों के अन्तर्गत बिभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लगभग 550,000 परिवारों को भूमि आवंटित की जा चुकी है ।

देश में 366 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस के अलावा यहां पर उन्हें छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं । अनुमान है कि अब तक 30 लाख से अधिक भूमिहीन व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए जगह दी जा चुकी है । इन लोगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है ।

आदिवासी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए एक योजना बनाई गई है । इस के अन्तर्गत वहां पर कर्जदारी को समाप्त कर दिया गया है । इस के स्थान पर उन्हें सरकारी संस्थाओं द्वारा ऋण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है । उनके वन उत्पादों को खरीदने और उन्हें दैनिक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये प्राथमिक सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है । अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है और उसे सरल बनाया जा रहा है ताकि इस मामले में उन्हें कोई कठिनाई न हो ।

अन्य महत्वपूर्ण बात आदिवासी क्षेत्र में शोषण समाप्त करना है । ऐसे क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या अधिक है, शराब की बिक्री को बन्द करने की नीति अपनाई जायेगी और उन्हें अपना परम्परागत पेय तैयार करने की अनुमति दे दी जायेगी । राज्य सरकारों ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है और बिहार सरकार ने तो इसे कल से ही क्रियान्वित करने की घोषणा कर दी है । शोषण समाप्त करने के लिये

[श्री ओम मेहता]

विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिये वर्तमान विधि यों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। अवैध रूप से संक्रान्तूमित की गई भूमि को वापस दिलाने के लिये भी कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार किये जा रहे हैं जिससे इन क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास हो सके।

कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रम की घोषणा करने के पश्चात् प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को अधिक बल देने के लिए मुख्य मंत्रियों को विशेष रूप से कहा है। राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे अधिकारी रहे जायें जो वहां की समस्याओं की विशेष जानकारी रखते हों। इसके अतिरिक्त शिक्षा, पुलिस, राजस्व जैसे विभागों में आदिवासियों की भर्ती करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया जा रहा है।

जहां तक सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, 1964 के पश्चात् भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सरकार की गैर-तकनीकी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियो के लिये 7 प्रतिशत का जो कोटा निर्धारित किया गया था उसे प्रतिवर्ष पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र और अन्य सेवाओ के सम्बन्ध में भी पूरी पूरी कोशिश की जा रही है।

1965 में अनुसूचित जातियो के प्रथम श्रेणी के कुल 318 अधिकारी थे, जब कि 1975 में इन की संख्या बढ़कर 1,197 हो गई, इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 864 से बढ़कर 2,689 हो गई। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी (सफ़ाई कर्मचारियों के अलावा) के कर्मचारियों की संख्या 1965 में क्रमशः 96,114 और 2, 01, 073 थी जब कि 1975 में यह बढ़कर क्रमशः 1,74,025 और 2,30,811 हो गई। इस प्रकार सेवाओं में अनुसूचित जातियो का प्रतिनिधित्व 18.64 प्रतिशत हो गया है।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, 1965 में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के क्रमशः 52, 103, 12, 390 और 38,444 स्थान भरे हुए थे। जबकि 1975 में इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 219, 321, 36,859 और 49, 439 हो गई। यह लगभग 4 प्रतिशत संख्या है जो कि निर्धारित कोटा से कम है। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में शिक्षा सुविधाएँ कम हैं। इस सम्बन्ध में हम अधिक आश्रम स्कूल खोल रहे हैं जिसमें उन्हें शिक्षा दी जा सके और उनका 7 प्रतिशत का कोटा भी पूरा किया जा सके।

राज भाषा का एक अलग विभाग खोलने से कार्यालयों में हिन्दी का अधिक प्रयोग होने लगा है। इस सम्बन्ध में संसद की एक समिति बनाई गई है जिस की प्रथम बैठक 4 मार्च, 1976 को हुई थी। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे कर्मचारी को, जो हिन्दी में अभी कार्य नहीं कर सकता है, किसी प्रकार की कोई असुविधा या नुक्सान नहीं होना चाहिये।

प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये राज्यों को अनुदान दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : सभी भाषाओं के लिए देवनागरि लिपि अपनाने के बारे में विनोबाजी के सुझाव के बारे मे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Shri Swami Brahmanandji ((Hausispur) How far Hindi is being used -

श्री ओम मेहता : इस समय मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि पहले की तुलना मे अब हिन्दी का अधिक प्रयोग होने लगा है ।

सभापति महोदय, जहां तक आपका सुझाव है, उस पर हम विचार करेंगे ।

दिल्ली प्रशासन की एक समस्या यह है कि यहां पर एक ही काम को देखने के लिए कई अधिकारी है । इस संघ राज्यक्षेत्र का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिये कुछ संस्थागत परिवर्तन करने के प्रस्ताव विचाराधीन है । आपात स्थिति की घोषणा के कारण केन्द्र और राज्यों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय तथा नौवहन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के लिये जितना समय आबंटित किया गया है वह बच जायेगा । इन मंत्रालयों के पश्चात विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाना था परन्तु चूंकि विदेश मंत्री विदेश गये हुए हैं और उनके पांच अप्रैल से पहले वापस आने की कोई सम्भावना नहीं है, इसलिये मेरा सुझाव यह है कि यदि सभा सहमत हो, तो हम विदेश मंत्रालय की बजाये रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर पहले विचार कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

(अनुदानों की मांगे 1976-77--जारी)

DEMANDS FOR GRANTS—contd.

गृह मंत्रालय—जारी

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : At the outset I would like to congratulate the Central Government for saving the democracy in the country , the largest in the world, from the fasist forces. The Socialist Party, the Jan Sangh and organisation Congress as also the R.S.S. Tried to disturb the "Save Democracy Conference' in Eastern U. P. in 1974 by throwing stones. We saw in this very House the attempts by these opposition parties threatening the Speaker, Deputy Speaker and the Chairman. In such an atmosphere declaration of emergency was essential. Failure of Democractic set up in this country would have meant failure of democracy in the world.

[Shri Bishwanath Roy]

One of the leaders even tried to lead Army and the police to a wrong direction. Proclamation of emergency has been acclaimed through-out the country and it has brought about a sense of discipline in the law and order machinery as well as in the other services entrusted with the defence of the country. During the first four months after the emergency production increased by 6 per cent, pace of economic development has been accelerated and punctuality of trains has improved. I have met students, teachers, professors, farmers, railway employees, workers, etc. and they have all pleased for extension of period of emergency so that it gains could be consolidated. The working of various Government Departments has also considerably improved. An hon. Member from the opposition alleged that there was one party rule in the country, But we find five-six parties working not only here but also outside the House. Of course, tendencies to block or hinder Government work has been checked. Emergency should be continued till the duty consciousness and sense of discipline becomes a part of our life.

The Border Security Force and Central Reserve Police should be strengthened. There has been all round progress under the 20 point economic programme. Harijans have been assured of a better deal and they have a sense of satisfaction with the attention being paid to them but we have to pay special attention to students.

As regards the proposed amendments to the Constitution, I would suggest that alongwith rights, the duties of a citizen should also be specified. The criterion for judging the backwardness should be changed from the caste basis to economic condition. Backwardness should be defined since persons belonging to higher castes may also be backward.

There have been complaints about grant of certificates to freedom fighters. It is a fact that some persons who had not nothing to do with the freedom struggle got the certificates while many freedom fighters could not got them. During the freedom struggle I alongwith Shri Jharkhande Rai and Shri Rajdeo Singh served various prison in famous in Deoli—Camp, Bareli Central Prison, Fatehgarh Central Prison etc. but perhaps there is no proper record of our detention there. The British Government might have destroyed the records. These difficulties of freedom fighters may please be looked into. An attempt has been made to merge the seven or eight associations of freedom fighters and an All India Freedom Fighters Organisation has been formed, which may please be recognised. In the end I will request the Central Government to frame a uniform policy in granting facilities to freedom fighters in various States.

Shri M. C. Daga (Pali) : Mr. Chairman, Sir, Prime Minister Indira Gandhi said in Hyderabad on 17th November, 1975 that the attitude of Police should change. We find that the expenditure on police has been increasing rapidly. The expenditure on C. B. I. has now gone up from Rs. 1·52 crores in 1965 to Rs. 3·08 crores and similarly the expenditure on B.S.F. has risen from Rs. 4·32 crores to Rs. 23·97 crores. In 1963-64 the expenditure on C.R.P.F. was Rs. 3·61 crores but it was Rs. 54·32 crores in 1975-76. In their report presently recently the Public Accounts Committee have stated :—

> "The Committee are not at all satisfied with the Ministers reply. The fact to be noted is, despite the realisation of the need for economy on police expenditure, the expenditure has continued to go on increasing as a very rapid speed. The increase has been, as already stated, of the order of 52 times in 24 years. The Committee would, therefore, repeat their recommendation and insist for the appointment of independent high powered Commission. The Committee are most unhappy on the very casual treatment meted out to the positive recommendation of the P.A.C.

Inspite of an increase of 52 percent in expenditure the offences continue to rise and as regards recovery it is indeed surprising that the Central Government should have allowed accumulation of arrears of the magnitude of Rs. 31·35 crores. The Committee have further stated :

> "The Committee feel that already a large number of police forces have been created. In their opinion Government should review the entire position to see whether it is necessary to have such a large number of forces each created for performing limited functions in addition to the one ...."

The economic offences have recorded on increase of 8 per cent and the attitude of police is yet to change and I feel that talented persons do not want to join the police department.

In its issue dated 21st March, the Illustrated Weekly has highlighted the menace of goondas in big citiesin an article and it says that professional goondas because of congestion, poverty and corruption in the police. We find that even politicions grant protection to these goondas though you have destroyed many reactionary forces in the country. Even capitalist fear them. The poor and the weaker sections do not get any help or assistance from the police. These anti-social elements are reigning supreme all over the country whether it be a village or a city and they are agents or police. They are a source of regular income to the police.

The intelligensice has become too clever. They talk of revolution but they withdraw their steps at the proper time. Therefore, your cases fail in the courts. Goondas are acquitted. Mr. Om Mehta said that every body depends on C.B.I. and there is demand from all quarters for probe by C.B.I. of police can not work let it be abolished. If goondas are not eliminated during the emergency they will never be eliminated. They should not be given political protection. They make the life of the poor and the working class miserable.

The behaviour of the beaurocracy has not changed and continues to be bound to dictatorrial and capitalistic attitude. About their training, the Estimates Committee have stated in their report that an experienced, retired, senior administrator has stated that there was an impression that only a person who could not be fitted else where was posted to the Academy.

The Estimates Committee has made a comment on large scale spending on this academy. Incompetent persons have been put on the job of giving training in the academy. There is a need for imparting rigorous training in the academy. It is also imperative that only such I.A.S. officer as have completed 35 years of age and have gained an experience of discharging small assignments should be posted as collectors. It is very unfortunate that sons and daughter of persons belonging to weaker sections of our society can never become I.A.S. Officers. This service is monopolised by the elite group.

Article 309 provides for enactment of legislature regulating the recruitment and service conditions of these services, but it is still being regulated by framing rules. Even the Ministers like to maintain harmonious relation with these officers. There is nobody to deal with these officers siriotly.

The Union Public Service Commission has expressed regret to state that inspite of their repeated observations, such cases continue to occur where Ministries and Departments did not intimate the approximate number of vacancies. Persons in Civil Service were appointed as Commissioned Officers during the 1962 war and they rendered good Service in the military but this active service was not considered at the time of their promotion on civil side. There is a large number of such cases which are still pending. It has been said that there is improve ment in the functioning of our administrative machinery. After the declaration of emergency, there is undoubtedly improvement, but the feelings of the Common people about administration should be the touch-stone of administrative improvement. But what we find is that any application of Common man takes months in being disposed of. The real efficiency of the administration can be judged only when concrete steps are taken to ameliorate the lot of Common people and their grievances are redressed immediately.

The progress made for the uplift of Scheduled Castes and Scheduled tribes during last 28 years has not been adequate. During this emergency much progress can be made in this direction by taking concrete steps.

Shri V. Tulsiram (Peddapalli) : Some relaxation should be made in the conditions for granting political pension to freedom fighters. The period of Six months' imprisonment for entitlement to pensions should not be right rigidly adhered to. Even those freedom fighters who were imprisioned for less than six months should be given pension.

[Shri V. Tulsiram]

There has been a case of rioting and harassment by some persons against Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in Hyderabad. Some protected tenants have been granted lease on a piece of land by the Government. These tenants have taken possession of that land. Inspite of an injunction order issued by the Court in favour of these tenants they are now being harassed by these unauthorised persons. There is a case of rioting in which one person has been killed. The police has blantly sided with the trespassers and has not afforded any protection to the poor tenants. I request the hon. Minister to send a special officer there to investigate into the matter and provide necessary protection to the tenants.

The members of National Police Academy in Shivrampali are trespassing the lands of the villagers there. They are putting pillars on the land and on the graveyeards of the minority Community. I have written to the Collector of that area to stop these persons from making any encreoachment on their lands. But so far nothing tangible has come out. I urge upon the hon. Minister to see that these persons are not harassed.

The Government should ensure that the quota fixed for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government jobs is rigidly followed.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, मैं भी गृह मंत्री और कार्मिक विभाग के प्रभारी मंत्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष आन्तरिक अव्यवस्था को दूर करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

लोक सभा तत्पश्चात् गुरुवार, 1 अप्रैल, 1976/12 चैत्र, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

[*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April* 1, 1976/*Chaitra* 1, 1898 (*Saka*)]

GMGIPND—L—996/L.S.—30-7-76—200.